रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 67] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 23, 2015/चैत्र 2, 1937
No. 67] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 23, 2015/CHAITRA 2, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2015

(अंतिम जांच-परिणाम)

विषय : कोरिया आरपी और थाईलैंड मूल के अथवा वहां से निर्यात एक्रिलिक फाइबर के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा के संबंध में

क. मामले की पृष्ठभूमि

फा. सं. 15/16/2013-डीजीएडी.—यत:, समय-समय पर संशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे एतद्पश्चात अधिनियम कहा गया है) तथा सीमाशुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतद्पश्चात पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतद्पश्चात प्राधिकारी कहा गया है) ने यूएसए, थाईलैंड और कोरिया आरपी के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एक्रिलिक फाइबर (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों के बारे में मूल पाटनरोधी जांच दिनांक 13.09.1996 को शुरू की थी और दिनांक 14.10.1997 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 47/एडीडी/1डब्ल्यू के तहत निर्णायक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने की सिफारिश की थी। केंद्रीय सरकार ने इस पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किया था। यूएसए, थाईलैंड और कोरिया आरपी के मूल के अथवा वहां से निर्यातित वस्तु पर पाटनरोधी की निर्णायन समीक्षा जांच प्राधिकारी द्वारा दिनांक 07.08.2001 की अधिसूचना सं. 26/1/2001-डीजीएडी के तहत प्रारंभ की थी और अंतिम जांच-परिणाम दिनांक 06.08.2002 की अधिसूचना सं. 26/1/2001-डीजीएडी के तहत जारी किया गया था। यूएसए, थाईलैंड और कोरिया आरपी के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर केंद्रीय सरकार द्वारा निर्णायक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण दिनांक 09.10.2002 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 106/2002 के तहत किया गया था। थाईलैंड और कोरिया आरपी के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध

वस्तु के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की प्राधिकारी द्वारा द्वितीय निर्णायक समीक्षा दिनांक 08.10.2007 की अधिसूचना सं. 10/7/2006-डीजीएडी के तहत शुरू की गई थी और प्रभावी पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता बनाए रखने की सिफारिश करते हुए अंतिम जांच परिणाम दिनांक 03.10.2008 की अधिसूचना सं. 10/07/2006-डीजीएडी के तहत जारी की गई थी। थाईलैंड और कोरिया आरपी से आयातित संबद्ध वस्तु पर केंद्रीय सरकार द्वारा निर्णायक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण दिनांक 20.11.2008 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 123/2008 के तहत किया गया था ।

2. यत:, अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार, पाटनरोधी शुल्क, यदि उसका पहले प्रतिसंहरण नहीं कर दिया गया तो ऐसे अधिरोपण की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात निष्प्रभावी हो जाएगा ।

3. और उपर्युक्त प्रावधान के होते हुए भी, प्राधिकारी को ऐसे साधन की समाप्ति की तारीख से तर्कसंगत अवधि के अंतर्गत घरेलू उद्योग की ओर से या घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विधिवत साक्ष्यांकित अनुरोध के आधार पर समीक्षा करना अपेक्षित होता है कि क्या इस शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है ।

4. और, यत:, उपर्युक्त प्रावधानों के निबंधनों के अनुसार घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले मैसर्स इंडियन एक्रिलिक्स लिमिटेड; मैसर्स वर्धमान एक्रिलिक्स लिमिटेड और मैसर्स पशुपति एक्रिलान लिमिटेड (जिन्हें एतद्पश्चात आवेदक कहा गया है) ने थाईलैंड और कोरिया आरपी (जिन्हें एतद्पश्चात संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एक्रिलिक फाइबर के आयातों पर पहले से अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की एक अन्य निर्णायक समीक्षा करने के लिए अनुरोध करते हुए तथा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता की मांग करते हुए विधिवत साक्ष्यांकित एक आवेदनपत्र दायर किया है। यह अनुरोध इस आधार पर आधारित है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण होने के बावजूद पाटन की निरंतरता बनी हुई है और घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से पाटन के कारण निरंतर क्षति हो रही है क्योंकि पाटनरोधी शुल्क का स्वरूप एवं प्रमात्रा अपर्याप्त है। आवेदकों ने पुन: यह तर्क दिया है कि संबद्ध देशों के विरूद्ध इस साधन की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है ।

5. और, प्राधिकारी, आवेदकों द्वारा दिए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर संबद्ध देशों से पाटन को समाप्त करने के लिए उक्त शुल्क की निरंतरता बनाए रखने की जरूरत की जांच करने और यह जांच करने के लिए कि क्या उस शुल्क को समाप्त करने या उसमें परिवर्तन करने या दोनों ही करने से घरेलू उद्योग को क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, दिनांक 24.09.2013 की जांच शुरूआत अधिसूचना सं.15/16/2013-डीजीएडी के तहत निर्णायक समीक्षा की कार्रवाई शुरू करना आवश्यक समझते हैं ।

6. संबद्ध जांच प्रारंभ करने के पश्चात केंद्रीय सरकार ने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर प्रभावी शुल्क को दिनांक 19.11.2014 तक बढ़ाते हुए दिनांक 08.11.2013 को एक अधिसूचना संख्या 27/2013-सीमाशुल्क (एडीडी) जारी की ।

7. वर्तमान जांच के दायरे में, संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों से संबंधित विगत जांच के सभी पहलू शामिल होंगे।

ख. प्रक्रिया

8. इस जांच में निम्नलिखित वर्णित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया :

(i) प्राधिकारी में पाटनरोधी नियमावली के अनुसार जांच की कार्रवाई प्रारंभ करने से पहले संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन का आरोप लगाते हुए एक आवेदन पत्र की प्राप्ति के सबंध में भारत में संबद्ध देश के राजदूतावासों को अधिसूचित किया ।

(ii) प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच प्रारंभ करते हुए दिनांक 24 सितम्बर, 2013 को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना जारी की ।

(iii) प्राधिकारी ने इस सार्वजनिक सूचना की एक प्रति के साथ एक पत्र सभी ज्ञात निर्यातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों/उद्योग एसोसिएशनों (जिनके विवरण घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) को प्रेषित की और उन्हें पाटनरोधी नियमावली के अनुसार निर्धारित समय सीमा के अंदर अपने विचारों से लिखित रूप से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया।

(iv) प्राधिकारी ने आवेदन पत्र के अगोपनीय पाठ की प्रति पाटनरोधी नियमावली के अनुसार संबद्ध देश में सभी ज्ञात निर्यातकों को उपलब्ध कराई। इस आवेदन पत्र की एक प्रति अनुरोध करने पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई गई।

(v) संबद्ध देश में निर्यातकों/उत्पादकों को प्रेषित पत्र एवं निर्यातक प्रश्नावलियों की प्रतियां ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की एक सूची के साथ भारत में संबद्ध देश के राजदूतावास को यह अनुरोध करते हुए प्रेषित की कि वे संबद्ध देश के सभी ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों तथा संबद्ध देश के अन्य निर्याताकों/उत्पादकों को यह सुझाव दें कि वे निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत प्रश्नावलियों का प्रत्युत्तर दें।

(vi) प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुसार संबद्ध देशों के निम्नलिखित निर्यातकों को संगत जानकारी प्रदान कराने के लिए निर्यातक प्रश्नावलियां प्रेषित की।

(vii) प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों को संगत सूचना प्रदान कराने के लिए निर्यातक प्रश्नावलियां प्रेषित की :

(क) थाई एक्रिलिक फाइबर कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड

(ख) हनिल सिंथेटिक फाइबर कंपनी लिमिटेड, कोरिया आरपी

(ग) ताइक्वांग इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड, कोरिया आरपी

(viii) उपर्युक्त अधिसूचना के प्रत्युत्तर में थाईलैंड के केवल एक निर्यातक अर्थात मैसर्स थाई एक्रिलिक फाइबर कंपनी (जिसे एतद्पश्चात थाई एक्रिलिक या टीएएफ कहा गया है) ने ही निर्यातक प्रश्नावली का प्रत्युत्तर दिया ।

(ix) विदेश व्यापार विभाग, थाईलैंड सरकार ने भी इस जांच शुरूआत पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की।

(x) प्राधिकारी ने इस सार्वजनिक सूचना की एक प्रति संबद्ध वस्तु के भारत में निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/उपयोक्ताओं/उपयोक्ता एसोसिएशनों (जिनके नाम और पते प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए थे) को प्रेषित की और उन्हें यह सलाह दी गई कि वे नियम 6(4) के अनुसार इस पत्र के जारी होने की तारीख से चालीस दिनों के अंदर अपने विचारों से लिखित रूप से अवगत करा दें :

(क) राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड

(ख) वर्धमान स्पनिंग एंड जनरल मिल्स

(ग) दीपक स्पिनर्स लिमिटेड

(घ) माल्वा काटन स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड

(ङ) शिवालय स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड

(च) दीपक स्पिनर्स लिमिटेड

(छ) शिवा फेब्रीकेटर (प्राइवेट) लिमिटेड

(ज) सुप्रीम टेक्स मार्ट लिमिटेड

(झ) योगेन्द्र वर्स्टेड लिमिटेड

(ञ) श्री राजस्थान सिंटेक्स लिमिटेड

(ट) बांसवाडा सिंटेक्स लिमिटेड

(ठ) गंगा एक्रोवूल्स लिमिटेड

(ड) शीतल फाइबर्स लिमिटेड

(ढ) अरिसूदन इंडस्ट्रीज लिमिटेड

(ण) स्पोर्ट किंग इंडिया लिमिटेड

(त) टेक्सास वूलेन मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड

(थ) जिन्दल कोटेक्स लिमिटेड

(द) गर्ग एक्रिलिक्स लिमिटेड

(xi) निम्नलिखित ने जांच शुरूआत के पश्चात अपने विधिक प्रस्तुतिकरण किए :

(क) वनायक स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, लुधियाना

(ख) स्पोर्टकिंग इंडिया लिमिटेड, लुधियाना

(ग) वीनस टेक्सिपन लिमटेड, लुधियाना, और

(घ) गंगा वूल्स लिमिटेड, लुधियाना

(xii) वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013 तक है। तथापि, क्षति विश्लेषण के संबंध में प्रवृत्तियों की जांच में वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और जांच की अवधि को भी शामिल किया जाएगा ।

(xiii) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकीय निदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया कि वह भारत में, जांच की अवधि सहित, पिछले तीन वर्षों में हुए संबद्ध वस्तु के आयातों का विवरण प्रदान कराए। डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रदान कराई गई सौदेवार आयात सूचना को इस जांच के प्रयोजनार्थ अपनाया गया ।

(xiv) प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय पाठ नियम 6(7) के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए एक खुली फाइल में रखा गया ।

(xv) प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार मौखिक रूप से व्यक्त करने का अवसर देने के लिए दिनांक 5 अगस्त, 2014 को एक सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन किया। जांच की शुरूआत के पश्चात प्रत्युत्तर देने वाले हितबद्ध पक्षकारों के अलावा संबद्ध वस्तु के भारी संख्या में अन्य आयातकों/प्रयोक्ताओं, जिन्होंने जांच शुरूआत के पश्चात प्रत्युत्तर नहीं दिया था, ने प्राधिकारी से अनुरोध किया कि वह उन्हें मौखिक सुनवाई में भाग लेने की अनुमति प्रदान करें। उन्हें प्राधिकारी की अनुमति से अपने प्रतिनिधिक निकाय पंजाब स्पिनर्स एसोसिएशन के जरिए मौखिम सुनवाई में प्रतिभागिता करने की अनुमति दी गई। फोरम आफ एक्रिलिक फाइबर मैन्यूफैक्चरर्स, नई दिल्ली और निटवियर क्लब, लुधियाना ने भी इस मौखिक सुनवाई में भाग लिया। कुछ व्यक्तिगत आयातकों/प्रयोक्ताओं ने भी इस सार्वजनिक सुनवाई में भाग लिया ।

(xvi) इस सार्वजनिक सुनवाई में मौखिम रूप में अपने विचार व्यक्त करने वाले अपने पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने विचारों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करें। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जांच की कार्रवाई और सार्वजनिक सुनवाई के दौरान किए गए प्रस्तुतिकरणों का प्राधिकारी द्वारा संगत समझी गई सीमा तक इस अंतिम जांच परिणम के उपयुक्त पैराग्राफों में समाधान कर दिया गया है ।

(xvii) प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु की भारत में उत्पादन लागत तथा गैर क्षतिकारी कीमत का निर्धारण करने के लिए अनुबंध-III में विनिर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर घरेलू उत्पादक द्वारा प्रस्तुत सूचना की यथासंभव सीमा तक जांच की है ताकि यह सुनिश्चय किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से न्यूनतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा ।

(xviii) प्रतिवादी निर्यातकों और आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना और आंकड़ों का सत्यापन आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया ।

(xix) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान कराई गई सूचना की प्राधिकारी द्वारा गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां कही आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावे को स्वीकार कर लिया और ऐसी सूचना को गोपनीय के रूप में माना गया तथा उसका प्रकटन नहीं किया गया। जहां कहीं संभव हुआ वहां हितबद्ध पक्षकारों को यह निदेश दिया गया कि वे गोपनीय आधार पर प्रदान कराई गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ भी प्रस्तुत करे ।

(xx) जहां कही किसी हितबद्ध पक्षकार ने सूचना तक पहुंच की मनाही की है या वर्तमान जांच की कार्रवाई के दौरान आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई है या जांच में पर्याप्त अवरोध उत्पन्न किया है वहां प्राधिकारी ने इस अनिवार्य तथ्यों को "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर रिकार्ड किया और इन पक्षकारों को असहयोगकर्ता पक्षकार के रूप में माना ।

(xxi) इस जांच में अनिवार्य तथ्यों युक्त एक प्रकटन विवरण, जिसे अंतिम जांच परिणाम का आधार माना गया, दिनांक 16.03.2015 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को जारी किया गया। घरेलू उद्योग तथा विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटन पश्चात प्राप्त विवरण प्रस्तुतिकरणों पर इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में संगत पाई गई सीमा तक विचार किया गया है ।

(xxii) घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जांच की अवधि के दौरान किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत पाए गए प्रस्तुतिकरणों की जांच की गई और उनका इस जांच में निराकरण कर दिया गया ।

(xxiii) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना एवं आंकड़ों का आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया है ।

(xxiv) केंद्रीय सरकार ने प्राधिकारी के अनुरोध पर इस जांच को पूरा करने की समय-सीमा दिनांक 23.03.2015 तक बढ़ी दी है ।

(xxv) इस जांच की अवधि के दौरान विनिमय दर 54.65/-रुपया = 1 अमरीकी डालर अपनाई गई है ।

(xxvi) इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में *** हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान कराई गई सूचना का प्रतिनिधित्व करती है और नियमों के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा उसे वैसा ही माना गया है ।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

9. मूल जांच और उसके उत्तरवर्ती समीक्षा जांचों में अंतर्ग्रस्त उत्पाद एक्रिलिक फाइबर है। एक्रिलिक फाइबर, एक्रिनोनाइट्राइल, जो एक्रिलिक फाइबर का उत्पादन करने के लिए मुख्य कच्चा माल होता है, के भारत का कम से कम 90 प्रतिशत तक सिंथेटिक पालीमर की दीर्घ श्रृंखला होती है। इसे विशेषत: रंग, लंबाई और फाइबर के डिनायर के अनुरूप वर्णित किया जाता है। इसका प्रयोग अपैरल्स, घरेलू मदों आदि का विनिर्माण करने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसका बड़ा औद्योगिक उपयोग भी होता है। इसे सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 55 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। जहां तक इसका इस उत्पाद से संबंध है एक्रिलिक फाइबर का सीमाशुल्क वर्गीकरण 5501.3000, 5503.3000 और 5506.3000 है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह किसी भी रूप में वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों के विचार

विदेश व्यापार विभाग, थाईलैंड सरकार के विचार

10. एक्रिलिक फाइबर कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड ऐसी स्पेशियलिटी एक्रिलिक फाइबर का विनिर्माण करती है, जिसका भारत के घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन नहीं किया जाता है और इसलिए इन उत्पादों से घरेलू उद्योग को कोई क्षति कारित नहीं हो सकती है।

मैसर्स थाई एक्रिलिक कंपनी लिमिटेड थाईलैंड तथा अन्य विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों के विचार

11. मैसर्स थाई एक्रिलिक कंपनी लिमिटेड थाईलैंड तथा अन्य विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों के विचार निम्नलिखित हैं :

(क) चयनित उत्पाद का दायरा बहुत व्यापक है और इसके समुचित रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। इस जांच के दायरे में न केवल सभी प्रकार के एक्रिलिक फाइबर को इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना शामिल किया गया है कि क्या इनका घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किया जा रहा है या नहीं, परंतु इसके मूल्यवर्धित उत्पादों को भी शामिल किया गया है, जो पाटनरोधी नियमावली और विनियमों की मूल भावनाओं के ही विपरीत है।

(ख) इस जांच के दायरे से उन उत्पादों का अपवर्जन कर दिया जाना चाहिए जिनका भारत में घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्माण नहीं किया जाता है और जिसके लिए देश में तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता है क्योंकि घरेलू उद्योग इन उत्पादों के आयातों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। साथ ही, यह विशेषज्ञतापूर्ण उत्पाद प्रयोक्ता उद्योग के लिए अति महत्वपूर्ण हैं।

(ग) एक्रिलिक टॉप एक मूल्य वर्धित उत्पाद है और इसलिए इसका जांच के दायरे और परिधि से अपवर्जन कर दिया जाना चाहिए।

(घ) सीएफसीएल (कन्सालिडेटेड फाइबर्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड) और वर्धमान एक्रिलिक लिमिटेड (वीएएल) दो ऐसी कपंनियां हैं जो भारत में "एक्सलान" टेक्नालोजी फाइबर का विनिर्माण करती है। इस तरह के फाइबर को विकसित काटन स्पिनिंग सेक्टरों द्वारा बहुत अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि यह यार्न को विशेष फील और बल्क प्रदान करता है। एक्रिलिक इंडिया लिमिटेड (आईएएल) और पशुपति एक्रिलान लिमिटेड द्वारा बनाया गया यार्न लिम्पी और न्यून बल्क का होता है तथा इसलिए इसे विकसित काटन स्पिनिंग सेक्टर में पसंद नहीं किया जाता है।

(ङ) आईएएल के (डयुपांट टेक्नोलोजी) फाइबर का उपयोग अधिकांशत: शाल/वीविंग सेक्टर में किया जाता है जो अत्यधिक मुलायम और रेशेदार (लिम्पी) यार्न का उत्पादन करता है। इस यार्न में स्टैडिंग नहीं होती है और इसलिए इसका स्वेटर बनाने के लिए ज्यादा प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अपने ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए घरेलू उद्योग एक्रिलिक फाइबर की खरीद थाईलैंड से करता रहा है (सीवाई 2011 : 103.3 एमटी, सीवाई 2012 : 254.5 एमटीका उनके द्वारा आयात किया गया था)। (कृपया नोट करें कि यह गोपनीय आंकड़े हैं और उनका निग्रहण करने की जरूरत नहीं है)।

(च) पीएएल की (स्निया टेक्नालोजी) फाइबर का प्रयोग रेडी टू यूज कोन सेक्टर में किया जाता है जिसका प्रयोग मुख्यतया अनुकर्षण (टाउ) ब्रेकिंग सुविधाओं युक्त ग्राहकों द्वारा किया जाता है। पीएएल से बनाए गए फाइबर में अच्छी बल्किंग विशेषताएं नहीं होती हैं जैसी कि एक्सलान फाइबर में होती हैं जो विकसित सूती वस्त्र मिलों की एक पूर्वापेक्षा होती है।

(छ) भारत में एक्सलान फाइन की कुल मांग 35000 एमटी की होती है जबकि वीएएल केवल 18,000 एमटी फाइबर का ही उत्पादन करता है और इस प्रकार प्रतिवर्ष 17,000 एमटी की कमी रह जाती है।

(ज) सीएफसीएल (12केटी क्षमता) के बंद होने के पश्चात, यार्न के विनिर्माताओं ने इसको थाई एक्रिलिक फाइबर से प्राप्त करना शुरू कर दिया।

(झ) पीएएल और आईएएल मुख्यत: टाव का ही विनिर्माण करते हैं, जबकि वीएएल, केवल फाइबर का विनिर्माण करता है। यह पृथक्करण तीनों कंपनियों के परस्पर अनन्यत: अंतिम प्रयोग के कारण होता है। पुन: यह नोट किया जाना चाहिए कि थाई एक्रिलिक फाइबर केवल नार्मल क्वालिटी के एक्सलान फाइबर का और अपने मूल्यवर्धित उत्पाद सेगमेंट में केवल सुपरस्पेशियलिटी टाव ही निर्यात करता है जिसका भारत में विनिर्माण नहीं किया जाता है।

(ञ) वर्धमान ग्रुप जर्मनी से स्पेशियलिटी फाइबर का भारी मात्रा में आयात करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इन स्पेशियलिअी उत्पादों का परस्पर अनन्य प्रयोग होता है। वर्धमान ग्रुप का ड्रालान जीएमबीएच के साथ अनन्यत: व्यवस्था है, जिसके द्वारा भारत का कोई अन्य यार्न विनिर्माता ड्रालान से आयात नहीं कर सकता है।

घरेलू उद्योग के विचार

12. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए विचार निम्नलिखित हैं :

(क) एक्रिलिक फाइबर का आशय एक्रिलिक स्टैपल फाइबर, एक्रिलिक टाव फाइबर और एक्रिलिक टॉप फाइबर से होता है। एक्रिलिक स्टैपल फाइबर, एक्रिलिक टाव फाइबर और एक्रिलिक टॉप फाइबर को वाणिज्यिक बोलचाल की भाषा में एक्रिलिक फाइबर के रूप में जाना जाता है। एक्रिलिक स्टैपल फाइबर और एक्रिलिक टाव में केवल अंतर लंबाई की भिन्नता का होता है। 2 मीटर से अधिक लंबाई होने की स्थिति में इसे टाव के रूप में जाना जाता है और इसकी लंबाई टुकड़ों में होने पर उसे स्टैपल फाइबर के रूप में जाना जाता है। वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है। पिछली जांचों में और वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में अंतर्ग्रस्त उत्पाद वही है जिसको निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपनी पिछली जांचों में धारित किया गया हैं) को सीमाशुल्क किया गया है। एक्रिलिक फाइबर (जिसके टाव, टैप और स्टैपल शामिल होते हैं) को सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 55 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। जहां तक इसका संबंध इस उत्पाद से है एक्रिलिक फाइबर का सीमाशुल्क वर्गीकरण 5501.3000, 5502.3000 और 6606.3000 होता है।

(ख) इन पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दे का समाधान प्राधिकारी द्वारा आयोजित कई जांचों में कर दिया गया है। यह जांच तृतीय निर्णायक समीक्षा जांच है। इसके अतिरिक्त, कई अन्य देशों के संबंध में भी जांच की गई है। प्राधिकारी ने विगत में किसी भी उत्पाद प्रकार के लिए कोई अपवर्जन प्रदान नहीं किया है। चूंकि वर्तमान जांच केवल निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए किसी भी हाल में प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के दायरे को प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण तर्क का आशय प्रस्तावित साधनों में कोई न कोई कमी सृजित करना है ताकि पाटनरोधी शुल्क की परिवंचना की जा सके। इसके अतिरिक्त, जहां तक निर्यातों के लिए किए गए आयोग का संबंध है, निर्दिष्ट प्राधिकारी, किसी भी हाल में, उसकी अनुमति पाटनरोधी शुल्क का भुगतान किए बिना ही दे रहे हैं।

(ग) प्राधिकारी द्वारा इस उत्पाद के दायरे का निर्धारण विगत में की गई जांचों में पहले ही कर दिया गया है जहां प्राधिकारी ने यह उपपादित किया है कि किसी भी स्पेशियालिटी फाइबर का अपवर्जन करने की जरूरत नहीं है। एक्रिलिक टाप का अपवर्जन करने के संबंध में थाई एक्रिलिक फाइबर के तर्क को प्राधिकारी द्वारा की गई पिछली जांचों और थाई एक्रिलिक फाइबर कंपनी लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी (अपील संख्या एडी 14/2009 में दिनांक 30.4.2010 के अंतिम आदेश संख्या एडी/5/2010 (पीबी) मामले में सेस्टेट के निर्णय को ध्यान में रखते हुए नामंजूर कर दिया जाना चाहिए जिसमें न्यायाधिकरण ने यह उपपादित किया कि एक्रिलिक टाव और एक्रिलिक टाप भी एक्रीलिक फाइबर ही हैं।

(घ) थाई एक्रिलिक फाइबर के लिए तथाकथित अधिमानता के बावजूद सीएफसीएल को अपना प्रचालन बंद करना पड़ा क्योंकि कंपनी को देश में इस उत्पाद का पाटन होने के कारण क्षति सहन करनी पड़ी है। अत:, थाई एक्रलिक फाइबर के लिए तथाकथित अधिमानता के दावे के बावजूद कंपनी को अपना प्रचालन बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके अतिरिक्त, नियमों के अंतर्गत, विधिक अपेक्षा यह है कि क्या घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु थाईलैंड से भारत में आयातित वस्तु के समान वस्तु है। इस मुद्दे का प्राधिकारी द्वारा अपनी पिछली जांचों में अच्छी तरह से समाधन कर दिया गया है जिनमें यह स्पष्ट रूप से उपपादित किया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु थाईलैंड तथा अन्य देशों से आयातित वस्तु के समान वस्तु है।

(ङ) "अन्य भारतीय उत्पादकों" की बिक्री में वर्ष 2006-07 में गिरावट आ गई और वर्ष 2007-08 से कोई बिक्री नहीं हुई, जबकि वर्ष 201-12 से थाईलैंड से आयातों में वृद्धि होना शुरू हो गई। इसलिए, यह कहना गलत है कि थाईलैंड से आयातों में वृद्धि सीएफसीएल बंद होने के पश्चात हुई है।

(च) मैसर्स शिवालय स्पिनिंग द्वारा मौखिक सुनवाई के दौरान किए गए प्रस्तुतिकरण के विपरीत हैं कि भारत में (पीएएल, वीएएल और आईएएल नामक) तीनों कंपनियों के अंतिम प्रयोग के विभिन्न सेक्टरों में ग्राहक हैं और वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा लगभग नहीं कर रही है। मैसर्स शिवालय स्पिनिंग ने यह माना है कि वे फाइबर की खरीद इन तीनों उत्पादकों से कर रहे थे। किसी भी हाल में अगर यह मान भी लिया जाए कि उनके बाजार प्रखंड अलग-अलग हैं फिर भी कतिपय बाजार प्रखंडों में कतिपय उत्पादकों की मौजूदगी का आशय यह नहीं है कि वे उत्पाद भिन्न-भिन्न है।

(छ) सभी तीनों याचिकाकर्ता स्टैपल फाइबर, टाव और टाप तीनों का ही उत्पादन करते हैं।

(ज) वर्धमान ही जर्मनी से आयात करने वाला एकमात्र आयातक नहीं है। जर्मनी के आपूर्तिकर्ताओं के साथ कोई अनन्य व्यवस्था नहीं है। जर्मनी से पक्षकार-वार आयात को दर्शाने वाला एक विवरण प्राधिकारी को प्रदान किया गया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

13. वर्तमान समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद एक्रिलिक फाइबर है। एक्रिलिक फाइबर सिंथेटिक पालियर की एक दीर्घ श्रृंखला होती है जिसमें एक्रिलोनाइट्राइल, जो एक्रिलिक फाइबर का उत्पादन करने के लिए एक प्रमुख कच्चा माल है, के भार द्वारा कम से कम 90 प्रतिशत संघटक होते हैं। इसे मोटे तौर पर फाइबर के रंग, लंबाई और डेनियर द्वारा वर्णित किया जाता है। इसका प्रयोग अपैरल, घरेलू वस्तुओं के विनिर्माण के लिए किया जाता है और इसका औद्योगिक उपयोग बहुत अधिक होता है। इसे सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम,1975 के अध्याय 55 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

14. विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों के विभिन्न तर्कों के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि :

(i) इस उत्पाद के दायरे का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अपनी विगत की जांचों में पहले ही किया जा चुका है जिनमें प्राधिकारी ने यह प्रतिपादित किया कि उत्पाद के दायरे से किसी स्पेशियलिटी फाइबर का अपवर्जन करना अपेक्षित नहीं है। यह नोट किया जाता है कि थाई एक्रिलिक फाइबर ने अपने उत्पाद का उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी जापान से प्राप्त की है और जापान के उत्पादकों ने भी पहली जांच में अपवर्जन करने के लिए ऐसे ही दावे किए थे। तत्पश्चात, संबद्ध वस्तु के जापान से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित कर दिया है। प्राधिकारी ने इन स्पेशियलिटी फाइबरों के लिए जापान के उत्पादकों को भी छूट प्रदान नहीं की है। जहां तक इस तर्क का संबंध है कि एक्रिलिक टाप एक मूल्यवर्धित उत्पाद है और इसलिए उसे विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर मानना चाहिए, यह नोट किया जाता है कि सेस्टैट ने थाई एक्रिलिक कंपनी लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में अपील संख्या एडी/14/2009 में दिनांक 30.04.2010 के अंतिम आदेश संख्या एडी/5/2010 (पीवी) मामले में अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपपादित किया है कि अध्याय 55 में (मानव निर्मित स्टैपल) फाइबरों और एक्रिलिक फाइबर, दोनों के कारण को कवर किया है। एक्रिलिक टाव, एक्रिलिक स्टैपल फाइबर और एक्रिलिक टाप सभी अध्याय 55 के अंतर्गत आने वाले एक्रिलिक फाइबर हैं और इसलिए पाटनरोधी अधिसूचना के अंतर्गत इन सभी उत्पादों, जो अध्याय 55 के अंतर्गत एक्रिलिक फाइबर हैं, के कवरेज की मनाही नहीं की जा सकती है। अत: प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क की परिधि से स्पेशियलिटी फाइबरों को अलग करना उपयुक्त नहीं होगा।

(ii) यह तर्क दिया गया है कि विभिन्न उत्पादक विभिन्न उत्पाद प्रकारों की बिक्री कर रहे हैं और वह उत्पाद विभिन्न बाजार सेगमेंटों में जा रहे हैं। तथापि, तीन याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा उत्पादित और बिक्री किया जा रहा उत्पाद और थाईलैंड से आयातित उत्पाद "एक्रिलिक फाइबर" है। विभिन्न बाजार सेगमेंटों की उपस्थिति का आशय यह नहीं है कि उत्पाद अलग-अलग है। जहां तक याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा उत्पादित और बिक्री किए गए एक्रिलिक फाइबर का संबंध है, उसका क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ विभिन्न उत्पाद प्रकारों में पृथक्करण नहीं

किया जा सकता है। प्राधिकारी को घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किए गए और बेचे गए समान उत्पाद से संबंधित उत्पादन एवं बिक्री के आंकड़ों पर विचार करके ही किया जा सकता है।

(iii) विगत जांचों में यह स्थापित किया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु संबद्ध देशों तथा अन्य देशों से आयातित वस्तु के समान वस्तु है। सभी तीनों याचिकाकर्ता स्पेशियलिटी फाइबर का उत्पादन करते हैं।

(iv) इसलिए, प्राधिकारी यह उपपादित करते हैं वर्तमान समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद का दायरा वहीं रहेगा जो विगत जांचों में था।

(घ) : घरेलू उद्योग का आधार एवं दायरा

15. यह याचिका मैसर्स इंडिया एक्रिलिक लिमिटेड, मैसर्स वर्धमान एक्रिलिक लिमिटेड और मैसर्स पशुपति एक्रिलान लिमिटेड हैं। सभी याचिकाकर्ता कंपनियों ने अपनी लागत करण एवं क्षति सूचना दायर की हैं।

विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों के विचार

16. मैसर्स इंडियन एक्रिलिक लिमिटेड ने इस विचाराधीन उत्पाद का आयात थाई एक्रिलिक से किया है जिसकी प्रमात्रा का प्रकटन नहीं किया गया है। यद्यपि भारतीय एक्रिलिक द्वारा किए गए आयात अग्रिम अनुज्ञापत्र (डीएफआईए स्कीम) के अंतर्गत प्रभावित थे, फिर इन वस्तुओं का स्वदेशी रूप से आसानी से अधिप्रापण किया जा सकता है और एआरओ ऐसे आपूर्तिकर्ता को जारी किया जा सकता है जिसके विदेश व्यापार नीति में प्रकल्पना की गई है।

घरेलू उद्योग के विचार

17. यह याचिका मैसर्स इंडियन एक्रिलिक लिमिटेड, मैसर्स वर्धमान एक्रिलिक लिमिटेड और मैसर्स पशुपति एक्रिलान लिमिटेड द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं को जांच की अवधि में भारतीय उत्पादन में 100 प्रतिशत हिस्सा है और इसलिए वे घरेलू उद्योग कहे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, निर्णायक समीक्षा के मामले में आधार की जांच करना अपेक्षित नहीं होता है।

18. घरेलू उद्योग पुन: यह दावा करता है कि इंडियन एक्रिलिक ने संबद्ध वस्तु का थाईलैंड से अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत आयात किया है। भारत में विचाराधीन उत्पाद के सकल आयात, इंडियन एक्रिलिक द्वारा उत्पादन और भारतीय उत्पादन तथा एक्रिलिक फाइबर की खपत पर विचार करते हुए इसके अतिरिक्त, कंपनी का मुख्य फोकस व्यापार की ओर नहीं मुड़ा है। व्यापार करना कंपनी का प्रधान कार्यकलाप नहीं है और आयात भारत सरकार की शुल्क छूट/माफी स्कीम के अंतर्गत किए जाते हैं। निरमा लिमिटेड बनाम सेंट गोबैन ग्लास इंडिया लिमिटेड के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय और गुजरात फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया जा सकता है जिनमें यह प्रतिपादित किया गया है कि नियम 2(ख) के अंतर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी को विवेकाधिकार प्राप्त है और दिनांक 27 फरवरी, 2010 के संशोधन से प्राधिकारी की विवेकाधिकार शक्ति को समाप्त नहीं किया गया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

19. वर्तमान मामले में याचिका मैसर्स इंडियन एक्रिलिक लिमिटेड, मैसर्स वर्धमान एक्रिलिक लिमिटेड और मैसर्स पशुपति एक्रिलान लिमिटेड द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं को जांच की अवधि में भारतीय उत्पादन में 100 प्रतिशत हिस्सा है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है।

20. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी यह पाते हैं कि इंडियन एक्रिलिक्स ने संबद्ध वस्तु का आयात किया है और वह आयात शुल्क छूट स्कीम के अंतर्गत किया गया है, और इस आयात मात्रा की उनके उत्पादन, भारतीय उत्पादन और देश में मांग के साथ तुलना करने पर यह कहा जा सकता है कि यह आयात बहुत कम है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि कंपनी का मुख्य फोकस व्यापार की ओर नहीं मुड़ा है। निरमा लिमिटेड बनाम सेंट गोबैन ग्लास इंडिया लिमिटेड के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियम 2(ख) के अंतर्गत विवेकाधिकार प्राप्त है और दिनांक 27.02.2010 के संशोधन से प्राधिकारी की विवेकाधिकार शक्ति को समाप्त नहीं किया गया है। जहां तक इस तर्क का संबंध है कि कंपनी एआरओ के

अंतर्गत अपने उत्पाद को सोर्स कर सकती है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत उपलब्ध स्कीमों में से किसी एक स्कीम का उपयोग करना कंपनियों का अपना निर्णय होता है। प्राधिकारी लगातार यह प्रतिपादित करते आए हैं कि यदि वसतु का अधिप्राप्त शुल्क छूट स्कीम के अंतर्गत किया गया है तो इससे घरेलू उद्योग के भाग के रूप में विचार किए जाने से घरेलू उद्योग के हक को छीना नहीं जा सकता है। हर हाल में, कंपनी द्वारा किए गए आयात की मात्रा, कंपनी द्वारा किए गए उत्पादन, भारत में उत्पादन और भारत में खपत पर विचार करते हुए बहुत ही कम है। इसलिए प्राधिकारी यह उपपादित करते हैं कि इंडियन एक्रिलिक्स नियम 2(ख) के आशय के अंतर्गत एक पात्र घरेलू उद्योग है।

21. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करते हुए प्राधिकारी यह धारित करते हैं कि याचिकाकर्ता कंपनियों अर्थात वर्धमान एक्रिलिक्स, पशुपति एक्रिलान और इंडियन एक्रिलिक्स का उत्पादन भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है। इसलिए, याचिकाकर्ता कंपनियां पाटनरोधी नियमावली के आशय के अंतर्गत घरेलू उद्योग हैं और उनका नियमों के अंतर्गत आधार भी बनता है।

ड. विविध मुद्दे

विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों के विचार

22. विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों के विचार निम्नलिखित है :

(क) भारत में पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता 15 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए बनाए रखने का कोई मामला नहीं है। इसलिए शुल्क का समय विस्तार नहीं किया जाना चाहिए।

(ख) दोहा करार 2007 में शुल्क की अवधि के संबंध में डब्ल्यूटीओ चेयर टेक्स्ट में भारत ने इस विचार का समर्थन किया था कि शुल्क सेल बैटरी से संबंधित एक पाटनरोधी जांच में प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि पाटनरोधी शुल्क को 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।

(ग) वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच त्रुटिपूर्ण (जांच की अवधि अप्रैल, 2012 से मार्च, 2013) है। विधि यह निर्धारित करती है कि निर्णायक समीक्षा जांच में जांच की अवधि उस समय के साथ समाप्त होनी चाहिए जो पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की तारीख के यथासंभव निकट हो। अत:, यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी को किसी पाटन और क्षति की संभावना का निर्धारण अद्यतन आंकड़ों की (जुलाई, 2013 से जून, 2014 तक के) जांच करके करना चाहिए।

(घ) याचिका में अत्यधिक गोपनीयता दावा की गई अर्थात इंडियन एक्रिलिक्स लिमिटेड द्वारा किए गए आयातों का बिल्कुल भी खुलासा नहीं किया गया है।

(ङ) प्रमुख पणधारी को सार्वजनिक सुनवाई की सूचना दी जानी चाहिए और उसे उसमें भाग लेने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। तथापि, 22 जुलाई को ऐसा नहीं किया गया।

(च) वर्तमान जांच प्रारंभ करते समय, पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3)(ख) के अंतर्गत अपेक्षाओं का विधिवत अनुपालन नहीं किया गया है।

(छ) आवेदकों का यह दावा है कि "पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता केवल तभी समाप्त की जा सकती है जब प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति करने/उसकी निरंतरता को समाप्त करने से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति की निरंतरता नहीं बनी रहेगी अथवा उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी।" तथापि, धारा 9क(5) के अनुसार यह विवेकाधिकार प्राधिकारी में निहित है कि वह शुल्क का समय विस्तार करें या नहीं।

(ज) मिस्र ने केवल रंजक फाइबरों की ही आपूर्ति की है।

(झ) यदि आवेदकों को पाटनरोधी शुल्क लगे होने के बावजूद वास्तव में क्षति हो रही थी तो उन्होंने उन समय लागू उपाय में उपयुक्त संवर्धन करने की मांग करते हुए प्राधिकारी के समक्ष मध्यावधि समीक्षा जांच की मांग करते हुए आवेदन क्यों नहीं दायर किया।

(ञ) आवेदकगण उपभोक्ताओं को सामने आने से वंचित कर रहे हैं और अपने हितों की रक्षा कर रहे हैं।

(ट) एक्रिलिक फाइबर का विनिर्माण करने के लिए कच्चे माल की उच्च लागत के कारण फाइबर, पालियस्टर, विस्कोस और काटन की तुलना में पहले से ही अधिक महंगा हो गया है।

(ठ) इसके अतिरिक्त, फाइबर की उच्च कीमत के परिणामस्वरूप यार्न का आयात करना पड़ा, जिससे घरेलू और निर्यात बाजार में अनुप्रवाही उद्योग को वृद्धि रूक गई।

(ड) विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण, रुपए के मूल्य में पाटनरोधी शुल्क बढ़ गया है।

(ढ) फाइबर विनिर्माता प्रयोक्ता मांग की कमी को पूरा करने के लिए एक्रिलिक फाइबर का आयात कर रहे हैं। वे एक्रिलिक फाइबर का अल्प कीमत पर निर्यात भी कर रहे हैं और अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत उसका आयात भी कर रहे हैं।

(ण) बंगला देश ने स्वेटर विनिर्माण में ख्याति अर्जित कर ली है क्योंकि वे एंटी पाइलिंग, कान्जुगेट, जेल डायड आदि से बने अच्छी गुणवत्ता वाले स्पेशियलिटी यार्न की खरीद अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर कर सकते हैं।

घरेलू उद्योग के विचार

23. घरेलू उद्योग के विचार निम्नलिखित है :

(क) थाई एक्रिलिक फाइबर ने आज की तारीख तक प्रश्नावली प्रत्युत्तर भाग-II दायर नहीं किया है।

(ख) प्राधिकारी ने जांच शुरूआत के स्तर पर सार्वजनिक सूचना जारी नहीं की है। यह हितबद्ध पक्षकारों के लिए था कि वह प्राधिकारी को प्रत्युत्तर दें और जांच में प्रतिभागिता करें। यदि इन हितबद्ध पक्षकारों ने जांच शुरूआत नोटिस का प्रत्युत्तर न देने का चयन कर लिया हो और जांच शुरूआत के स्तर से ही प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर ने करके प्रतिभागिता न की हो तो इन पक्षकारों को इस स्तर पर ऐसा कोई अधिकार अवाप्त नहीं हो जाता है।

(ग) यह तर्क निराधार है कि फाइबर की उच्च कीमतों के परिणामस्वरूप यार्न का आयात हुआ है। वास्तव में, देश में यार्न का आयात न्यूनतम होता है। यार्न का आयात दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है। किसी भी हाल में यदि यार्न के आयात कम कीमतों पर हो रहे हैं तो उपभोक्तागण इस संबंध में याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(घ) विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के मुद्दे का अच्छी तरह से निर्धारण कर दिया गया है। विनिमय दर में परिवर्तन होने के साथ ही घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में भी परिवर्तन हो जाता है। अत:, विनिमय दर का प्रभाव वरणात्मक रूप से न केवल विचाराधीन उत्पाद की बिक्री कीमत पर पड़ता है। बल्कि इसका प्रभाव विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन लागत पर भी पड़ता है।

(ङ) देश में इस उत्पाद की कोई कमी नहीं है। घरेलू उद्योग के पास इस उत्पाद का उत्पादन करने की पर्याप्त क्षमता है। घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात वास्तव में इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि उपभोक्ताओं द्वारा उनका आयात किया जा रहा है।

(च) यदि बंगलादेश ने अच्छी ख्याति अर्जित कर ली है तो क्या उद्योग पर इसका आरोप लगाना चाहिए। निर्यात के लिए किए गए आयातों पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगता है और भारतीय विनिर्माण वही ख्याति अर्जित कर सकता है जैसी बंगलादेश के उत्पादकों द्वारा तथाकथित रूप से अर्जित कर ली गई है। बंगलादेश को निर्यात की मात्रा मास को निर्यात की मात्रा का मुश्किल से ही 25 प्रतिशत है, वह कीमत जिस पर इस वस्तु का निर्यात बंगलादेश को किया गया है भारत को किए गए निर्यात की कीमत से 5 प्रतिशत अधिक है और बंगलादेश को निर्यात भी पाटित कीमतों पर होते हैं।

(छ) एक्रिलिक फाइबर का विनिर्माण करने के लिए कच्चे माल की उच्च लागत का मुद्दा पूर्णतया असंगत है। एक्रिलिक फाइबर, पालियस्टर, विस्कोस और काटन का प्रयोग पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किए जाने के प्रारंभ

से ही किया जा रहा है। इस संबंध में कोई भारी अंतर नहीं आया है। ऐसा मामला होने पर उनके तर्कों में कोई दम नहीं है। हितबद्ध पक्षकार ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो संगत नहीं है।

(ज) वास्तव में यह आश्चर्यजनक है कि थाई एक्रिलिक फाइबर आईएएल द्वारा किए गए आयात की मात्रा का प्रकटन न करने की बात कर रहा है जबकि थाई एक्रिलिक फाइबर ने कंपनी द्वारा भारत को किए गए कुल आयातों का भी खुलासा नहीं किया है जबकि थाई एक्रिलिक फाइबर इस उत्पाद का थाईलैंड से निर्यात करने वाला संभवत: एकमात्र निर्यातक है और थाई एक्रिलिक फाइबर द्वारा किए गए निर्यातों को थाई सीमाशुल्क और भारतीय सीमाशुल्क दोनों द्वारा रिकार्ड और प्रकाशित किया जाता है। वास्तव में, कंपनी द्वारा किए गए निर्यातों की कुल मात्रा के संबंध में किसी भी गोपनीयता का दावा नहीं किया जा सकता है, जब कोई कंपनी किसी देश से किसी उत्पाद की एकमात्र निर्यातक होती है और निर्यातकर्ता एवं आयातकर्ता देशों के सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा संगत सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाती है।

(झ) वास्तव में तो थाई एक्रिलिक फाइबर ने अत्यधिक गोपनीयता का आश्रय लिया है। थाई एक्रिलिक फाइबर द्वारा दायर किया गया निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर न केवल विधिक प्रावधानों के विपरीत है बल्कि यह प्राधिकारी द्वारा जारी व्यापार नोटिस के भी विपरीत है।

(ञ) थाईलैंड ने इसके 1.10 लाख एमटी सकल उत्पादन की तुलना में भारत में 5174 एमटी अवशिष्ट का निर्यात किया है।

(ट) यदि भारत में आयातों का विचार किया जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि थाई एक्रिलिक फाइबर ने दावा किया है कि उसने 4-5 प्रतिशत अपशिष्ट का उत्पादन किया है, यदि यह मान लिया जाए कि उसने अपने संपूर्ण अपशिष्ट का भारत को निर्यात किया है। यह साधारणतया इस कारण से संभव नहीं है कि थाई एक्रिलिक फाइबर ने भी वही प्रौद्योगिकी बनाई है जिसका उपयोग मैसर्स वर्धमान ने किया है। मैसर्स वर्धमान का अपशिष्ट उत्पादन व्यवहार्यत: शून्य है। इन परिस्थितियों के अंतर्गत यह संभव नहीं है कि थाई एक्रिलिक फाइबर संयंत्र 4-5 प्रतिशत अपशिष्ट का उत्पादन करता है।

(ठ) आयातों में यह वृद्धि थाई एक्रिलिक फाइबर द्वारा घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की खपत में समनुरूपी वृद्धि के बिना अपनी क्षमता में वृद्धि करने के कारण हुई है।

(ड) समीक्षा के मामले में नियम 5 प्रभावी नहीं होता है, जैसाकि नियम 23(3) से स्पष्ट है। नियम 5 के प्रावधान पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से संबंधित हैं, जबकि इस उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क पहले से ही लगा हुआ है। द्वितीयत:, याचिकाकर्ता ने विधिवत प्रलेखीकृत याचिका दायर की है, जैसाकि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने जांच शुरूआत नोटिस में उल्लेख किया और उसकी स्वीकृति की है। तृतीयत:, निर्यातक द्वारा किया गया प्रस्तुतिकरण किसी भी हाल में यह सिद्ध नहीं करता है कि यह जांच शुरूआत किसी भी कारण से विधि विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त, कारणात्मक संबंधों का विश्लेषण समीक्षा के स्तर पर करना अपेक्षित नहीं होता है।

(ढ) नियम में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि निर्णायक समीक्षा में जांच की अवधि उस अवधि में समाप्त होनी चाहिए जो पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की तारीख से यथासंभव नजदीक हो। थाई एक्रिलिक फाइबर ने ऐसे विधिक दायित्व का पाठन किया है जो विधि के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं है। वास्तव में अभी हाल ही में मैसर्स कुम्हो पेट्रोकैमिकल्स कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं अन्य [रिट याचिका (सिविल) 1851/2014, सीएम सं. 3866/2014 एवं 3867/2014] में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किया गया निर्वचन का आशय यह है कि निर्णायक समीक्षा की शुरूआत मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पहले की जानी चाहिए।

(ण) विगत में किसी तृतीय निर्णायक समीक्षा के लिए याचिका न होने का आशय यह नहीं है कि घरेलू उद्योग ने उन उत्पादों में उन मामलों में व्याप्त तथ्यों के मद्देनजर पाटनरोधी शुल्क में विस्तार किए जाने की जरूतर पर विचार नहीं किया गया है। वर्तमान मामले से संबंधित तथ्यों में जांच की अवधि के दौरान निरंतर पाटन होने का

स्पष्ट साक्ष्य मौजूद है और यह भी स्पष्ट है कि यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति की निरंतरता बने रहने और उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

(त) शुष्क सेल बैटरियों से संबंधित पाटनरोधी जांच के मामले में प्राधिकारी ने यह विचार किया है कि संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा कोई खास नहीं है और इसलिए यह निष्कर्ष निकाला कि यदि पाटनरोधी शुल्क के समय में विस्तार नहीं किया जाता है तो भी घरेलू उद्योग को क्षति होने की कोई संभावना नहीं है। वर्तमान मामले में थाईलैंड से इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों में समग्र रूप से और भारत में उत्पादन एवं खपत के संगत रूप से भारी वृद्धि हुई है और वे घरेलू उद्योग को क्षति कारित कर रहे हैं।

(थ) घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और निवेश पर प्रतिलाभ में संचयी रूप से क्रमिक गिरावट हुई है। इसके अतिरिक्त, जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में कमी आई है। हर हाल में, प्राधिकारी ने अन्य उत्पादों (चीन से एनटीसीएफ, कोरिया और ताईवान से पीवीसी पेस्ट रेजिन) के संबंध में मध्यावधि समीक्षा आवेदन पत्रों को इस आधार पर नामंजूर किया है कि निर्णायक समीक्षा सम्यक प्रतीत होती है। अत:, घरेलू उद्योग जांच की अवधि में अथवा पूर्ववर्ती वर्ष में भी अपने निष्पादन के आधार पर मध्यावधि समीक्षा की मांग नहीं कर सका।

(द) अधिनियम की धारा 9क(5) के अंतर्गत विवेकाधिकार अधिकांशत: केंद्रीय सरकार का है न कि निर्दिष्ट प्राधिकारी का। यदि प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने अथवा उसकी निरंतरता समाप्त कर देने से पाटन घरेलू उद्योग को क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है तो प्राधिकारी उसे समाप्त करने की सिफारिश नहीं कर सकते हैं। याचिकाकर्ताओं के आवेदन में किए गए प्रस्तुतिकरणों में नियमों के अंतर्गत प्राधिकारी की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। वर्तमान जांच केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं है। वर्तमान जांच प्राधिकारी द्वारा है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

24. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न तर्कों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि :

(क) विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए इस तर्क के संबंध में कि भारत में ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें पाटनरोधी शुल्क 15 वर्ष से अधिक समय के लिए लगाया गया हो और इसलिए शुल्क का समय विस्तार नहीं किया जाना चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अधिनियम और नियमावली में ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है जिसके उपरांत पाटनरोधी शुल्क की अवधि में विस्तार नहीं किया जा सकता है। धारा 9क(5) में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क, यदि उसका पहले प्रतिसंहरण नहीं कर दिया जाता है तो, ऐसे अधिरोपण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात उक्त शुल्क निष्प्रभावी हो जाएगा, बशर्ते कि एक समीक्षा में केंद्रीय सरकार का यह विचार हो कि उक्त शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, तो ऐसे मामले में, केंद्रीय सरकार, समय-समय पर, ऐसे अधिरोपण की अवधि को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाएगी। अत:, विधिक प्रावधानों में यह स्पष्ट है कि यदि यह पाया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति पर दिए जाने की स्थिति में पाटन होने और घरेलू उद्योग को उसके परिणामस्वरूप क्षति होने की संभावना है तो समय-समय पर पाटनरोधी शुल्क का विस्तार किया जा सकता है। घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई याचिका में पाटन एवं उसके परिणामस्वरूप होने वाली क्षति की पर्याप्त सूचना अंतर्निहित है जिसकी जांच की शुरूआत किए जाने से पहले प्राधिकारी द्वारा जांच की गई और प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने यह जांच प्रारंभ की। जहां तक डब्ल्यूटीओ वार्ताओं के दोहा दौर का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि शुल्क की अधिकतम अवधि की सीमा का निर्धारण करने का डब्ल्यूटीओ का कोई निर्णय नहीं है।

(ख) प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निर्णायक समीक्षा जांच में पाटनरोधी शुल्क तब तक अधिरोपित किया जाना अपेक्षित होता है जब तक जांच से यह प्रदर्शित होता हो कि उक्त शुल्क को समाप्त कर देने से पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की प्रसंभावना है।

(ग) शुष्क सेल बैटरी के मामले में प्राधिकारी के निर्णय के संबंध में यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी के निर्णय से यह स्पष्ट नहीं होता है कि यदि पाटन से क्षति हो रही हो या पाटन होने एवं क्षति होने की संभावना बनी हुई हो तब भी पाटनरोधी शुल्क के समय में विस्तार नहीं किया जाना चाहिए। बल्कि, वर्तमान जांच में दर्शाया गया है कि पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति की निरंतरता बनी हुई है। वर्तमान जांच के तथ्य शुष्क सेल बैटरी जांच के तथ्यों से पूर्णतया भिन्न है। शुष्क सेल बैटरियों में प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि घरेलू उद्योग को क्षति कारित करने वाला पाटन होने की कोई संभावना नहीं थी और इसलिए प्राधिकारी ने यह माना कि शुल्क की अवधि में और अधिक विस्तार करने की जरूरत नहीं है।

(घ) इस तर्क के संबंध में कि विधि में यह प्रावधान है कि निर्णायक समीक्षा जांच की कार्रवाई ऐसी अवधि से समाप्त होनी चाहिए जो पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की तारीख से यथासंभव निकट हो, यह नोट किया जाता है कि नियमावली के साथ पठित अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप, निर्णायक समीक्ष की शुरूआत मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पहले की जानी चाहिए। निर्णायक समीक्षा मामले में जांच की अवधि के संबंध में और शुल्क की समाप्ति के साथ इसके संबंध के बारे में कोई विधिक प्रावधान नहीं है।

(ङ) गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने जहां कहीं आवश्यक हुआ वहां गोपनीयता प्रदान की है और उक्त सूचना को गोपनीय के रूप में माना गया है और उसका हितबद्ध पक्षकारों को प्रकटन नहीं किया गया है। जहां कहीं संभव हुआ वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान कराने वाले पक्षकारों को यह निदेश दिया गया कि वे गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ प्रदान कराए। आयात की मात्रा से संबंधित सूचना संवेदनशील व्यवसाय सूचना है। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि प्रतिवादी निर्यातक थाईलैंड में एकमात्र उत्पादक होने के बावजूद कंपनी ने भारत को अपने निर्यात की मात्रा का प्रकटन इस दावे के आधार पर नहीं किया कि यह उसकी गोपनीय सूचना है।

(च) इस तर्क के संबंध में कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3)(ख) की अपेक्षाओं का विधिवत अनुपालन नहीं किया गया है प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यद्यपि नियम 5 के प्रावधान निर्णायक समीक्षा मामले में लागू नहीं होते हैं फिर भी प्राधिकारी ने पाटन और क्षति के संबंध में घरेलू उद्योग के दावे की जांच की है और यह जांच इस बात से संतुष्ट होने के पश्चात ही प्रारंभ की है कि ऐसे प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं जो यह प्रदर्शित कर रहे हैं कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने से पाटन ओर उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।

(छ) प्राधिकारी ने धारा 9क(5) और नियम 23 के अंतर्गत प्रावधानों को नोट किया है और उन पर विचार किया है।

(ज) इस तर्क के संबंध में कि मिस्र ने केवल रंजित फाइबर की ही आपूर्ति की है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि डीजीसीआईएंडएस से संग्रहित सौदावार आयात की सूचना यह दर्शाती है कि मिस्र से ग्रे फाइबर का भारी मात्रा में आयात हुआ है।

(झ) निर्यातकों के इस तर्क के संबंध में थे कि घरेलू उद्योग ने मध्यावधि समीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया है, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने निर्णायक समीक्षा के लिए जांच की अवधि में क्षति का दावा किया है। इसलिए, मध्यावधि समीक्षा का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ञ) इस तर्क के संबंध में कि याचिकाकर्ता उपभोक्ताओं को अपने हितों की रक्षा करने से वंचित कर रहे हैं, यह नोट किया जाता है कि पाटन विधि में गोपनीयता के दावे के लिए उचित कारण देते हुए गोपनीय आधार पर कोई भी हितबद्ध पक्षकार अपना प्रस्तुतिकरण करने की अनुमति है।

(ट) एक्रिलिक फाइबर अपशिष्ट के बारे में यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने भारत में एक्रिलिक फाइबर के आयातों पर विचार किया है। प्राधिकारी ने वर्तमान निर्धारण के प्रयोजनार्थ अपशिष्ट के किसी आयात पर विचार नहीं किया है।

(ठ) जहां तक इस तर्क का संबंध है कि मौखिक सुनवाई में सभी पक्षकारों को आमंत्रित किया जाना चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सार्वजनिक सुनवाई के लिए उन सभी पक्षकारों को आमंत्रित किया गया जिन्होंने

स्वयं को प्राधिकारी से अवगत कराया या जिन्होंने प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुतिकरण दायर किया था। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने वास्तव में अन्य उन सभी हितबद्ध पक्षकारों को अनुमति प्रदान की जिन्होंने प्राधिकारी से स्वयं अपनी ओर से और अपनी एसोसिएशन की ओर से सार्वजनिक सुनवाई में अपने विचार प्राधिकारी के समक्ष रखने का अनुरोध किया था।

(ड) जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग के पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा की मांग करते हुए आवेदन दायर करना चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और यदि किसी हितबद्ध पक्षकार ने मध्यावधि समीक्षा की मांग नहीं की है तो प्राधिकारी को यह अपेक्षित है कि वह निर्णायक समीक्षा से संबंधित प्रावधानों पर विचार करें और तदनुसार निर्धारण करें।

(ढ) जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग ने विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों को अपने हितों की रक्षा करने से वंचित किया है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकार विधि के अनुरूप अपने तर्क प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसे अतिरिक्त, प्राधिकारी ने उन सभी हितबद्ध पक्षकारों को, अपने विचार प्रत्यक्ष रूप से और अपने एसोसिएशन के जरिए सार्वजनिक सुनवाई में प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जिन्होंने ऐसा करने के लिए प्राधिकारी से अनुरोध किया था। इसलिए यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि घरेलू उद्योग हितबद्ध पक्षकारों को अपना प्रस्तुतिकरण करने से वंचित कर रहा था।

(ण) जहां तक कच्चे माल की उच्च कीमत से फाइबर की लागत बढ़ने का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस विचाराधीन उत्पाद की मांग में वर्तमान क्षति अवधि में बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है। इसलिए, यह वह मामला नहीं है जहां जांच की अवधि के दौरान इस उत्पाद की मांग पर किसी अन्य वस्त्र फाइबर द्वारा कब्जा नहीं कर लिया गया है।

(त) यह तर्क दिया गया है कि फाइबर की उच्च कीमत से यार्न के आयातों में वृद्धि हुई है। डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रकाशित आंकड़े यह नहीं दर्शाते हैं कि क्षति अवधि के दौरान यार्न के आयातों में भारी वृद्धि नहीं दर्शाते हैं।

(थ) जहां तक रुपए के अवमूल्यन के कारण कीमतों में वृद्धि होने का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह नहीं माना जा सकता है कि रुपए के अवमूल्यन का फाइबर की लागत पर कोई प्रभाव पड़ा है। इसे उत्पाद की उत्पादन लागत और प्रासंगिक (यार्न) उत्पाद की आयात कीमत पर कोई प्रभाव पड़ा है।

(द) जहां तक मांग आपूर्ति अंतराल के कारण फाइबर के आयातों का संबंध है, प्राधिकारी अपनी संगत स्थिति को पुन: दोहराते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण पाटन को प्रतिबंधित नहीं करता है।

(ध) जहां तक बंगलादेश और उनके उत्पाद की गुणवत्ता के साथ तुलना करने का संबंध है प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस मुद्दे को पाटनरोधी शुल्क के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। पाटनरोधी शुल्क, शुल्क छूट स्कीम के अंतर्गत आयातों पर लागू नहीं होती है और इसलिए, उपभोक्तागण बंगलादेश के साथ प्रतिस्पर्धा करने और उससे आयात करने के लिए स्वतंत्र है।

पाटन का आकलन – क्रियापद्धति एवं प्राचल

पाटन का निर्धारण

थाई एक्रिलिक फाइबर कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड तथा अन्य विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों के विचार

25. विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों के मुख्य विचार निम्नलिखित हैं :

(क) थाईलैंड में एक्रिलिक फाइबर की कीमतें अधिक नहीं है और थाई एक्रिलिक फाइबर कंपनी ने थाईलैंड की घरेलू बाजार में अपने उत्पाद की उच्च कीमतों पर बिक्री नहीं की है।

घरेलू उद्योग के विचार

26. घरेलू उद्योग के विचार निम्नलिखित हैं :

(क) मैसर्स थाई एक्रिलिक फाइबर के अलावा थाईलैंड से अन्य किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्राधिकारी को प्रत्युत्तर नहीं दिया है। प्राधिकारी यह धारित कर सकते हैं कि संबद्ध देशों के किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने प्राधिकारी को सहयोग नहीं किया है।

(ख) निर्यातक ने तृतीय देश में बिक्री इस आधार पर नहीं की है कि घरेलू बाजार में सामान्य मूल्य का दावा किया गया है। साथ ही निर्यातक ने प्रश्नावली के भाग-II के संबंध में कोई सूचना प्रदान नहीं कराई है। अत:, निर्यातक ने तृतीय देशों को निर्यात के संबंध में संगत सूचना को रोके रखा जो प्राधिकारी को वर्तमान प्रयोजन के लिए प्रश्नावली प्रत्युत्तर पर विचार करने से स्पष्ट रूप से रोका गया।

(ग) प्राधिकारी ने डक्टाइल आयरन पाइपों से संबंधित पाटनरोधी जांच के मामले में स्पष्टतया यह प्रतिपादित किया है कि प्रश्नावली प्रत्युत्तर को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता है जब तक कि प्रश्नावली प्रत्युत्तर के भाग-II का प्रत्युत्तर नहीं भरा गया है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ऐसे मामले में संपूर्ण प्रश्नावली प्रत्युत्तर को नामंजूर कर देते हैं। ऐसा मामला होने पर प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वह इस मामले में भी प्रश्नावली को नामंजूर कर दें।

(घ) थाईलैंड में इस विचाराधीन उत्पाद की कीमत उस कीमत से अधिक है जिसपर उसका भारत को निर्यात किया गया है। प्रश्नावली प्रत्युत्तर भी उसे सिद्ध कर सकता है।

(ङ) कोरिया आरपी से आयातों के संबंध में कोरियाई सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा रिपोर्ट किए गए निर्यात की मात्रा और भारतीय सीमाशुल्क में रिपोर्ट किए गए आयातों की मात्रा में भारी अंतर है। अत:, यह स्पष्ट है कि भारतीय सीमाशुल्क द्वारा रिपोर्ट किए गए निर्यात की मात्रा की तुलना में बहुत कम है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता ने प्राधिकारी से यह अनुरोध किया है कि वह कोरिया के संबंध में आयातों की मात्रा और मूल्य का निर्धारण करने के लिए कोरियाई सीमाशुल्क द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों पर यह धारित करते हुए विचार करें कि आयातों की मात्रा भारतीय सीमाशुल्क आंकड़ों में प्रदर्शित नहीं की गई है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

27. केवल एक निर्यातक/विनिर्माता मैसर्स थाई एक्रिलिक फाइबर कंपनी लिमिटेड (टीएएफ) ने ही प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया है। निर्यातक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की भी प्राधिकारी द्वारा जांच निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई और पाटन मार्जिन का निम्नवत निर्धारण किया गया है।

मैसर्स थाई एक्रिलिक फाइबर कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड (टीएएफ) के लिए सामान्य मूल्य

28. टीएएफ ने उसके द्वारा विनिर्मित और बिक्रीकृत संबद्ध वस्तु की घरेलू बिक्री तथा निर्यात बिक्री के विवरण युक्त एक प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया है। सामान्य मूल्य की संगणना करने के लिए संबद्ध वस्तु की घरेलू बिक्री पर परिशिष्ट-I में सत्यापित आंकड़ों के आधार पर विचार किया है। यह सत्यापित किया गया था कि घरेलू बिक्री का 45.93 प्रतिशत लाभप्रद बिक्रियां हैं और सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए उन पर ही विचार किया गया है। प्राधिकारी ने यथादावाकृत समायोजनों का अनुपालन किया है। उपर्युक्त तथ्यों पर विचार करते हुए प्राधिकारी द्वारा फैक्टरी बाह्य स्तर पर निर्धारित सामान्य मूल्य अधोलिखित पाटन माज्रिन तालिका में दिया गया है।

थाईलैंड के अन्य सभी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

29. वर्तमान जांच में थाईलैंड के अन्य किसी भी निर्यातक द्वारा निर्धारित प्रश्नावली प्रत्युत्तर प्राधिकारी के समक्ष दायर नहीं किया गया है। इसलिए, प्राधिकारी थाईलैंड से सहयोगकर्ता निर्यातकों के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य को थाईलैंड से अन्य सभी निर्यातकों के लिए भी अपनाते है।

कोरिया आरपी के लिए सामान्य मूल्य

30. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कोरिया आरपी के किसी भी निर्यातक ने निर्धारित प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है। चूंकि उस देश में किसी भी उत्पादक/निर्यातक द्वारा कोरिया आरपी में उत्पादन लागत या तृतीय देशों को किए गए निर्यात से संबंधित सूचना, वास्तविक घरेलू बिक्री के बारे में सूचना और अन्य सूचना प्रश्नावली के अनुरूप प्रस्तुत नहीं की गई है इसलिए प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना पर विश्वास किया है। याचिकाकर्ताओं ने यह दावा किया है कि उन्होंने उस कीमत के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए प्रयास किए थे जिस पर संबद्ध वस्तु का कोरिया आरपी की घरेलू बाजार में व्यापार किया जा रहा था। इस संबद्ध वस्तु की कोरिया आरपी में प्रचलित कीमत के संबंध में कोई अन्य तर्कसंगत साक्ष्य प्राप्त करने के भी प्रयास किए गए। याचिकाकर्ता कोरिया आरपी की घरोलू बाजार में संबद्ध वस्तु की कीमतों का साक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम रहे। इसलिए, सामान्य मूल्य का निर्धारण विनिर्मित मूल्य अधिगम का प्रयोग करते हुए किया गया है। प्राधिकारी द्वारा निर्धारित सामान्य मूल्य का अधोलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

थाईलैंड के लिए निर्यात कीमत

मैसर्स थाई एक्रिलिक फाइबर कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड (टीएएफ) के लिए निर्यात कीमत

31. टीएएफ ने उसके द्वारा विनिर्मित और बिक्रीकृत संबद्ध वस्तु की घरेलू बिक्री तथा निर्यात बिक्री के ब्यौरे युक्त एक प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया है। निर्यात कीमत का निर्धारण परिशिष्ट-II में सत्यापित आंकड़ों के आधार पर किया गया है। यथादावाकृत समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, सीमाशुल्क प्रहस्तन एवं निकासी प्रभार, अंतरदेशीय परिवहन और क्रेडिट लागत का समायोजन करने की अनुमति देने के पश्चात प्राधिकारी द्वारा परिकलित फैक्टरी बाह्य स्तर पर निर्यात कीमत अधोलिखित पाटन माज्रिन तालिका में दी गई है।

थाईलैंड के अन्य सभी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

32. प्राधिकारी ने निवल निर्यात कीमत का निर्धारण जांच की अवधि के दौरान थाईलैंड से भारत को सहयोगकर्ता निर्यातकों के निर्यात आंकड़ों पर विचार करते हुए, सहयोगकर्ता निर्यातकों के लिए अनुमत समरूप समायोजनों की अनुमति देने के पश्चात, न्यूनतम निर्यात सौदा मूल्य के आधार पर किया है। प्राधिकारी द्वारा थाईलैंड के अन्य सभी निर्यातकों के लिए फैक्टरी बाह्य स्तर पर निर्धारित निवल निर्यात कीमत अधोलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

कोरिया आरपी के लिए निर्यात कीमत

33. प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस आयात मात्रा के आधार पर आयात कीमत पर विचार किया है। समुद्री भाड़ा, सामुद्रिक बीमा, अंतरदेशीय भाड़ा, पत्तन व्यय और बैंक प्रभार के आधार पर समायोजन करने के पश्चात प्राधिकारी द्वारा परिकलित फैक्टरी बाह्य निर्यात कीमत अधोलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

पाटन मार्जिन

34. फैक्टरी बाह्य सतर पर निर्धारित सामान्य मूल्य की तुलना पाटन माज्रिन का निर्धारण करने के लिए फैक्टरी बाह्य सतर पर निर्धारित संबंधित निवल निर्यात कीमतों से की गई है। पाटन माज्रिन अधोलिखित है :

पाटन मार्जिन तालिका

अधोलिखित के लिए पाटन मार्जिन का परिकलन	सामान्य मूल्य अमरीकी डालर/ एमटी	निर्यात कीमत यूएस डालर/ एमटी	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन रेंज %
मैसर्स थाई एक्रिलिक कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड	***	***	***	***	15-20
थाईलैंड के अन्य सभी	***	***	***	***	30-40

निर्यातक/उत्पादन					
कोरिया आरपी के सभी निर्यातक/उत्पादक	***	***	***	***	20-30

35. संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन न्यूनतम से अत्यधिक ज्यादा है।

क्षति एवं कारणात्मक संबंधों का आकलन

क्षति एवं कारणात्मक संबंध

विदेश व्यापार विभाग, थाईलैंड सरकार के विचार

36. यह शुल्क लगभग 17 वर्षों से प्रभावी रहा है। थाईलैंड की थाई एक्रिलिक फाइबर कंपनी लिमिटेड, स्पेशियलिटी एक्रिलिक फाइबर का विनिर्माण करती है जिसका उत्पादन भारत में किसी भी घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जाता है और इसलिए इन उत्पादों के लिए घरेलू उद्योग को क्षतिकारित नहीं हो सकती है। थाईलैंड से कोई पाटन नहीं हुआ है।

विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों के विचार

37. क्षति एवं कारणात्मक संबंधों के बारे में विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों के विचार निम्नलिखित हैं :

(क) याचिका में यह उल्लेख किया गया है कि आयातों में "अधिक्रमी रूप से" वृद्धि हुई है, जबकि थाईलैंड से भारत को हुए आयात कमोबेश रूप से स्थिर बने रहे। थाईलैंड से भारत को एक्रिलिक फाइबर के आयातों में वर्ष 2009-10 से 2012-13 की अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई है।

(ख) आवेदन में यथा अनुचिंतित कीमत प्रभाव के क्रमिक विकास के ग्राफ में यह दर्शाया गया है कि एक्रिलिक फाइबर की कीमतों में गिरावट को एक्राइलोनाइट्राइल, जो एक्रिलिक फाइबर की कीमतों को शासित करने वाला प्रमुख कारक है, की कीमतों पर उपरोपित किया जा सकता है और अप्रैल/मई 2012 के पश्चात एक्राइलोनाइट्राइल की कीमतों में प्रपाती कमी आई, जो एक्रिलिक फाइबर की कीमतों में प्रतिबिम्बित हुई है।

(ग) याचिकाकर्ता ने आयातित संबद्ध वस्तु के कारण कीमत निग्रहण प्रभाव का दावा किया है। याचिका में यथाउल्लिखित "बिक्री की लागत" में भाड़ा तथा अन्य बिक्री व्यय शामिल होना चाहिए। बिक्री लागत की तुलना बिक्री कीमत से करने का आशय कोई खास नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, बिक्री की गई वस्तु की लागत और राजस्व की तुलना में बिक्रियों की लागत बहुत कम संख्या में है। तथापि, एक्रिलिक फाइबर की कीमत काफी हद तक एक्रिलोनाइट्राइल की कीमतों पर निर्भर करती है।

(घ) मैसर्स इंडियन एक्रिलिक लिमिटेड की दिनांक 31.03.2013 को समाप्त अवधि के लिए निदेशकों की रिपोर्ट से उद्धारण यह दावा करता है कि चालू वर्ष के दौरान समग्र बिक्री में कमी आने के बावजूद ब्याज पूर्व सकल लाभ, अवक्षयण ब्याज एवं जीपीबीआईडीटी) उच्चतर है।

(ङ) घरेलू बिक्री में सतत वृद्धि हुई है। यह भी नोट किया जा सकता है कि उत्पादन में कमी वर्ष 2012-13 निर्यात बाजार में न्यूनतर मात्रा के कारण और वर्ष 2011-12 में परिष्कृत वस्तु की मालसूची में 3772 एमटी तक की कमी आने के कारण हुई जिससे उत्पादन 1816 एमटी तक घट गया।

(च) आवेदनगण यह भी प्रदर्शित करने में असफल रहे कि बिक्री मात्रा में भारी गिरावट आई है और उन्होंने खोई संविदाओं तथा गिरती बिक्री का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

(छ) मालसूची में कमी होना घरेलू उद्योग की स्वस्थ स्थिति का स्पष्ट संकेतक है।

(ज) आयात देश में मांग के अंतराल को पूरा करने के लिए ही किए गए है।

(झ) जर्मनी से होने वाले आयात में पिछले कुछ वर्षों से सतत वृद्धि हुई है। जर्मनी से आयात की गई अधिकांश सामग्री वर्धमान ग्रुप द्वारा आयात की गई है जिससे यह सिद्ध होता है कि विभिन्न प्रौद्योगिकियों और विभिन्न

तकनीकों द्वारा विनिर्मित फाइबर का विभिन्न अनुप्रयोग हो सकता है। अत:, भारतीय विनिर्मातागण अपनी घरेलू बाजार में अपने फाइबर की बिक्री करने से असमर्थ रहने पर विभिन्न ग्राहकों की मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकियों से विनिर्मित विभिन्न प्रकार के फाइबर का आयात कर रहे हैं।

(ञ) याचिकाकर्ता की वार्षिक रिपोर्टों में विभिन्न कारण दर्शाए गए हैं। उपलब्ध साक्ष्य (भारतीय एक्रिलिक लिमिटेड और पशुपति एक्रिलान लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्टों में) दर्शाता है कि आवेदनकर्ताओं के क्षति के दावों में और इन रिपोर्टों में यथा प्रतिबिम्बित तथ्यों में गंभीर विरोधाभास मौजूद है। मैसर्स पशुपति एक्रिलान लिमिटेड उज्जवल आकलन प्रदर्शित किया है जिसमें विदेशी प्रतिस्पर्धा के कारण हुई किसी भी क्षति कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(ट) इंडियन एक्रिलिक लिमिटेड ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वह काफी हद तक आयातित कच्चे माल पर निर्भर हैं और क्रूड आयल नेफ्था और गैस की कीमतों में अचानक वृद्धि का भी कंपनी पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

(ठ) इन घरेलू उत्पादकों ने संवेदनशील कारकों जैसे कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, वैश्विक बाजार में कम होती मांग को माना है और उनकी पहचान की है जिसके कारण न्यूनतर क्षमता उपयोग, आईएनआर की तुलना में यूएसडी में वृद्धि होने और चुनौती के रूप में उच्चतर उधार लागत हुई और जांच की अवधि के रूप निर्दिष्ट वर्षों के दौरान भारत में घरेलू उद्योग के समक्ष उपस्थित राजस्व घाटा प्रमुख कारक है।

(ड) कथित पाटन के अलावा उनके अल्प निष्पादन के लिए जिन अन्य प्रमुख कारकों को उदधृत किया गया है उनमें निराशाजनक वैश्विक परिदृश्य, जैसे मुद्रा में उतार-चढ़ाव, अन्य फाइबरों के साथ प्रतिस्पर्धा में अचानक वृद्धि, पण्य वस्तुओं की कीमतों में उदारता और यूरो जोन का संकट प्रमुख हैं।

(ढ) यह तथ्य कि घरेलू उत्पादों में से एक घरेलू उत्पादक का निष्पादन अन्य दो घरेलू उत्पादकों निष्पादन से बेहतर है, पर्याप्त रूप से यह सिद्ध करता है कि यदि कोई क्षति हुई है तो वह स्वयं अपने ही कार्यों से और घरेलू उत्पादकों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा के कारण हुई है।

(ण) वास्तव में यह अजीब है कि एक ओर तो घरेलू उद्योग के उत्पादन में गिरावट आ रही थी वहीं दूसरी ओर इसने अधिक लोगों को रोजगार देने का चयन किया (क्षति अवधि में 5 प्रतिशत वृद्धि), जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन लागत बढ़ गई। घटते उत्पादन के परिदृश्य में अधिकाधिक लोगों को सेवायोजित करने में उत्पादकता में कमी आई। यह स्वोदभूत क्षति का बड़ा मामला है और इसके लिए कथित पाटन को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता हैं।

(त) यह आवेदन अंतत: लाभ की संगतता और महत्व पर निर्भर करता है परंतु यह उल्लेख नहीं करता है कि तर्कसंगत लाभ और वह भी विपरीत आर्थिक परिस्थितियों में क्या होना चाहिए।

(थ) घरेलू उद्योग द्वारा अन्य कारकों से सहन की गई क्षति को कथित पाटन पर उपरोपित नहीं किया जाना चाहिए।

(द) एक आवेदक ने तो इस तथ्य के बाबजूद कि घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तु का भारी मात्रा में निर्यात कर रहा था जिसके कारण आधार वर्ष अर्थात वर्ष 2009-10 की अवधि की तुलना में जांच की अवधि में घटकर लगभग आधी रह गई है, अपने निर्यात निष्पादन के बारे में कुछ भी उल्लेख करने का चयन किया है। इसके बजाय, आवेदक ने केवल यह उल्लेख किया है कि उसने घरेलू बिक्रियों के लिए लागतकरण और क्षति सूचना प्रदान कर दी है, जो घरेलू उद्योग के कम होते निर्यात निष्पादन पर विपरीत प्रभाव नहीं डालता है। यह एक गंभीर चूक है ओर केवल इस आधार के कारण ही इस जांच को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

(ध) आवेदक ने जानबूझकर त्रुटिपूर्ण सूचना/आंकड़े प्रदान किए है। यह अनुरोध किया जाता है कि इस जांच को केवल इसी आधार पर समाप्त कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त, कथित पाटित वस्तुओं और घरेलू उद्योग को कथित क्षति के बीच कारणात्मक संबंधों का अभाव है।

घरेलू उद्योग के विचार

38. घरेलू उद्योग ने अपने प्रस्तुतिकरणों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित तर्क दिए हैं :

(i) संबद्ध देशों से संबंधित उत्पाद का निरंतर पाटन हुआ है।

(ii) यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो संबद्ध देशों से इस विचाराधीन उत्पाद के पाटन में और अधिक तीव्रता आने की संभावना है।

(iii) थाईलैंड से आयातों की मात्रा में क्षति अवधि के दौरान बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है। वास्तव में, थाईलैंड से आयातों की मात्रा में मौजूदा अवधि में गोचर वृद्धि हुई है। आयातों में यह वृद्धि उन भारी आयातों के बावजूद है जो मिस्र से घटित हो रहे हैं, यह वह निर्यात हैं जो संबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए है। वास्तव में यह याचिकाकर्ता की समझ है कि थाईलैंड और इजिप्ट दोनों से एक ही टीम निर्यात कर रही है।

(iv) यद्यपि, भारतीय सीमाशुल्क द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़ों से आयात की मात्रा में गिरावट प्रदर्शित होती है परंतु कोरियाई सीमाशुल्क द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि भारत को एक्रिलिक फाइबर का भारी मात्रा में निर्यात हुआ है। याचिकाकर्ता प्राधिकारी से यह अनुरोध करते हैं कि वे कोरिया से भारत को पाटित आयातों की मात्रा का आकलन करने के लिए कोरियाई सीमाशुल्क द्वारा रिपोर्ट की गई मात्रा पर विचार करें।

(v) भारतीय बाजार में संबद्ध देशों से पाटित कीमतों पर आयात का प्रवेश होना जारी बना हुआ है।

(vi) आयातों की मात्रा में समग्र रूप से और घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री, देश में इस उत्पाद के उत्पादन और खपत के संगत रूप में वृद्धि हुई है।

(vii) कीमत अधोरदन पर्याप्तत: सकारात्मक है।

(viii) उत्पादन, क्षमता उपयोग, लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ, नकदी प्रवाह, मालसूची आदि के रूप में घरेलू उद्योग के निष्पादन में चालू क्षति अवधि में गिरावट आई है।

(ix) पाटनरोधी शुल्क प्रभावी होने के बावजूद घरेलू उद्योग के निष्पादन का अपकर्षण हुआ है। यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो घरेलू उद्योग के निष्पादन में और अधिक अपकर्षण होगा।

(x) बाजार में निरंतर पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को अपनी क्षमता का पूर्णतम उपयोग करने से वंचित किया गया।

(xi) घरेलू बाजार में बिक्री कीमत का सीधा संबंध आयात कीमतों से होता है। पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर देने से भारतीय बाजार में इन देशों से पाटन और भी अधिक बढ़ जाएगा। इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री कीमत कम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

(xii) बिक्री कीमत में किसी भी गिरावट का घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर प्रतिलाभ और नकद लाभ की स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

(xiii) घरेलू उद्योग ने देश में इस उत्पाद के बढ़ते पाटन से क्षति सहन की है।

(xiv) यह तथ्य कि जांच की अवधि में एक्रिलिक फाइबर की कीमतों में परिवर्तन एक्रिलोनाइट्राइल में हुए परिवर्तनों से अधिक आया, थाई एक्रिलिक फाइबर की लाभप्रदता की प्रवृत्ति से पूरी तरह से सिद्ध हो जाता है। निर्यातक ने इस बात से सहमति व्यक्त की है कि उसे जांच की अवधि में वित्तीय घाटा हुआ इसका आशय यह है कि एक्रिलिक फाइबर की कीमतों में एक्रिलोनाइट्राइल की कीमतों में हुए परिवर्तन की तुलना में कम परिवर्तन हुआ।

(xv) टीएएफ इस बात से स्पष्ट रूप से सहमत है कि एक्रिलिक फाइबर की कीमतें काफी हद तक एक्रिलोनाइट्राइल की कीमतों पर निर्भर होती है। जहां तक भाड़ा और बिक्री लागत के अंतर्गत शामिल बिक्री व्यय पर होने वाले व्ययों को शामिल करने का संबंध है याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करता है कि उचित तुलना सुनिश्चित करने के लिए इन व्ययों को वास्तव में सभी प्रयोजनों के लिए शामिल करना अपेक्षित होता है। आयातों की उतराई कीमत में भी भाड़ा तथा अन्य बिक्री व्यय शामिल होते हैं और इसलिए सही तुलना सुनिश्चित करने के लिए

आयातित उत्पाद कीमत से तुलना करने से पहले घरेलू बिक्री कीमत और घरेलू उत्पादन लागत में भाड़ा और प्रत्यक्ष बिक्री व्यय को जोड़ना उपयुक्त होगा।

(xvi) जहां तक भारतीय उत्पादकों उच्चतर उधार लागत का संबंध है, याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि विधि की यह एक सुविख्यात सुस्थापित स्थिति है कि घरेलू उद्योग को आदर्श स्थिति के अंतर्गत देखने के बजाय उस स्वरूप और ढंग से देखने की आवश्यकता है जिसके अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। इसके अतिरिक्त, समान स्तर की उधार लागत से वर्तमान अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन में भारी गिरावट आई है जिससे यह स्पष्टत: सिद्ध होता है कि निष्पादन में होने वाला अपकर्षण उधार लागत के कारण नहीं हुआ है।

(xvii) घरेलू उद्योग ने स्वयं याचिका में प्रसंभावना के संबंध में विस्तृत सूचना प्रदान कराई है, जिसका अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध करा दिया गया है। वास्तव में प्रसंभावना सूचना प्रदान कराने के लिए कोई विहित जरूरत नहीं है इसके बावजूद भी याचिकाकर्ता ने अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर यह सूचना प्रदान की है।

(xviii) यूरो जोन संकट के कारण यूरोप में अनुप्रवाही उत्पादों के लिए मांग गिरावट आई है, जिसके परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक्रिलिक फाइबर की खपत में कमी आई है। परिणामस्वरूप, टीएएफ जैसी कंपनियों के लिए एक्रिलिक फाइबर की मांग में कमी आई है, जिसके परिणामस्वरूप टीएएफ जैसी कंपनियों ने ऐसी सीमा तक आक्रामक कीमत निर्धारण करने का आश्रय लिया कि वे अपने उत्पाद की बिक्री गृह बाजार कीमतों और उत्पादन लागत से भी कम कीमत पर करने लगे। अत:, टीएएफ ने अपने उत्पाद की बिक्री वास्तविक लागत से कम पर करनी शुरू कर दी और उसे जांच की अवधि के दौरान वित्तीय घाटा उठाना पड़ा। टीएएफ द्वारा अपनाई गई आक्रमक कीमत निर्धारण के कारण, भारतीय कंपनियों जैसे उत्पादकों को क्षति सहन करने के लिए मजबूर होना पड़ा, फिर भी इस विचाराधीन उत्पाद के भारतीय आयातकों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस सीमा तक विगोपन नहीं किया जा सका और इसलिए उन पर यूरो जोन संकट की कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ा।

(xix) मालसूची में कमी को उत्पादन प्रवृत्ति के साथ जोड़कर देखना अपेक्षित है। यह देखा जा सकता है कि मालसूची में गिरावट इसलिए आई क्योंकि उत्पादन में कमी कर दी गई थी। घरेलू उद्योग के साथ विकल्प यही था कि वह या तो उत्पादन और बिक्री करें या मालसूची संग्रह करें।

(xx) यह देखा जा सकता है कि कर्मचारियों की संख्या में वर्ष 2011-12 तक वृद्धि हुई और फिर जांच की अवधि में इसमें मामूली सी गिरावट आई।

(xxi) इस आवेदनपत्र को तर्क संगत लाभ के स्तर के संबंध में देखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि युक्तियुक्त लाभ के स्तर के संबंध में प्राधिकारी की एक सुनिर्धारित प्रक्रिया है। प्राधिकारी लगाई गई पूंजी पर 22 प्रतिशत प्रतिलाभ को तर्कसंगत लाभ के रूप में मानते हैं। जहां तक विपरीत आर्थिक परिस्थितियों का संबंध है, वह पूर्णतया असंगत है। विभिन्न/न्यूनतर स्तर के लाभ की मांग करते हुए इस उत्पाद में विपरीत आर्थिक परिस्थितियों जैसा कुछ भी नहीं है। संभवत:, विपरीत आर्थिक परिस्थितियां तो निर्यातक के लिए हैं, क्योंकि निर्यातक को ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जहां उसे अपने उत्पाद के 90 प्रतिशत से अधिक का उत्पादन करना पड़ा। याचिकाकर्ताओं की पर्याप्त घरेलू मांग है और वे अपना संपूर्ण उत्पाद घरेलू बाजार में आसानी से बेच सकते हैं।

(xxii) घरेलू उद्योग का निष्पादन वर्ष 2010-11 तक बहुत अच्छा था और अत: यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता ने प्रभावी पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा करने का प्रस्ताव क्यों नहीं किया। क्षमता उपयोग और लाभ की प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वर्ष 2011-12 तक प्रपाती गिरावट आई है।

(xxiii) निर्यातकों ने ब्याज पूर्व लाभ और अपक्षयण का उल्लेख किया है जबकि संगत विधिक अपेक्षा कर-पूर्व लाभ होती है। यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग के लाभ, ब्याज पूर्व लाभ, नकद लाभ और ब्याज एवं कर पूर्व लाभ में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है।

(xxiv) निर्यातक ने विहित प्रश्नावली के भाग-II का प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है और इसलिए उसे संभाव्यता के संबंध में कुछ भी तर्क देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कोई निर्यातक प्रसंभाव्यता के संबंध में केवल तभी प्रस्तुतिकरण कर सकता है जब उस निर्यातक ने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया हो। ऐसा न करने पर, सार्वजनिक

रूप से उपलब्ध सूचना स्पष्टतया यह दर्शाती है कि निर्यातक तीसरी दुनिया के देशों में भी पाटन का आश्रय ले रहा है।

(xxv) घरेलू उद्योग द्वारा सहन की गई क्षति का पाटित आयातों के साथ सीधा संबंध है। जैसाकि पहले प्रस्तुत किया जा चुका है वार्षिक रिपोर्टों में अभिज्ञात अन्य कारकों का प्रभाव प्रासंगिक रूप से आयातों से प्रतिस्पर्धा में परिणति प्राप्त करता है।

(xxvi) नियमों के अंतर्गत प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के समग्र निष्पादन पर विचार करना होता है। केवल यह तथ्य कि एक उत्पादक का निष्पादन अन्यों की तुलना में सुव्यक्त रूप से बेहतर है, से यह आशय प्राप्त नहीं हो जाता है कि उत्पादक को क्षति नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों ने स्वयं यह तर्क दिया है कि वर्धमान एक्रिलिक के 70 प्रतिशत उत्पादन की बिक्री उनकी अपनी ग्रुप कंपनी को की जाती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि वर्धमान का निष्पादन, जिस हद तक वह अपनी बिक्री अपनी सहबद्ध कंपनियों को करता है, देश में इस उत्पाद के पाटन से प्रभावित होता है। ऐसी स्थिति होने पर यह स्पष्ट है कि वर्धमान का निष्पादन, किसी भी हाल में, घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संकेतक नहीं है। वर्धमान के निष्पादन को घरेलू उद्योग के दायरे से पृथक कर दिया जाना चाहिए और पशुपति तथा इंडियन एक्रिलिक के निष्पादन पर ही घरेलू उद्योग को क्षति का निर्धारण करने के लिए विचार किया जाना चाहिए। घरेलू उत्पादकों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा का आशय आयातों के हुई क्षति की गैर-मौजूदगी नहीं है। वास्तव में, परस्पर प्रतिस्पर्धा तो होगी ही और अभिन्न रूप से होनी भी चाहिए और परस्पर प्रतिस्पर्धा न होने की स्थिति में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का ध्यान आकृष्ट किया जाना चाहिए।

(xxvii) निर्यातक ने प्राधिकारी से प्रमुख सूचनाप का निग्रहण किया है और उसने प्रश्नावली के भाग-II का प्रत्युत्तर भी दायर नहीं किया है जिसका आशय यह है कि प्राधिकारी अपनी विगत जांचों में अनुप्रयोग की गई संगत परम्परा पर विचार करते हुए और डक्टाइल आयरन पाइप के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी इस संपूर्ण प्रत्युत्तर को नामंजूर कर सकते हैं।

(xxviii) भारत में मांग आपूर्ति के बीच अंतर की चिंता थाईलैंड के उत्पादक को नहीं होनी चाहिए। घरेलू उद्योग ने इस अवधि के दौरान अपना उत्पादन और उसकी बिक्री खो दी है। किसी भी हाल में, किसी देश में मांग आपूर्ति के बीच अंतर होना देश में उत्पाद के पाटन को न्यायोचित नहीं ठहराता है। इसके विपरीत, मांग आपूर्ति के बीच अंतर होने की स्थिति में, कोई निर्यातक अपने उत्पाद की बिक्री उचित कीमत पर कर सकता है। निर्यातकों को उस देश में अपने उत्पाद का पाटन करने का आश्रय नहीं लेना चाहिए।

(xxix) एक उपभोक्ता ने यह तर्क दिया है कि पाटनरोधी शुल्क के परिणामस्वरूप अनुप्रवाही उद्योग की प्रगति अवरूद्ध हुई है जबकि एक अन्य उपभोक्ता ने यह तर्क दिया है कि कंपनी को इस भारी विकास का अनुभव हुआ है। इसलिए, इससे यह स्पष्ट होता है कि इस तर्क में कोई सच्चाई नहीं है कि पाटनरोधी शुल्क के कारण अनुप्रवाही उद्योग की प्रगति अवरूद्ध हुई है। इसके अतिरिक्त, किसी भी अन्य उपभोक्ता ने यह दावा नहीं किया है कि उन्होंने पाटनरोधी शुल्क के कारण अपने उत्पादन में कमी की है। यह इस मामले में भारी संख्या में उपभोक्ताओं की मौजूदगी/प्रतिभागिता के बावजूद हुआ है।

(xxx) एक उपभोक्ता ने यह तर्क दिया है कि इंडियन एक्रिलिक, पशुपति एक्रिलान और वर्धमान द्वारा उत्पादित वस्तु भिन्न-भिन्न हैं, वहीं दूसरे उपभोक्ता ने यह तर्क दिया है कि वह सभी तीनों आपूर्तिकर्ताओं से फाइबर की खरीद कर रहा है। इससे उनके तर्कों में विरोधाभास स्पष्ट प्रदर्शित होता है। हर हाल में, यह तर्क प्राधिकारी के पिछले जांच परिणामों के विपरीत है। विगत में प्राधिकारी ने यह प्रतिपादित किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु समान मद हैं।

(xxxi) एक उपभोक्ता ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि आयातों में शुल्क मुक्त आयात भी शामिल हैं। याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि हालांकि यह सत्य है कि थाईलैंड से यह विचाराधीन उत्पाद के शुल्क मुक्त आयात भी हुए है, परंतु वह आयात किस हद तक हुए हैं उसकी सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, किसी भी हाल में, इन आयातों पर पाटनरोधी शुल्क से छूट से यह सिद्ध होता है कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने या उसकी

निरंतरता बनाए रखने से, जहां तक शुल्क मुक्त आयातों का संबंध है, उपभोक्ताओं के हित पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होते हैं। तथापि, शुल्क मुक्त आयात भी घरेलू उद्योग पर अपने विपरीत कीमत प्रभाव के रूप में क्षति कर रहे हैं।

(xxxii) उपभोक्ताओं में से एक उपभोक्ता ने यह तर्क दिया है कि थाईलैंड से आयातों में वृद्धि भारत में दो अन्य कंपनियों द्वारा अपना उत्पादन बंद कर देने के कारण हुई है। याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि अन्य घरेलू उत्पादकों ने वर्ष 2006-07 में अपना प्रदाय कम कर दिया था और तत्पश्चात उन्होंने अपनी आपूर्तियां बिल्कुल बंद कर दी थीं। तथापि, थाईलैंड से आयातों में वर्ष 2011-12 से उद्रेक आया है।

(xxxiii) थाई एक्रिलिक फाइबर की क्षमता में निरंतर वृद्धि हुई है जबकि उसकी घरेलू बाजार में इस विचाराधीन उत्पाद की खपत में उसके उत्पादन में वृद्धि के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई। इससे यह सिद्ध होता है कि थाईलैंड से आयातों में यह वृद्धि थाई एक्रिलिक फाइबर द्वारा बार-बार विस्तार किए जाने के कारण हुई है, जिसका उद्देश्य भारत (जो इस विचाराधीन उत्पाद की खपत करने वाली बड़ी बाजारों में से एक है) सहित वैश्विक बाजारों में आपूर्ति करना था। चूंकि थाई एक्रिलिक फाइबर ने अपनी क्षमताओं में वृद्धि घरेलू बाजार में वृद्धि के बिना की है, इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि कंपनी को भारतीय बाजार एक बहुत बड़े व्यवसाय अवसर के रूप में लगा हो। वास्तव में, न केवल वर्तमान प्रक्रिया में भाग लेकर बल्कि भारी संख्या में उपभोक्ताओं द्वारा प्रतिभागिता पूलिंग करके थाई एक्रिलिक फाइबर का पाटनरोधी शुल्क में प्रतिसंहरण प्राप्त करने का वर्तमान प्रयास यह दर्शाता है कि उसे ऐसा पर्याप्त मांग के अभाव को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा महसूस किए गए बिक्री दबाव के कारण करना पड़ा। यह इस तथ्य से और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है कि सुनवाई में भाग लेने वाले सभी उपभोक्ताओं ने या उन सभी उपभोक्ताओं ने जिन्होंने इस सुनवाई में प्रतिभागिता करने की अनुमति मांगी थी, केवल थाई एक्रिलिक फाइबर की ओर से ऐसा किया था।

(xxxiv) थाई एक्रिलिक फाइबर द्वारा अपनी क्षमताओं में किया गया उपर्युक्त विस्तार भारतीय घरेलू उद्योग जैसे सुस्थापित उत्पादकों के लिए ऐसी स्थिति में और भी अधिक चिंताजनक एवं घातक है जहां यह वैश्विक रूप से ज्ञात हो कि एक्रिलिक फाइबर की मांग में भारी वृद्धि प्रदर्शित नहीं हो रही है। वास्तव में, एक्रिलोनाइट्राइल (एक्रिलिक फाइबर का उत्पादन करने के लिए एक प्रमुख कच्चा माल) के बड़े उत्पादकों में से एक ने यह उल्लेख किया था कि एक्रिलिक फाइबर की मांग एशिया और चीन में, वैश्विक रूप से स्थिर है। वैश्विक रूप से व्याप्त इन परिस्थितियों के अंतर्गत और अल्प घरेलू मांग के बावजूद; थाई एक्रिलिक फाइबर ने अपनी क्षमता में भारी विस्तार कर लिया। तत्पश्चात, कंपनी एक संयंत्र मिस्र में स्थापित किया जिसके संपूर्ण विश्व में अन्य उत्पादकों द्वारा वहन की जा रही क्षति और भी अधिक बढ़ गई। वास्तव में, थाई एक्रिलिक फाइबर ने सुनवाई के समय यह उल्लेख किया कि उसे मौजूदा जांच की अवधि में वित्तीय घाटा हुआ है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

39. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अपने प्रस्तुतिकरणों में किए गए विभिन्न तर्कों पर विचार किया है और घरेलू उद्योग को क्षति की निरंतरता के मुद्दे की जांच प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत इन तर्कों के आलोक में की गई है। प्राधिकारी को उपलब्ध आंकड़ों और सूचना के आधार पर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते है कि संबद्ध देशों से मौजूदा पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक है। इसलिए, प्राधिकारी संबद्ध देशों से आयातों के कारण पाटन और क्षति की प्रसंभाव्यता के पहलुओं की जांच करने से पहले घरेलू उद्योग को मौजूदा क्षति, यदि कोई है, की जांच की कार्रवाई करते हैं।

40. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए विभिन्न तर्कों के संबंध में प्राधिकारी निम्नलिखित प्रेक्षण करते हैं :

(क) निर्यातकों के इस तर्क के संबंध में घरेलू उद्योग यह दावा किया है आयातों में "अधिक्रमी रूप से" वृद्धि हुई है जबकि थाईलैंड से भारत को आयात कमोबेश रूप से स्थिर बने रहे हैं, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि थाईलैंड से आयातों में पाटनरोधी शुल्क पहले से ही प्रभावी होने के बावजूद भारी वृद्धि हुई है।

(ख) निर्यातकों के इस तर्क के संबंध में कि एक्रिलिक फाइबर की कीमतों में गिरावट का एक्रिलोनाइट्राइल की कीमतों पर उपरोपित किया जा सकता है, यह नोट किया जाता है कि एक्रिलिक फाइबर की कीमतों में हुआ परिवर्तन एक्रिलोनाइट्राइल की कीमतों में हुए परिवर्तन की तुलना में कम परिवर्तन हुआ है।

(ग) निर्यातकों के इस तर्क के संबंध में कि "बिक्री लागत" में भाड़ा तथा अन्य बिक्री व्यय शामिल होते है, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत का निर्धारण, आयातों की उतराई कीमत से उसकी तुलना करने से पहले, भाग तथा अन्य बिक्री व्यय को घटाने के पश्चात ही किया है।

(घ) इस तर्क के संबंध में याचिकाकर्ता कंपनियों में से एक कंपनी की निदेशकों की रिपोर्ट में समग्र बिक्रियों में गिरावट के बावजूद ब्याज पूर्व अवक्षयण ब्याज और कर पूर्व उच्चतर लाभ का दावा किया गया है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के लाभ में क्षति अवधि के दौरान समग्र रूप से गिरावट आई है। नियम में प्राधिकारी से "घरेलू उद्योग पर समग्र रूप से" विचार करने की अपेक्षा की जाती है। क्षति निर्धारण घरेलू उद्योग के केवल एक संघटक के आंकड़ों पर विचार करके नहीं किया जा सकता है।

(ङ) घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के क्षति अवधि के दौरान के निष्पादन की जांच की गई है जो वर्ष 2009-10 से प्रारंभ होता है न कि वर्ष 2010-11 से। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग से संबंधित क्षति के सभी संगत पैरामीटरों की जांच की है और घरेलू उद्योग के निष्पादन के संबंध में निष्कर्ष उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग, बाजार हिस्सा, लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ, नकद लाभ आदि जैसे सभी संगत पैरामीटरों पर विचार करने के पश्चात ही निकाला है।

(च) इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने खोई संविदाओं अथवा बिक्री में गिरावट का कोई साक्ष्य नहीं दिया है; यह स्पष्ट किया जाता है कि नियम में यह अपेक्षा की जाती है कि प्राधिकारी घरेलू उद्योग के निष्पादन पर विचार नियमावली में निर्धारित विभिन्न पैरामीटरों पर विचार करके करेंगे। यद्यपि अप्राप्त संविदा क्षति का पैरामीटर नहीं हो सकता है, फिर भी अप्राप्त संविदा की गैर-मौजूदगी का आशय यह नहीं हो सकता है कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई ही नहीं है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग को बिक्री मात्रा में गिरावट सहन करनी पड़ी है, जो स्वत: यह सिद्ध करती है कि उपभोक्तागण अपनी जरूरतों के लिए क्रय आदेश घरेलू उद्योग को न देकर, आयातों को देना पसंद करते हैं।

(छ) इस तर्क के संबंध में कि मालसूची में कमी घरेलू उद्योग की बेहतर स्थिति का संकेतक है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति के संबंध में निष्कर्ष विभिन्न आर्थिक पैरामीटरों पर किए गए विचार पर आधारित होता है। यह निष्कर्ष चुनिंदा रूप से किसी एक पैरामीटर पर विचार करके नहीं निकाला जा सकता है।

(ज) इस तर्क के संबंध में कि यह आयात देश में मौजूद मांग के अंतराल को पूरा करने के लिए किए गए है; प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मांग आपूर्ति में अंतर होना किसी देश में किसी उत्पाद के पाटन को न्यायोचित नहीं ठहराता है। इसके विपरीत, मांग आपूर्ति के बीच अंतर होने पर निर्यातकगण उस देश में अपने उत्पाद की बिक्री अपाटित कीमतों पर आसानी से कर सकते हैं।

(झ) इस तर्क के संबंध में कि निर्यातक ने प्रश्नावली के भाग-II का प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है और इसलिए उसे संभाव्यता के संबंध में कोई भी तर्क देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निर्यातक से यह कहा गया था कि वह विहित स्वरूप और ढंग से प्रश्नावली के भाग-2 का प्रत्युत्तर प्रस्तुत करे और निर्यातक ने यह प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर दिया है।

(ञ) इस तर्क के संबंध में कि कोरियाई सीमाशुल्क आंकड़ों द्वारा रिपोर्ट किए गए निर्यातों की मात्रा भारत में एक्रिलिक फाइबर के निर्यातों की भारी मात्रा को प्रदर्शित करते हैं; प्राधिकारी ने इस तथ्य की जांच उपलब्ध सूचना के आलोक में की है और उस पर क्षति की प्रसंभावना के प्रयोजनार्थ विचार किया है।

(ट) इस तर्क के संबंध में कि थाईलैंड से आयातों में वृद्धि थाई एक्रिलिक फाइबर द्वारा अपनी क्षमता में विस्तार किए जाने के परिणामस्वरूप हुई है; प्राधिकारी ने इस तथ्य की जांच की है और उस पर क्षति की संभावना के प्रयोजनार्थ विचार किया है।

(ठ) सार्वजनिक सुनवाई में कुछ उपभोक्ताओं के इस तर्क के संबंध में पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण का प्रभाव अनुप्रवाही उद्योग पर पड़ा है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकारों ने यह सिद्ध नहीं किया है

कि पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण का अनुप्रवाही उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगभग काफी समय से प्रभावी रहा है और प्राधिकारी के रिकार्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि उसका विपरीत प्रभाव पड़ा है।

(ड) सार्वजनिक सुनवाई में एक उपभोक्ता द्वारा उठाए गए शुल्क मुक्त आयातों के मुद्दे के संबंध में; यह नोट किया जाता है कि आयातकों के हितों पर शुल्क मुक्त आयातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत किए गए आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं होता है।

(ढ) सार्वजनिक सुनवाई में एक उपभोक्ता द्वारा उठाए गए इस तर्क के संबंध में कि आयातों में यह वृद्धि अन्य दो भारतीय उत्पादकों के संयंत्र बंद होने के कारण हुई है; प्राधिकारी ने इस संबंध में ऐतिहासिक आंकड़ों की जांच की है और यह नोट किया है कि अन्य घरेलू उत्पादकों ने वर्ष 2006-07 में अपनी आपूर्तियां कम कर दी थीं और तत्पश्चात उन्हें बिल्कुल बंद कर दिया था। तथापि, थाईलैंड से आयातों में यह वृद्धि तो वर्ष 2011-12 और उसके पश्चात से प्रारंभ हुई है।

(ण) इस तर्क के संबंध में कि पिछले कुछ वर्षों में जर्मनी से आयात में लगातार वृद्धि हुई है, यह नोट किया जाता है कि जर्मनी से आयातों की उतराई कीमत क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना में बहुत अधिक है और इस प्रकार उससे घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

(त) निर्यातक के इस तर्क के संबंध में कि याचिकाकर्ताओं की वार्षिक रिपोर्टें यह दर्शाती है कि क्षति भिन्न-भिन्न कारणों से हुई है और वार्षिक रिपोर्टों में दिए गए विवरणों तथा वर्तमान प्रस्तुतिकरणों में भारी विरोधाभास है, यह नोट किया जाता है कि वार्षिक रिपोर्टों में व्यापक आर्थिक स्थिति के संबंध में विवरण दिया जाता है कि क्योंकि कंपनियों को अपने समग्र व्यवसाय की स्थिति के बारे में अपने पणधारियों और शेयरधारकों को सूचना प्रदान करनी होती है जबकि प्राधिकारी जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षति का निर्धारण करने के लिए केवल घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद के प्रचालनों पर ही विचार करते हैं। चूंकि वार्षिक रिपोर्टों में दिए गए विवरण सभी पणधारियों से संगत होते हैं, इसलिए इनमें कच्चे माल, उत्पाद और अनुप्रवाही उत्पाद से संबंधित सूचना होती है जबकि प्राधिकारी को नियमावली के अनुबंध-II के प्रावधानों के अनुसार घरेलू उत्पादन के केवल उस उत्पाद के उत्पादन के संबंध में ही सूचना पर विचार करना अपेक्षित होता है। इस संबंध में नियमावली के अनुबंध-II में प्रावधान है कि पाटित आयातों के प्रभाव का आकलन समान उत्पाद के घरेलू उत्पादन के संबंध में किया जाना चाहिए जब उपलब्ध आंकड़े उस उत्पाद के पृथक अभिज्ञान की अनुमति देते हो। यह केवल एक ऐसी स्थिति में किया जा सकता है जहां उस उत्पाद का पृथक अभिज्ञान संभव न हों, कि पाटित आयातों के प्रभाव की आकलन संकीर्णतम ग्रुप या उत्पादों की श्रृंखला, जिसमें समान उत्पाद भी शामिल हों, और जिनके लिए आवश्यक सूचना प्रदान कराई जा सकती है, के उत्पादन की जांच करके किया जा सकता है।

(थ) घरेलू उद्योग पर आयातित कच्चे माल की कीमतों के प्रभाव के संबंध में यह नोट किया जाता है कि यह एक वैश्विक घटना है। घरेलू उत्पादक और निर्यातक दोनों ही पर कच्चे माल में होने वाले उतार-चढ़ाव का प्रभाव पड़ता है।

(द) भारतीय उत्पादकों की उच्चतर उधार लागत के तर्क के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के वास्तविक निष्पादन की जांच करना अपेक्षित होता है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की क्षति सूचना की जांच की है और यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट सतत पाटन के कारण आई है, न कि उधार लागत के कारण। यह वह मामला नहीं है जहां घरेलू उद्योग की उधार लागत विगत में वास्तविक रूप से कम थी और इसमें जांच की अवधि के दौरान भारी वृद्धि हो गई हो।

(ध) हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में घरेलू उद्योग को क्षति निकृष्ट वैश्विक परिदृश्य जैसे मुद्रा में उतार-चढ़ाव, अन्य फाइबरों से प्रतिस्पर्धा में अचानक वृद्धि, पण्य कीमतों में कमी होना और यूरो जोन संकट के कारण हुई है, यह नोट किया जाता है कि मुद्रा में उतार-चढ़ाव जैसे कारक कच्चे माल और परिष्कृत उत्पाद दोनों के लिए ही समान है। जहां तक अन्य फाइबरों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का संबंध है; आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि इस उत्पाद की

मांग में गिरावट अन्य फाइबरों से प्रतिस्पर्धा के कारण नहीं आई है। वास्तव में तो इस उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है।

(न) पण्य वस्तुओं की कीमतों में कमी होने या यूरो जोन संकट के प्रभाव के संबंध में दिए गए तर्क के बारे में यह नोट किया जाता है कि वह घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग के निष्पादन में आई गिरावट के लिए एक कारण नहीं हो सकता है। यह निर्धारण घरेलू उद्योग का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निष्पादन पर आधारित नहीं है। यह निष्कर्ष घरेलू उद्योग के घरेलू बाजार में निष्पादन पर आधारित है।

(ऩ) इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति स्व-प्रोद्भूत है और यह क्षति घरेलू उत्पादकों के बीच परस्पार प्रतिस्पर्धा के कारण हुई है; यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के निष्पादन पर समग्र रूप से जांच की है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उत्पादकों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा की मौजूदगी का आशय यह नहीं है कि आयात से कोई क्षति हुई ही नहीं है। उसके अतिरिक्त, यह नोट किया जाता है कि आयातों की उतराई कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है।

(प) इस तर्क के संबंध में घटते उत्पादन के परिदृश्य में अधिक लोगों को रोजगार देने से उत्पादकता में कमी आई है प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उत्पादकता में यह गिरावट उत्पादन में गिरावट के परिणामस्वरूप आई है। इसके अतिरिक्त, यदि उत्पादकता पर विगत में भी समान स्तर पर विचार किया जाता है तो भी आंकड़े यह दर्शाते हैं कि लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ और नकदी प्रवाह में भारी कमी आई है।

(फ) तर्क संगत लाभ के संबंध में दिए गए तर्क के संबंध में यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी, एक परम्परा के रूप में, लगाई गई पूंजी पर 22 प्रतिशत प्रतिलाभ को तर्कसंगत लाभ के रूप में मानते हैं और इस मामले में भी उस पर ही विचार किया गया है।

(ब) इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग को अन्य कारकों से हुई क्षति के लिए कथित पाटन को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है; प्राधिकारी संगत पैरामीटरों की जांच करने पर यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में कमी बाजार में पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण ही आई है।

(भ) घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन के संबंध में यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन में भी गिरावट आई है। याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क दिया है कि यदि निर्यातों का अपवर्जन करके उत्पादन पर विचार किया जाता है तो यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग का उत्पादन अब भी भारी गिरावट दर्शा रहा है। इसके अतिरिक्त, किसी भी हाल में, प्राधिकारी ने लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ, और नकद लाभ जैसे पैरामीटरों पर केवल घरेलू प्रचालनों के लिए विचार किया है।

(म) इस तर्क के संबंध में एक आवेदक ने जानबूझकर गलत सूचना/आंकड़े प्रदान कराए हैं और वस्तु के कथित पाटन तथा घरेलू उद्योग को कथित क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का अभाव है, और इसलिए केवल इस आधार पर ही इस जांच को समाप्त किया जा सकता है, प्राधिकारी संपूर्ण जांच करने और घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान कराई गई सूचना का सत्यापन करने के पश्चात यह प्रतिपादित करते हैं कि घरेलू उद्योग को सतत पाटन के परिणामस्रूप सतत क्षति सहन करनी पड़ी है।

संचयी आकलन

41. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संचयी आकलन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए नहीं किया है कि कोरिया से होने वाले आयात घरेलू उद्योग को क्षति का संचयी आकलन करने के लिए विधि के अंतर्गत अपेक्षित सीमा से कम है। इसलिए, घरेलू उद्योग को क्षति की जांच दो संबंध देशों के संबंध में की गई है।

42. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति निर्धारण की जांच में उन कारकों को शामिल किया जाएगा जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति का संकेत मिलता हो। ".....पाटित आयातों की मात्रा, घरेलू बाजार में समान वस्तु की कीमतों पर उनके प्रभाव और इन आयातों का घरेलू उत्पादकों की समान वस्तु पर परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों पर विचार करते हुए" कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के प्रभाव पर विचार करते हुए यह जांच करना आवश्यक समझा जाता है कि क्या भारत में

समान वस्तु की कीमतों की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत अधोरदन किया गया है या क्या इन आयातों का प्रभाव इन कीमतों को भारी मात्रा में निग्रह करने का है या इनसे कीमतें बढ़ने से वंचित किया जा रहा है जो अन्यथा भारी मात्रा में बढ़ी होती।

43. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी देशनांकों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्रापण, पाटन का मार्जिन एवं मात्रा आदि पर पूर्वोक्त नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।

44. वर्तमान जांच प्रभावी पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा जांच है। नियम 23 में प्रावधान है नियम 11 समीक्षा के मामलों पर भी यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगा। इसलिए, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निर्धारण अनुबंध-II के साथ पठित नियम 11 पर, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, विचार करते हुए किया है। इसके अतिरिक्त, चूंकि इस विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क पहले ही प्रभावी है, इसलिए प्राधिकारी यह विचार करते हैं कि थाईलैंड और कोरिया आरपी से इस उत्पाद के आयातों पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के तथ्यों पर घरेलू उद्योग को क्षति की जांच करते समय विचार करना अपेक्षित है। प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या क्षति कारित करने वाली पाटन का प्रतिरोध करने के लिए मौजूदा साधन आवश्यक है।

45. सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9(क)(5) के अनुसार अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क, यदि उसका पहले प्रतिसंहरण नहीं किया गया तो, ऐसे अधिरोपण की तारीख से पांच वर्षों की अवधि की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाएगा, बशर्ते कि केंद्रीय सरकार का, एक समीक्षा में, विचार हो कि, इस शुल्क को समाप्त कर देने से पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है तो केंद्रीय सरकार, समय-समय पर, ऐसे अधिरोपण की अवधि को पांच अन्य वर्षों के लिए बढ़ाएगी और यह बढ़ी हुई अवधि ऐसे विस्तार के आदेश की तारीख से प्रभावी होगी।

46. वर्तमान क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों की मात्रा एवं कीमत प्रभाव और कीमतों पर इसके प्रभाव और लाभप्रदता एवं कीमतों पर इसके प्रभाव की जांच और पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंधों तथा क्षति की मौजूदगी की जांच की है। प्राधिकारी ने मैसर्स इंडियन एक्रिलिक लिमिटेड, मैसर्स वर्धमान एक्रिलिक लिमिटेड और मैसर्स पशुपति एक्रिलान लिमिटेड से संबंधित सूचना पर विचार करते हुए नियमों के अंतर्गत घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की जांच की है।

47. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों के विचारों पर वर्तमान जांच में संगत पाई गई सीमा तक विचार किया है और उनका समुचित रूप से निराकरण कर दिया है। प्राधिकारी ने नियमों के अनुसार क्षति पैरामीटरों का विश्लेषण किया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान कराई गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई है। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने, जहां कहीं आवश्यक हुआ, गोपनीयता प्रदान कर दी और ऐसी सूचना के गोपनीय के रूप में माना गया और उसका अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकटन नहीं किया गया। जहां कहीं संभव हुआ, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान कराने वाले पक्षकारों से यह अनुरोध किया गया कि वे गोपनीय आधार पर प्रदान कराई गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ भी प्रदान कराएं। तदनुसार, पाटित आयातों की मात्रा एवं कीमत प्रभाव की जांच निम्नवत की गई है :

पाटित आयातों का कीमत प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

48. संबद्ध देशों से पाटित आयातों तथा अन्य देशों से आयातों की मात्रा प्रभाव की जांच निम्नवत की गई है :

मांग और बाजार हिस्सा

49. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों तथा अन्य देशों से आयातों की कुल मात्रा एवं मूल्य का आकलन करने के लिए डीजीसीआईएंडएस से अवाप्त सौदावार आयात आंकड़ों पर विचार किया है। मांग और बाजार हिस्से संबंधित स्थिति निम्नलिखित हैं :

विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
आकलित मांग	एमटी	84,541	79,505	79,019	92,684
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	74,020	58,995	60,561	64,425
आयात – थाइलैंड	एमटी	5,124	4,811	6,146	10,427
आयात – कोरिया आरपी	एमटी	-	46	-	101
आयात – संबद्ध देश	एमटी	5,124	4,857	6,146	10,528
आयात – वह देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा है	एमटी	2,775	5,822	3,841	5,689
आयात – अन्य देश	एमटी	2,622	9,830	8,471	12,042
मांग में बाजार हिस्सा					
घरेलू उद्योग	%	87.56%	74.20%	76.64%	69.51%
आयात – थाईलैंड	%	6.06%	6.05%	7.78%	11.25%
आयात – कोरिया आरपी	%	0.00%	0.06%	0.00%	0.11%
संबद्ध देश	%	6.06%	6.11%	7.78%	11.36%
वह देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा है	%	3.28%	7.32%	4.86%	6.14%
अन्य देश	%	3.10%	12.36%	10.72%	12.99%

50. उपर्युक्त आंकड़े यह दर्शाते हैं घरेलू मांग में वर्ष 2010-11 और वर्ष 2011-12 में गिरावट आई और फिर जांच की अवधि में इसमें वृद्धि हुई। यद्यपि आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान थाईलैंड से आयातों में भारी वृद्धि हुई है वहीं कोरिया आरपी से आयातों की मात्रा जांच की अवधि और वर्ष 2010-11 में न्यून रही है। अन्य देशों, जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा है, (बेलारूस और जापान) से आयातों में भी क्षति अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि क्षति अवधि के दौरान एक नए स्रोत, मिस्र से भी आयातों में भारी वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में आधार वर्ष और वर्ष 2011-12 की तुलना में जांच की अवधि के दौरान भारी गिरावट आई है। तथापि, थाईलैंड से आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है।

आयात मात्रा और संबद्ध देशों का हिस्सा

51. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से या भारत में उत्पादन और खपत के संगत रूप में वृद्धि हुई है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II (ii) में निम्नवत प्रावधान है :

"पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय, उक्त प्राधिकारी यह विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से या भारत में उत्पादन और खपत के संगत रूप से वृद्धि हुई है।"

52. डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रदान कराए गए आंकड़ों पर विचार करते हुए क्षति अवधि के लिए आयात मात्रा निम्नलिखित है :

आयातों का विवरण	**यूनिट**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**
आयात-थाईलैंड	एमटी	5,124	4,811	6,146	10,427
आयात-कोरिया आरपी	एमटी	-	46	-	101
संबद्ध देश	एमटी	5,124	4,857	6,146	10,528
वह देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा है	एमटी	1,228	4,018	1,827	3,425
बेलारूस	एमटी	1,547	1,805	2,014	2,264
जापान	एमटी	2,775	5,822	3,841	5,689
अन्य देश	एमटी	2,622	9,830	8,471	12,042
कुल आयात	एमटी	10,521	20,509	18,458	28,259
निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध देशों के आयात					
· कुल आयात	%	49%	23%	33%	37%
· खपत	%	6%	6%	8%	11%
· उत्पादन	%	6%	7%	8%	15%

53. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि थाईलैंड के आयातों में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई है। हालांकि थाईलैंड से होने वाले आयात बढ़े हैं वहीं कोरिया की आयात मात्रा में कमी आई है।

54. अन्य देशों, जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा है, (बेलारूस और जापान), से आयातों में भी आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2010-11 और उसके पश्चात वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि एक नवीन स्रोत, मिस्र से आयातों में भी क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। प्राधिकारी ने मिस्र से हो रहे आयातों के संबद्ध में एक नई जांच की शुरूआत कर दी है। तथापि, प्राधिकारी ने इसको समस्त किए जाने के लिए घरेलू उद्योग से प्राप्त एक आवेदनपत्र, जिसमें यह कहा गया था कि मिस्र के एकमात्र उत्पादक ने अब उत्पादन करना समाप्त कर दिया है, को ध्यान में रखते हुए 15 जनवरी, 2015 को समाप्त कर दी है।

55. प्राधिकारी यह प्रतिपादित करते हैं कि थाईलैंड से आयातों की मात्रा पाटनरोधी शुल्क लगे होने के बावजूद संपूर्ण क्षति अवधि में भारी वृद्धि हुई है।

पाटित आयातों का घरेलू उद्योग पर कीमत प्रभाव

56. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में नियमावली के अनुबंध-II (ii) में निम्नलिखित निर्धारण है :

"नियम 18 के उप-नियम (2) में यथाउल्लिखित कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी यह विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमतों की तुलना में भारी कीमत अधोरदन हुआ है या क्या इन आयातों का प्रभाव कीमतों का भारी मात्रा में निग्रहण करना है अथवा कीमतों को बढ़ने से रोकना है, जिनमें अन्यथा भारी मात्रा में वृद्धि हुई होती।"

57. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच कीमत अधोरदन, कीमत अधोविक्रयण, कीमत निग्रहण और कीमत अवमंदन, यदि कोई, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग की भारित औसत उत्पादन लागत, भारित औसत निवल बिक्री प्रापण (एनएसआर) और गैर-क्षतिकारी कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देशों से आयातों की उतराई लागत से की गई है।

कीमत अधोविक्रयण और कीमत अधोरदन

58. पाटित आयातों का कीमतों पर प्रभाव के संबंध में यह जांच की गई है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत अधोरदन किया गया है या क्या इन आयातों का प्रभाव कीमतों का भारी मात्रा में निग्रह करना अथवा कीमतों को बढ़ने से रोकना है, जिनमें अन्यथा भारी मात्रा में वृद्धि हुई होती।

59. कीमत, अधोरदन का निर्धारण जांच की संपूर्ण अवधि के दौरान संबद्ध देशों से पाटित आयातों के भारित औसत उतराई मूल्य की तुलना उसी अवधि के लिए घरेलू उद्योग के भारित औसत निवल बिक्री प्रापण से करते हुए की गई है। इस उद्देश्य के लिए आयातों के उतराई मूल्य का परिकलन संबद्ध देशों से आयातों की कीमत के डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त आंकड़ों में रिपोर्ट किए गए मूल्य पर लागू आधारभूत सीमा शुल्क और 1 प्रतिशत हैंडलिंग प्रभार जोड़कर किया गया है। घरेलू उद्योग के निवल बिक्री प्रापण का निर्धारण करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा पेशकश की गई कमीशन, रिबेट और डिस्काउंट और प्रदत्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क पर रिबेट दी गई है।

60. कीमत अधोविक्रयण का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ संबद्ध देशों से भारित औसत उतराई कीमत की तुलना जांच की अवधि के दौरान निर्धारित घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारी कीमत तथा क्षति अवधि के लिए उत्पादन लागत से की गई है।

विवरण	**यूनिट**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**जांच की अवधि**
बिक्री लागत	रुपए/एमटी	***	***	***	***
निवल बिक्री प्रापण	रुपए/एमटी	***	***	***	***
उतराई मूल्य - थाईलैंड	रुपए/एमटी	***	***	***	***
उतराई मूल्य - कोरिया	रुपए/एमटी	***	***	***	***
कीमत अधोरदन – थाईलैंड	रुपए/एमटी	***	***	***	***
कीमत अधोरदन – कोरिया	रुपए/एमटी	***	***	***	***
कीमत अधोरदन – थाईलैंड	%	***	***	***	***
कीमत अधोरदन – कोरिया	%	***	***	***	***
कीमत अधोरदन – थाईलैंड	% रेंज				0-10
कीमत अधोरदन – कोरिया	% रेंज				5-15
गैर-क्षतिकारी कीमत	रुपए/एमटी				***
कीमत अधोविक्रयण – थाईलैंड	रुपए/एमटी				***
कीमत अधोविक्रयण – कोरिया	रुपए/एमटी				***

कीमत अधोविक्रयण – थाईलैंड	%				***
कीमत अधोविक्रयण – कोरिया	%				***
कीमत अधोविक्रयण – थाईलैंड	% रेंज				0-10
कीमत अधोविक्रयण – कोरिया	% रेंज				5-15

61. इस संबंध में प्राधिकारी निम्नवत नोट करते हैं :

(क) प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों का उतराई मूल्य घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत से कम है जिससे सकारात्मक कीमत अधोरदन हुआ है।

(ख) आयातों की उतराई कीमत तथा बिक्री लागत एवं गैर-क्षतिकारी कीमत के बीच की तुलना की गई है। यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से आयातों का उतराई मूल्य जांच की अवधि में बिक्री लागत और गैर-क्षतिकारी कीमत से की गई है।

62. इस प्रकार प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संबद्ध देशों के आयातों के उतराई मूल्य से भारी मात्रा में कीमत अधोरदन और कीमत अधोविक्रयण हुआ है।

पाटित आयातों का कीमत निग्रहण ओर कीमत अवमंदन प्रभाव

63. पाटित आयातों के कीमत निग्रहण प्रभाव की जांच संबद्ध देशों के उतराई मूल्य और बिक्री लागत, निवल बिक्री प्रापण के संदर्भ में की गई है। यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि में आयातों की उतराई कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों से कम है। इसके अतिरिक्त, उक्त अवधि में बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों में वृद्धि हुई है, तथापि, बिक्री कीमत में हुई वृद्धि जांच की अवधि के दौरान बिक्री लागत में हुई वृद्धि की तुलना में अधिक है। इसके अतिरिक्त, उतराई कीमत में उस सीमा तक वृद्धि नहीं हुई जिस सीमा तक लागत में वृद्धि हुई है। इस प्रकार, आयात घरेलू बाजार में कीमतों का निग्रहण कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2011-12 और जांच की अवधि के बीच यद्यपि लागत और कीमत दोनों में गिरावट आई है तथा बिक्री कीमत में हुई गिरावट जांच की अवधि में उत्पादन लागत में आई गिरावट की तुलना में बहुत अधिक है।

64. याचिकाकर्ताओं ने यह दावा किया है मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने की स्थिति में और यदि घरेलू उद्योग अपनी बिक्री आयात कीमतों पर करने का चयन करता है तो घरेलू उद्योग को भारी वित्तीय घाटा होगा। निवेश पर प्रतिलाभ और नकद लाभ भी ऋणात्मक हो जाएगा। यह निष्कर्ष निकला जाता है कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने से बाजार में कीमतों पर भारी विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक प्राचलों की जांच

65. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षा की जाती है कि क्षति निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की उद्देश्य परक जांच की जाएगी। इन आयातों के ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव के संबंध में नियमावली में पुन: यह प्रावधान किया गया है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उन सभी संगत आर्थिक पैरामीटरों और सूचकांकों का उद्देश्यपरक एवं पक्षपात रहित मूल्यांकन शामिल होगा जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हैं, इनमें शामिल हैं बिक्री, लाभ, आउटपुट, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिलाभ और क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन के मार्जिन की मात्रा; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, वेतन, वृद्धि और पूंजी निवेश उगाहने की क्षमता पर वास्तविक एवं प्रसंभावित ऋणात्मक प्रभाव। घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच करने से यह व्यक्त होता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। तथापि, वर्तमान जांच एक समीक्षा जांच होने के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति का आकलन यथावश्यक परिवर्तनों सहित आधार पर करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने यह जांच की गई है कि क्या मौजदा

उपाय उस पाटन का, जो क्षति कारित कर रहा है, प्रतिरोध करने के लिए पर्याप्त है। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न पैरामीटरों की जांच निम्नवत की गई है।

घरेलू उद्योग का उत्पादन और क्षमता उपयोग, बिक्री

66. सत्यापित आंकड़ों के आधार पर घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा से संबंधित सूचना निम्नलिखित है :

विवरण	यूनिट	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
संस्थापित क्षमता	एमटी	92,000	92,000	92,000	92,000
उत्पादन	एमटी	85,936	74,406	72,590	70,066
क्षमता उपयोग	%	93%	81%	79%	76%
बिक्री मात्रा	एमटी	74,020	58,995	60,561	64,425
मांग	एमटी	84,541	79,505	79,019	92,684

67. उपर्युक्त आंकड़ों के आधार पर प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि :

(क) क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में गिरावट जांच की अवधि में मांग में वृद्धि होने और क्षति अवधि के दौरान अच्छी मांग बने रहने के बावजूद हुई है।

(ख) इसके परिणामस्वरूप, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन में गिरावट आई है।

(ग) क्षति अवधि में क्षमता में कोई पारिवर्तन नहीं हुआ। घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है।

लाभप्रदायकता, निवेश पर प्रतिलाभ और नकद लाभ

68. घरेलू उद्योग के लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ और नकदी प्रवाह की जांच निम्नवत की गई है:

अवधि	मापन की इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
बिक्री लागत	रुपए/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	*100*	*151*	*152*	*150*
बिक्री कीमत	रुपए/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	*100*	*137*	*132*	*130*
लाभ/हानि	रुपए/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	*100*	*57*	*25*	*24*
लाभ/हानि	लाख रुपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	*100*	*46*	*20*	*21*
नकद लाभ	लाख रुपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	*100*	*64*	*28*	*30*
निवेश पर प्रतिलाभ	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	*100*	*52*	*34*	*41*

69. प्राधिकारी नोट करते हैं कि :

(क) क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है।

(ख) लाभप्रदता पर इस गिरावट का प्रभाव लाभ, नकद लाभ और निवेश पर प्रतिलाभ में गिरावट के रूप में प्रदर्शित हुआ है। क्षति अवधि के दौरान लाभ, नकद लाभ और निवेश पर प्रतिलाभ में भारी गिरावट आई है।

मालसूची

70. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के मालसूची स्तर की जांच की है, जो अधोलिखित तालिका में दी गई है :

विवरण	**यूनिट**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**जांच की अवधि**
औसत स्टॉक (मात्रा)	एमटी	***	***	***	***

71. उपर्युक्त सूचना से यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की मालसूची में वर्ष 2011-12 तक वृद्धि हुई और फिर जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई। तथापि, जांच की अवधि में मालसूची का स्तर आधार वर्ष की तुलना में अधिक था।

रोजगार और वेतन

72. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कर्मचारियों की संख्या में वर्ष 2011-12 में वृद्धि हुई और फिर जांच की अवधि में इसमें मामूली सी गिरावट आई। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा संदत्त वेतन में भी वृद्धि हुई है।

विवरण	**यूनिट**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**जांच की अवधि**
रोजगार	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	*100*	*102*	*106*	*105*
वेतन	लाख रुपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	*100*	*118*	*128*	*147*

उत्पादकता

73. घरेलू उद्योग की उत्पादकता का मापन श्रम उत्पादकता के रूप में किया गया है और प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उत्पादन में गिरावट के अनुरूप ही उत्पादकता में भी गिरावट आई है।

विवरण	**यूनिट**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**जांच की अवधि**
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	*100*	*85*	*79*	*77*
प्रतिदिन उत्पादकता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	*100*	*87*	*84*	*82*

घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

74. संबद्ध देशों तथा अन्य देशों से आयात कीमतों, लागत ढांचे में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित करने वाले पाटित आयातों के अलावा अन्य कारकों पर विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि संबद्ध देशों से आयातित माल का उतराई मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से बहुत कम है जिससे भारतीय बाजार में गंभीर कीमत अधोरदन हो रहा है। भारतीय उत्पादकों की कीमतों का बेंचमार्क संबद्ध देशों सहित विभिन्न स्रोतों से आयात कीमतें हैं। इस उत्पाद का कोई अर्थक्षम प्रतिस्थानी नहीं है। यह भी नोट किया जाता है कि इस संबद्ध वस्तु की मांग में भारी वृद्धि प्रदर्शित हुई है और यह घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं हो सकता है। अत:, घरेलू उद्योग की कीमतों के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक आयातों के उतराई मूल्य और घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत है।

पाटन मार्जिन की मात्रा

75. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का पाटन सकारात्मक और पर्याप्त है।

वृद्धि

76. घरेलू उद्योग के विभिन्न आर्थिक पैरामीटरों की जांच करने पर प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर घरेलू उद्योग को उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्सा के रूप में विपरीत वृद्धि सहन करनी पड़ी है। लाभ, नकद लाभ, और निवेश पर प्रतिलाभ जैसे पैरामीटरों में भी गिरावट प्रदर्शित हुई है। उन कीमतों पर विचार करते हुए जिन पर संबद्ध देशों के निर्यातक भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन कर रहे हैं; यह कहा जा सकता है कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने से पाटित आयातों की मात्रा में भारी वृद्धि होगी और उससे वृद्धि में अधिक कमी आएगी।

वृद्धि प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष)	यूनिट	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
उत्पादन	%	-	-13%	-2%	-3%
बिक्री मात्रा	%	-	-20%	3%	6%
बिक्री कीमत	%	-	37%	-3%	-1%
प्रति यूनिट लाभ	%	-	-43%	-57%	-4%
निवेश पर प्रतिलाभ	%	-	-18%	-7%	3%
क्षमता उपयोग	%	-	-13%	-2%	-3%
घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा	%	-	-13%	2%	-7%

पूंजी निवेश उगाहने की क्षमता

77. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता एकल उत्पाद कंपनियां है। संबद्ध देशों तथा अन्य स्रोतों से पाटन ने याचिकाकर्ताओं को अपना उत्पादन कम करने के लिए विवश कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने यह दावा किया है कि इन हालातों में कोई नया निवेश करना अव्यवहार्य होगा।

क्षति का समग्र आकलन

78. उपर्युक्त जांच के आधार पर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस उत्पाद का पाटन जारी रहा और पाटन मार्जिन बहुत अधिक है; थाईलैंड से इस उत्पाद के आयातों में समग्र रूप से और भारत में इस उत्पाद के उत्पादन और खपत के संगत रूप से भारी वृद्धि हुई है; यह आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों का कीमत अधोरदन कर रहे है; कीमत अधोविक्रयण बहुत अधिक एवं सकारात्मक है; आयातों ने बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों का निग्रहण किया है। इस प्रकार, इस जांच से यह प्रदर्शित हुआ है कि पाटित आयातों में समग्र रूप से और भारत में इस उत्पाद के उत्पादन और उसकी खपत के संगत रूप से भारी वृद्धि हुई है। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में भारत में समान उत्पाद की कीमतों की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत अधोरदन किया गया है और इन आयातों के प्रभाव से कीमतों का भारी मात्रा में निग्रहण हुआ है तथा इसने कीमतों में वह वृद्धि होने से रोक दिया जो अन्यथा भारी मात्रा में हुई होती। घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में इस जांच से यह प्रदर्शित हुआ है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में मात्रा प्राचलों जैसे बाजार हिस्सा, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री के साथ-साथ कीमत पैरामीटरों जैसे लाभ, नकद लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ के रूप में भारी गिरावट आई है। अत:, इस जांच से यह स्पष्ट होता है कि घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति हुई है।

कारणात्मक संबंध

79. पाटनरोधी नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी को, अन्य बातों के साथ-साथ, यह जांच करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटित आयातों के अलावा कोई अन्य ऐसा कारक है जो, इसके साथ-साथ, घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहा हो, ताकि इन अन्य कारकों द्वारा कारित क्षति को पाटित आयातों पर उपरोपित न किया जा सके। इस संबंध में जो कारक संगत हैं उनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा और मूल्य, मांग में संकुचन और खपत के प्रतिमान में परिवर्तन, घरेलू और विदेशी उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा तथा व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं, प्रौद्योगिकी में विकास, निर्यात निष्पादन तथा घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल हैं। यह जांच की गई कि क्या नियामवली के अंतर्गत सूचीबद्ध इन अन्य पैरामीटरों ने घरेलू उद्योग की क्षति में अपना योगदान दिया है।

क) अन्य देशों से आयात तथा अन्य ज्ञात कारक

80. जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों के अलावा जापान और बेलारूस से भी आयात हुआ है जिन पर पाटनरोधी शुल्क प्रभावी है। इसके अतिरिक्त, इजिप्ट से भी कम कीमतों पर आयात हो रहा था और इस स्रोत से आयात की मात्रा न्यूनतम से अधिक थी। प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने इजिप्ट से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने के लिए एक जांच प्रारंभ की थी। तथापि, प्राधिकारी ने दिनांक 15 जनवरी, 2015 को मिस्र के विरूद्ध इस जांच को घरेलू उद्योग से इस जांच को वापस लिए जाने के अनुरोध के संबंध में एक पत्र प्राप्त होने पर समाप्त कर दिया जिसमें यह उल्लेख था कि मिस्र में एकमात्र उत्पादक ने अब अपना उत्पादन करना बंद कर दिया है। इन स्रोतों के अलावा, अन्य सभी देशों से आयात या तो नगण्य हैं या उच्च कीमतों पर हो रहे है।

ख) मांग में संकुचन

81. आंकड़ों से यह प्रदर्शित होता है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग में 2011-12 तक गिरावट आई थी और उसके बाद फिर जांच की अवधि में मांग में भारी वृद्धि हुई। इसलिए मांग में कमी को एक अन्य ऐसे कारक के रूप में नहीं माना जा सकता है जिसने घरेलू उद्योग के निष्पादन को प्रभावित किया होगा।

ग) खपत के प्रतिमान में परिवर्तन

82. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि अन्य टेक्सटाइल फाइबरों ने घरेलू उद्योग को क्षति कारित की होगी। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस उत्पाद की मांग में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न टेक्सटाइल फाइबर भारतीय बाजार में न केवल क्षति अवधि के दौरान प्रतिस्पर्धा कर रहे थे बल्कि उनकी प्रतिस्पर्धा काफी समय से थी। इस प्रकार, यह वह मामला नहीं है जहां विचाराधीन उत्पाद की खपत के प्रतिमान में कोई परिवर्तन हुआ हो।

घ) विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं

83. संबद्ध वस्तु मुक्त रूप से आयात की जा सकती है। घरेलू बाजार में कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया प्राधिकारी के संज्ञान में नहीं आई है। घरेलू उत्पादक एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और साथ ही वे संबद्ध वस्तु का आयात भी कर रहे हैं। घरेलू उद्योग की कीमत संबद्ध वस्तु की उतराई कीमत से प्रभावित होती है। संबद्ध देशों से आयातों की उतराई कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है। रिकार्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शाता है कि घरेलू उत्पादकों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा इतनी अधिक बढ़ गई है/परिवर्तन आ गया है कि घरेलू उद्योग को इस परस्पर प्रतिस्पर्धा के कारण क्षति होने लगी हो।

ड.) प्रविधि में विकास

84. इस जांच से प्रतिविधि में ऐसा कोई भारी विकास प्रदर्शित नहीं हुआ है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति पहुंची हो।

च) घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात

85. याचिकाकर्ता इस विचाराधीन उत्पाद का निर्यात करते हैं। तथापि, क्षति का आकलन करने के लिए घरेलू बिक्रियों से संबंधित सूचना पर ही यथासंभव सीमा तक विचार किया गया है।

छ) उत्पादकता

86. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में घरेलू उद्योग के उत्पादन के अनुरूप ही गिरावट आई है। तथापि, उत्पादकता में यह परिवर्तन इतना अधिक नहीं हुआ है कि उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में इतना भारी परिवर्तन आ जाए। घरेलू उद्योग की उत्पादकता में परिवर्तन, घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति का एक कारक नहीं हो सकता है।

87. इसलिए प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अन्य सूचीबद्ध और ज्ञात पैरामीटरों ने घरेलू उद्योग को क्षति कारित नहीं की है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि कई अन्य ऐसे कारक हैं जिन्होंने घरेलू उद्योग को क्षतिकारित की है। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के इन तर्कों की जांच की है और यह पाया है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में यह गिरावट हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यथाउल्लिखित इन अन्य कारकों के कारण नहीं आई है।

छ) पाटन एवं क्षति की निरंतरता तथा पुनरावृत्ति की संभावना

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

88. यदि मौजूदा शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो पाटन होने और घरेलू उद्योग को क्षति की निरंतरता बने रहने तथा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के अपने दावे के समर्थ में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए हैं :

(क) आयातों का पाटित कीमतों पर प्रवेश होना जारी रहा है।

(ख) थाईलैंड से आयातों की मात्रा में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

(ग) पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिए जाने की स्थिति में संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में वृद्धि होने की संभावना निम्नलिखित कारणों से है :

(i) संबद्ध देशों के निर्यातक कुल उत्पादन का लगभग 70-80 प्रतिशत तक निर्यात कर रहे है।

(ii) थाईलैंड से तृतीय देशों को निर्यात की मात्रा में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

(iii) क्षति अवधि के दौरान कोरिया से तृतीय देशों को आयात क्षति अवधि के दौरान बहुत अधिक रहा है।

(iv) संबद्ध देशों से तृतीय देशों को निर्यात मात्रा पर विचार करते हुए यह कहा जा सकता है कि पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर लिए जाने की स्थिति में भारतीय बाजार में इन निर्यातों में वृद्धि होगी।

(घ) संबद्ध देशों के निर्यातकों की क्षमता उनकी गृह बाजार में घरेलू मांग तथा भारतीय मांग की तुलना में बहुत अधिक है।

(ङ) पिछले निर्णायक समीक्षा जांच में पाटन मार्जिन से इस तथ्य का स्पष्टीकरण होता है कि पाटनरोधी शुल्क प्रभावी होने के बावजूद भी पाटन में भारी वृद्धि हुई है।

(च) संबद्ध देशों से आयात की मात्रा बहुत अधिक है और उसमें निरंतर वृद्धि हो रही है तथा पाटन मार्जिन भी बहुत अधिक है।

(छ) आयातों का उतराई मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है। इसलिए, संबद्ध देशों के उत्पादक, पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में, भारतीय बाजार में आक्रामक रूप से अपना लक्ष्य बनाएंगे।

(ज) घरेलू उद्योग को मात्रा एवं कीमत पैरामीटरों के रूप में क्षति हो रही है। इसके अतिरिक्त, यदि पाटन जारी रहा तो संवर्धित क्षति से इन्कार नहीं किया जा सकता है और यदि वर्तमान शुल्क का समय नहीं बढ़ाया गया तो यह पाटन और अधिक बढ़ी हुई मात्रा में होगा।

हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

89. पाटन एवं क्षति की संभावना के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार निम्नलिखित है :

(क) इस समय प्रभावी पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के परिणामस्वरूप क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के किसी दावे का मूल्यांकन विगत में क्या हुआ उन पर विचार करने के बजाय पुरोलक्षी संदर्भ में और उन बाजार परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाना अपेक्षित है जिनके पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के पश्चात घटित होने की संभावना है।

(ख) घरेलू उद्योग ने प्रसंभाव्यता की जरूरत का अनुपालन नहीं किया है।

(ग) याचिकाकर्ता द्वारा किए गए दो दावे परस्पर विरोधी हैं क्योंकि एक समय पर किसी एक स्रोत से क्षति की निरंतरता बने रहने और उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना इस कारण से नहीं हो सकती है कि यदि उनको क्षति की निरंतरता बनी रहती है तो अभिगृहीत रूप से, उसकी पुनरावृत्ति किसी भी हाल में नहीं हो सकती है।

(घ) "परिणामी क्षति" के संबंध में आवेदकों द्वारा किए गए दावों के केवल अभिवचनों को प्राधिकारी द्वारा तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता है जब तक उसके संबंध में कोई अकाट्य साक्ष्य रिकार्ड में उपलब्ध नहीं करा दिया जाता है।

(ङ) थाई एक्रिलिक फाइबर संपूर्ण क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य करता रहा है और अतिरिक्त क्षमताएं बढ़ाने की उसकी कोई योजना नहीं है। इसके अतिरिक्त, यह तर्क दिया जाता है कि उनकी अन्य देशों में भी सुदृढ़ मौजूदगी है ओर ऐसी कोई संभावना नहीं है कि यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर दिया जाता है तो वे अपनी सप्लाई को भारतीय बाजारों में शिफ्ट करेंगे और यदि शुल्क का प्रतिसंहरण कर लिया जाता है तो वे अपनी निर्यात कीमत और कम करेंगे।

प्राधिकारी द्वारा जांच

90. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिए जाने की स्थिति में भविष्य में पाटन की निरंतरता बने रहने और उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है प्राधिकारी ने निर्यातक की बिक्री मात्रा और उसकी गृह बाजार और तृतीय देशों में निर्यात बाजार में कीमत की प्रवृत्ति की जांच की है। घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों पर भी विचार किया गया है।

91. वर्तमान जांच थाईलैंड और कोरिया आरपी से संबद्ध वस्तु के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच है। नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी को यह निर्धारित करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटनरोधी शुल्क का सतत अधिरोपण करना अधिदिष्ट है। इसमें यह जांच करना भी अपेक्षित है कि क्या अधिरोपित शुल्क क्षतिकारी पाटन का उपशमन करने के अपने आशयित प्रयोजन को पूरा कर रहा है। वर्तमान जांच

में, चूंकि पाटित आयातों की निरंतरता बनी हुई है इसलिए प्राधिकारी को यह जांच करना अपेक्षित नहीं है कि क्या शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिए जाने से इस उत्पाद के पाटन की निरंतरता बने रहने की संभावना है। तथापि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि विगत की जांच में तथा वर्तमान जांच में किया गया पाटन मार्जिन बहुत अधिक है और यह कि जहां तक संबद्ध वस्तु की कीमत और मांग का संबंध है उसके लिए भारतीय बाजार में अनुकूल बाजार परिस्थितियां मौजूद हैं, इसलिए प्राधिकारी का यह विश्वास है कि यदि शुल्क का प्रतिसंहरण कर लिया जाता है तो पाटन में और अधिक तीव्रता आ जाएगी। यह एक सच तथ्य है कि पाटनरोधी शुल्क प्रभावी होने के बावजूद संबद्ध देश भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाअन अभी भी कर रहे हैं।

92. संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क लगे होने के बावजूद क्षति अवधि के दौरान थाईलैंड से आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है। थाईलैंड से आयातों की मौजूदा मात्रा स्वयं ही बहुत अधिक है जो यह दर्शाती है कि यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो घरेलू उद्योग को पाटन तथा उसके परिणामस्वरूप क्षति होने की संभावना है।

93. इस तर्क के संबंध में कि पाटन की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना का मूल्यांकन करना अभिलक्षी संदर्भ में होना चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति अवधि का निर्धारण करना और पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उस पर विचार करना निर्दिष्ट प्राधिकारी की एक सुस्थापित प्रक्रिया है। यह मूल्यांकन, भविष्य में पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने की स्थिति में किसी संभावना के संबंध में होने पर, विगत आंकड़ों पर आधारित होता है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी उन परिस्थितियों में जांच की अवधि के पश्चात की छह माह की अवधि पर विचार करता रहा है, जहां जांच की अवधि के दौरान आयात की मात्रा पर्याप्त नहीं है अथवा घरेलू उद्योग को क्षति कारित करने वाले पाटन को सिद्ध नहीं करती है।

94. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने प्रसंभाव्यता की अपेक्षा का पालन नहीं किया है; प्राधिकारी ने विभिन्न क्षति पैरामीटरों की जांच की है और यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क प्रभावी होने के बावजूद पाटन की निरंतरता बनी रही और उससे घरेलू उद्योग को क्षति कारित होती रही।

95. इस तर्क के संबंध में कि याचिकाकर्ता के दो दावे परस्पर विरोधाभाषी हैं कि एक ही स्रोत से एक ही समय पर क्षति की निरंतरता और उसकी पुनरावृत्ति दोनों इस कारण से नहीं हो सकते हैं; यदि उन्हें क्षति की निरंतरता बनी रही तो अभिगृहीत रूप से उस मामले में उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है; यह नोट किया जाता है कि इस मामले में पाटन एवं क्षति दोनों की निरंतरता बनी रही है।

96. निर्यातकों के इस तर्क के संबंध में कि "परिणामी क्षति" के दावों के संबंध में आवेदकों के केवल अभिकथनों को प्राधिकारी द्वारा तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता है तब तक उसके संबंध में कोई स्पष्ट एवं अकाट्य साक्ष्य प्राधिकारी को रिकार्ड में उपलब्ध नहीं करा दिया जाता है, प्राधिकारी ने विभिन्न क्षति पैरामीटरों की जांच की है और यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि में पाअन की निरंतरता बनी रही ओर उससे घरेलू उद्योग को क्षति कारित हुई है।

97. थाईलैंड से निर्यातक द्वारा किए गए इस तर्क के संबंध में उनकी अन्य देशों में सशक्त मौजूदगी है और यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो इन बाजारों में होने वाले प्रदाय को भारत की ओर अंतरित कर देने की कोई संभावना नहीं है और यदि शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिया जाता है तो भी वे अपनी निर्यात कीमतों में कमी नहीं करेंगे; प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटन एवं क्षति और पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच पूर्व निर्धारित क्षति अवधि के आधार पर की जाती है। प्राधिकारी ने विनिर्दिष्ट क्षति अवधि के लिए उपलब्ध सूचना के आधार पर संगत पैरामीटरों की जांच की है और वह यह नोट करते हैं कि पाटन एवं क्षति की निरंतरता रही और पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने की संभावना भी है। इसके अतिरिक्त, थाईलैंड से निर्यात की मौजूदा मात्रा यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि पाटन एवं क्षति होने की संभावना है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में आयातों में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है।

98. थाईलैंड के निर्यातकों के इस तर्क के संबंध में कि वह पहले से ही अपनी संपूर्ण क्षमता से प्रचालन कर रहे हैं, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि थाईलैंड से भारत को निर्यात की मौजूदा मात्रा ही यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति एवं पाटन होने की संभावना बनी रहेगी।

99. इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने पाटन एवं क्षति की संभावना के पहलू की भी जांच की है और यह उपपादित करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क के अभाव में घरेलू उद्योग को पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने की संभावना है। निम्नलिखित विश्लेषण पुन: यह दर्शाता है कि यदि पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिया जाता है तो उससे पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति की निरंतरता बने रहने/उसका तीव्रीकरण होने की संभावना है।

(i) पाटन मार्जिन का मौजूदा एवं पिछला स्तर

100. पाटन मार्जिन का स्तर मूल जांच, मध्यावधि जांच और निर्णायक समीक्षा जांच के साथ-साथ वर्तमान जांच में भी बहुत अधिक है। घरेलू उद्योग के पास संपूर्ण मांग को पूरा करने की क्षमता होने के बावजूद संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात पाटित कीमतों पर होना अभी भी बना हुआ है। कीमत अधोरदन और कीमत अधोविक्रयण के स्तर को ध्यान में रखते हुए इस बात की संभावना है कि यदि पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिया जाता है तो पाटित आयातों की मात्रा में और अधिक वृद्धि होगी।

(ii) भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता

101. वह कीमत जिस पर थाईलैंड तथा कोरिया आरपी से भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया जा रहा है, इस बात की संकेतक है कि पाटन की निरंतरता बनी रहेगी। उसका तीव्रीकरण होगा। भारत में मौजूदा उतराई कीमत पर, इस समय सकारात्मक कीमत अधोरदन है। अत:, पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिए जाने की स्थिति में भारतीय कीमतें विदेशी उत्पादकों के लिए बहुत अधिक आकर्षक हो जाएगी और उससे भारत को पाटित आयातों के निर्यात में वृद्धि होगी और इस बात की सुदृढ़ संभावना है कि भारतीय उपभोक्ता संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के भारी पैमाने पर आयातों का आश्रय ग्रहण करेंगे।

(iii) संबद्ध देशों में उत्पादकों की निर्यातोन्मुखता

102. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि विदेशी उत्पादक/निर्यातक बहुत अधिक निर्यातोन्मुख हैं। कोरिया आरपी के मामले में कोरियाई उत्पादकों/निर्यातकों से कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है और उपलब्ध सूचना यह दर्शाती है कि यद्यपि उसकी घरेलू बाजार में मांग बहुत कम है फिर भी कोरियाई उत्पादकों की क्षमता *** एमटी उत्पादन करने की थी। कोरियाई सीमा शुल्क आंकड़े यह दर्शाते हैं कि क्षति अवधि के दौरान कोरिया से इस क्षेत्र में *** एमटी का निर्यात हुआ। यह भी नोट किया जाता है कि यद्यपि कोरियाई सीमाशुल्क आंकड़े कोरिया आरपी से निरंतर एवं भारी निर्यात हुआ है तथापि भारतीय सीमा शुल्क आंकड़े कोरिया से आयात की बहुत कम मात्रा दर्शाते हैं। यदि कोरियाई सीमाशुल्क आंकड़ों पर विचार किया जाता है तो भारत को आयात की मात्रा बहुत अधिक है। इसके अतिरिक्त, यह नोट किया जाता है कि कोरियाई सीमा शुल्क आंकड़ों के अनुसार कोरिया आरपी से चीन को होने वाले निर्यातों में जो वर्ष 2010 में *** एमटी थे गिरावट आई और यह निर्यात घटकर वर्ष 2012 में लगभग *** एमटी रह गए। यद्यपि ईरान, इंडोनेशिया जैसे कुछ अन्य देशों को निर्यातों में वृद्धि हुई है फिर वर्ष 2012 में निर्यातों की मात्रा वर्ष 2010 में हुए निर्यातों की मात्रा की तुलना में कम थी। किसी भी हाल में, कोरिया आरपी से होने वाले निर्यातों की मात्रा कोरिया आरपी की क्षमताओं की तुलना में बहुत कम है। भारत में इस संबद्ध वस्तु की उच्च मांग तथा अनुकूल बाजार परिस्थितियों और इन उत्पादकों की उच्च उत्पादन क्षमता तथा उनकी निर्यातोन्मुखता पर विचार करते हुए प्राधिकारी यह उपपादित करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिए जाने की स्थिति में ऐसी संभावना है कि संबद्ध देशों के ये निर्यातक भारत को पाटित कीमतों पर अपने निर्यातों में वृद्धि करेंगे।

(iv) संबद्ध देशों में उच्च उत्पादन क्षमता

103. घरेलू उद्योग ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि संबद्ध देशों के संबद्ध वस्तु के उत्पादकों की भारी उत्पादन क्षमता है। पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर लिए जाने पर और उनकी निर्यातोन्मुखता पर विचार करते हुए यह कहा जा सकता है कि संबद्ध देशों के उत्पादक इतने सक्षम हैं कि वे संबद्ध वस्तु के उत्पादन में लगे भारतीय विनिर्माण सेक्टर पर अपना आधिपत्य जमा कर सकते हैं।

(v) मूल जांच अवधि और उत्तरवर्ती जांच अवधि के बीच आयातों की मात्रा में भारी

104. विगत मामलों में और मौजूदा अवधि में रिपोर्ट की गई आयातों की मात्रा का विश्लेषण यह दर्शाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगे होने के बावजूद थाईलैंड से आयातों की मात्रा अधिक बनी रही। जब पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के बावजूद भी थाईलैंड से आयात इतनी अधिक मात्रा में हुए है तो इस बात की पूरी संभावना है कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में आयातों की मात्रा में वृद्धि अवश्य होगी। यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने पर निर्यातों की मात्रा में गिरावट आएगी।

(iv) भारतीय बाजार में संबद्ध देशों द्वारा धारित बाजार हिस्सा

105. मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के बावजूद थाईलैंड से होने वाले आयात के बाजार हिस्से में भारी वृद्धि हुई है। पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में इस मात्रा में उद्रेक होना अनिवार्य है।

106. उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी यह उपपादित करते हैं कि शुल्क का प्रतिसंहरण करने से संबद्ध देशों से इस उत्पाद की निरंतरता बने रहने और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति हाने की भारी संभावना है।

ज. क्षति मार्जिन और क्षति का परिमाण

107. घरेलू उद्योग के लागत आंकड़ों पर विचार करते हुए प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित संबद्ध वस्तु की गैर-क्षतिकारी कीमत की तुलना क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए संबद्ध देशों के आयातों के उतराई मूल्य के साथ की गई, जो निम्नवत है :

क्षति मार्जिन	मापन की इकाई	मैसर्स थाई एक्रिलिक कंपनी लिमिटेड थाईलैंड	थाईलैंड के अन्य उत्पादक	कोरिया आरपी
गैर-क्षतिकारी कीमत	रुपए/एमटी	***	***	***
उतराई मूल्य	रुपए/एमटी	***	***	***
क्षति मार्जिन	रुपए/एमटी	***	***	***
क्षति मार्जिन	यूएस डालर/ एमटी	***	***	***
क्षति मार्जिन	%	***	***	***
क्षति मार्जिन रेंज	%	0-10	15-25	5-15

108. प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति मार्जिन बहुत अधिक है।

ड.) भारतीय उद्योग का हित तथा अन्य मुद्दे

109. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन, सामान्यत:, पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं घरेलू उद्योग को कारित की जा रही क्षति का उपशमन करना है जिससे कि भारतीय बाजार में मुक्त और पक्षपात रहित प्रतिस्पर्धा पुन: स्थापित की जा सके जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण संबद्ध देश से आयातों को किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं करेगा और इसलिए उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

110. ऐसा माना जाता है कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण संबद्ध वस्तु का प्रयोग करके विनिर्मित उत्पाद के कीमत स्तर को प्रभावित करेगा और इसके परिणामस्वरूप इस उत्पाद की संगत प्रतिस्पर्धात्मता पर कुछ प्रभाव पर अवश्य पड़ेगा। तथापि, पाटनरोधी शुल्क द्वारा भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी, खासकर तब जब पाटनरोधी शुल्क का उद्ग्रहण घरेलू उद्योग को क्षति का प्रशमन करने के लिए आवश्यक राशि तक प्रतिबंधित हो। इसके विपरीत, पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण पाटन की प्रक्रियाओं द्वारा अर्जित अनुचित लाभ दूर करेगा, घरेलू उद्योग के निष्पादन में आने वाली गिरावट को कम करेगा और संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में सहायता करेगा।

ट. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरण

ट 1. विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरण

111. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अधिकांश विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरण पुनरावृत्तिकारी प्रवृत्ति के हैं और उनका प्रकटन विवरण में पहले से ही समाधन कर दिया गया। विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों ने प्रकटन पश्चात जो विवरण प्रस्तुतिकरण किया वह संक्षेप में निम्नलिखित है :

क. वर्तमान कार्रवाई में प्रकटन विवरण पर टिप्पणी करने के लिए केवल 3 दिनों का समय ही दिया गया, इसलिए इसमें कई ऐसे मुद्दे रह गए जिनका उचित ढंग से समाधान किया ही नहीं जा सका। अत: हम इस जांच की कार्रवाई के दौरान किए गए सभी प्रस्तुतिकरणों को पुन: दोहराते हैं और उन्हीं पर भरोसा करते हैं और उनको यहां संक्षिप्तता की दृष्टि से दोहराया नहीं गया है। इसके अतिरिक्त, उन्हीं को प्रकटन विवरण में हमारे प्रस्तुतिकरणों के भाग के रूप में माना जा सकता है।

ख. यह धारणा कि संबद्ध वस्तु के आयातों में थाईलैंड से पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण होने के बावजूद भारी वृद्धि हुई और इसलिए यह शुल्क बना रहना चाहिए समग्र रूप से भ्रामक है। यह इस कारण से हुआ कि प्राधिकारी इस तथ्य पर विचार नहीं कर सके कि इन आयातों में से अधिकांश आयात विदेश व्यापार नीति की शुल्क मुक्त स्कीम के अंतर्गत किए गए हैं जिनमें पाटनरोधी शुल्क अपरिणामी बना रहा।

ग. इसके अतिरिक्त, यह एक तथ्य है कि थाईलैंड से भारत में एक्रिलिक फाइबर के आयातों में वर्ष 2009 से 2013 तक की अवधि के दौरान भारी वृद्धि नहीं हुई।

घ. प्राधिकारी ने त्रुटिपूर्ण ढंग से यह नोट किया है कि इस विचाराधीन उत्पाद के दायरे का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा विगत जांचों में पहले ही कर दिया है जिनमें प्राधिकारी ने यह प्रतिपादित किया कि इस उत्पाद के दायरे से किसी भी स्पेशियलिटी फाइबर का अपवर्जन किया जाना अपेक्षित नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्येक जांच में प्राधिकारी द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किए जाने की जरूरत है कि क्या यह विचाराधीन उत्पाद सजातीय उत्पाद है या नहीं और यदि इस विचाराधीन उत्पाद की विभिन्न किस्में हैं, और उनमें में से कुछ किस्मों का उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जाता है तो उस किस्म को प्राधिकारी द्वारा जांच के दायरे और परिधि से अलग कर दिया जाना चाहिए। वर्तमान कार्रवाई में यह निसंदेह रूप से सिद्ध कर दिया जाना चाहिए। वर्तमान कार्रवाई में यह निसंदेह रूप से सिद्ध कर दिया गया है कि घरेलू उद्योग इन विशेषज्ञता फाइबरों का न तो आयात करता है और न ही उसके पास ऐसा करने की क्षमता है। घरेलू विनिर्माण एक्रिलिक फाइबर के कतिपय उन विशेषज्ञता प्रकारों का विनिर्माण नहीं करते हैं जिनकी भारतीय प्रयोक्ता उद्योग को जरूरत होती है। उदाहरणार्थ 2.0 डी और 1.5 डी ब्राइट और सेमी डल एंटी पाइलिंग टाव। फाइबर, 3.0 डी बाई-कम्पोनेंट कान्जुगेट टाव, 3.0

डी सुपर हाई श्रिंकेबल फाइबर जेल डायड फाइबर और टाव का विनिर्माण भारतीय एक्रिलिक फाइबर उत्पादकों द्वारा नहीं किया जा रहा है; जब कि भारत के उपभोक्ता उद्योग में इस उत्पाद की भारी मांग है।

ड. इसके अतिरिक्त, यह नोट किए जाने की आवश्यकता है कि भारत में एक्सलान टेक्नालोजी फाइबर की कमी है। पुन: यह दोहराया जाता है कि एंटी पाइलिंग फाइबर/टाव एक स्पेशल फाइबर है जो विनिर्मित परिधान को एंटी पाइलिंग अभिलक्षण प्रदान करता है, जिसके कारण कपड़े को बार-बार प्रयोग करने और धोने पर भी पिल फार्मेशन नहीं होता है। उपर्युक्त स्पेशियलिटी एक्रिलिक फाइबर्स का विनिर्माण एक्रिलिक फाइबर के किसी भी घरेलू विनिर्माता द्वारा नहीं किया जाता है। प्राधिकारी का ध्यान प्राधिकारी द्वारा अभी हाल के विगत में लिए गए निर्णय की ओर आकृष्ट किया जाता है। उदाहरण के लिए, चीन जनगण, जापान, कोरिया, यूरोपियन यूनियन, दक्षिण अफ्रीका, ताईवान, थाईलैंड और यूएसए के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कोल्ड रोल्ड स्टी फ्लैट आफ स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स; चीन जनगण में उदभवित अथवा वहां से निर्यातित ग्लास फाइबर और उससे बनी वस्तुओं के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच। उपर्युक्त तथ्यों और पूर्वोदाहरणों पर ध्यान देते हुए हमारे द्वारा पाटनरोधी शुल्क के दायरे में ऊपर उल्लिखित स्पेशियलिटी एक्रिलिक फाइबरों का समावेशन अयुक्तियुक्त एवं अप्रतिपाद्यनीय है।

च. प्रकटन विवरण में हमारे दावे पर थोड़ा सा विचार किया गया कि वर्ततान निर्णायक समीक्षा जांच में जांच की अवधि (जिसे एतद्वारा पीओआई कहा गया है) अप्रैल, 2012 से मार्च, 2013 है। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि विधिक प्रावधान व्यादेश करते हैं कि इस निर्णाय समीक्षा कार्रवाई जांच की अवधि की समाप्ति उस अवधि में होनी चाहिए जो पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की तारीख से यथासंभव सर्वाधिक निकट हो। ऐसा प्राथमिकत: इसलिए होता है क्योंकि निर्णायक समीक्षा मामले में प्राधिकारी यह सुनिश्चयन करने के लिए वचनबद्ध होते हैं कि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति कर दिए जाने की स्थिति में पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

छ. यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक ने अपने आवेदन पत्र के अगोपनीय पाठ में कई सूचनाओं को गोपनीय के रूप में रखा है जिसके लिए कोई तर्कसंगत औचित्य नहीं दिया गया। केवल प्ररूपी औचित्य ही दिया गया है, जो गोपनीयता का दावा करने के लिए उचित या पर्याप्त औचित्य नहीं है।

थ. थाई एक्रिलिक फाइबर कंपनी के संबंध में पाटन का निर्धारण करते समय प्राधिकारी ने अपने विश्लेषण में इससे पहले निर्धारित सामान्य मूल्य एवं उसके विस्तृत कार्यकरण से अपने विचार कायम रखे हैं। थाई एक्रिलिक कंपनी के बारे में अपने पाटन के निर्धारण की संपूर्ण कार्यवाही का प्रकटन करने के बजाय प्राधिकारी ने केवल लाभप्रद बिक्रियों का ही प्रकटन किया है। यह सराहनीय है कि सामान्य मूल्य के कार्यकरण के विस्तृत एवं उचित विवरण के अभाव में हम उस पर अपनी टिप्पणी प्रदान करने में असमर्थ हैं कि क्या उसका सही-सही निर्धारण किया गया या नहीं।

झ. यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के एक संघटक द्वारा भारी लाभ अर्जित करने और दूसरे संघटक द्वारा घाटा उठाने से संबंधित कारणों का सुनिश्चयन करना चाहिए। इस विश्लेषण से प्राधिकारी घरेलू उद्योग को क्षति, यदि कोई से संबंधित सही कारणों का पता लगेगा।

ञ. यह विवरण जिसका उल्लेख निदेशकों की रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट में किया गया है, केवल एक्रिलिक फाइबर के व्यवसाय से संबंधित है। इसलिए प्राधिकारी का यह निष्कर्ष सकल रूप से गलत है कि घरेलू बाजार में इस विचाराधीन उत्पाद के प्रचालनों पर कथित पाटित आयातों द्वारा प्रभावित हुए हैं।

ट. घरेलू उद्योग का यह दावा कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों की भारी उत्पादन क्षमता है, इसका बड़ी सुदृढ़तापूर्वक तर्क दिया गया है क्योंकि टीएएफ अपनी पूर्णक्षमता से पहले से ही कार्य कर रहा है।

ठ. वार्षिक रिपोर्टों में असंख्य ऐसे संदर्भ हैं जिनमें यह इंगित किया गया कि एसीएन जैसे प्रमुख कच्चे माल के आयातों के कारण घरेलू उत्पादकों की उत्पादन लागत बहुत अधिक बढ़ गई।

ड आवेदकों ने यह माना है कि लागत ढांचे में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, पाटित आयातों के अलावा अन्य कारक भी घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं।

ढ. वर्धमान, जो एक्सलान टाइप के फाइबर का उत्पादन करता है, की लाभप्रदता विश्व में एक्रिलिक फाइबर का विनिर्माण करने वाले उद्योगों में सर्वाधिक है।

ण. यह माना गया है कि घरेलू उद्योग कम निष्पादन, यदि कोई, यूरो जोन संकट द्वारा वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी, यूएसए में वित्तीय नीतियों की अनिश्चितता और उपभोक्ताओं द्वारा न्यूनतर खर्च किए जाने के कारण आई जिससे इस उद्योग की वृद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

त. प्राधिकारी को यह तथ्य नोट करना चाहिए कि वर्ष 2009-10 की अवधि एक्रिलिक फाइबर उद्योग के लिए अपवादिक रूप से स्वर्णिम वर्ष था और इसलिए एक्रिलिक फाइबर के अधिकांश उत्पादकों ने अच्छा निष्पादन किया। इसके अतिरिक्त, कृपया यह नोट करें कि पाटनरोधी शुल्क का उदग्रहण दिनांक 20.11.1008 को किया गया था और इसलिए संदर्भ का परिशुद्ध वर्ष 2008-09 होना चाहिए। इसलिए, प्राधिकारी वर्तमान कार्रवाई में "क्षति विश्लेषण" करने के लिए वर्ष 2009-10 के आंकड़ों का प्रयोग करते हैं तो विगत वर्षों की तुलना में भारतीय घरेलू उत्पादकों सहित एक्रिलिक फाइबर के सभी उत्पादकों का उत्पादन प्राकृतिक रूप से कम ही प्रदर्शित होगा।

थ. घरेलू उद्योग के निकृष्ट निष्पादन का वास्तविक कारण खासकर यूरोजोम और यूएसए में, वैश्विक आर्थिक माहौल में मंदी, एक्रिलोनाइट्राइल (एसीएन-प्रमुख कच्च माल) की कीमतों में भारी अस्थिरता के कारण हुए घाटे और आईएनआर की तुलना में यूएसडी में सुधार आदि है। इसलिए इस घाटे के लिए संबद्ध वसतु के निरंतर पाटन को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

ट 2. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरण

112. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अधिकांश घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरण पुनरावृत्तिकारी प्रवृत्ति के हैं और उनका प्रकटन विवरण में पहले से ही समाधन कर दिया गया। घरेलू उद्योग ने प्रकटन पश्चात जो विवरण प्रस्तुतिकरण किया वह संक्षेप में निम्नलिखित है :

पाटनरोधी शुल्क प्रभावी होने के बावजूद थाईलैंड से आयातों की मात्रा में वर्तमान क्षति अवधि में वृद्धि हुई है। तथापि, कोरिया आरपी से आयातों की मात्रा में गिरावट आई है।

(क) संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों का पाटनरोधी शुल्क मौजूद होने के बावजूद पाटित कीमतों पर आगमन जारी रहा।

(ख) संबद्ध देशों से आयातों के उतराई मूल्य से भारी कीमत अधोरदन एवं कीमत अधोविक्रयण हुआ।

(ग) आयातों से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों का निग्रहण हो रहा है।

(घ) कीमत निग्रहण से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसमें घरेलू उद्योग को लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ और नकदी प्रवाह के संबंध में इसके निष्पादन में भारी गिरावट हुई है।

(ङ) यदि प्रभावी पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो कीमत निग्रहण से घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(च) चूंकि इस विचाराधीन उत्पाद को विभिन्न सीमा-शुल्क वर्गीकरणों के अंतर्गत रिपोर्ट किया जाता है, इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी शुल्क तालिका में यह विशेष रूप से उल्लेख कर सकते हैं कि इस विचाराधीन उत्पाद पर इन सीमा-शुल्क वर्गीकरणों जिनके अंतर्गत आयातकों द्वारा इस वस्तु की निकासी की जा रही है पर ध्यान दिए बिना ही शुल्क आकृष्ट होगा।

(छ) निर्दिष्ट प्राधिकारी एनआईपी के निर्धारण के संबंध में घरेलू उद्योग के निम्नलिखित संगत प्रस्तुतिकरणों पर विचार कर सकते हैं, जिसका क्षति मार्जिन और पाटन मार्जिन पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

(ज) ब्याज बाहक क्रेडिटर्स : प्राधिकारी की यह सुस्थापित परम्परा है कि वह कार्यशील पूंजी का निर्धारण करने के लिए मौजूदा देयताओं में ब्याज लगने वाले ऋणों का अपवर्जन कर दे। कच्चे माल की खरीद के लिए ब्याज लगने

वाले ऋण अल्पावधि ऋणों के अनुरूप ही हैं और वास्तव में उन पर ब्याज लागत आकृष्ट होती है। वर्तमान मामले में इंडियन क्रिलिक्स और पशुपति एक्रिलान ने अधिकांश कच्चे माल की खरीद ब्याज लगने वाले ऋणों का उपयोग करके किया। वर्तमान देयताओं की ऐसी राशि, इसलिए, वर्तमान देयता का अंग नहीं हो सकती है और उसे निवल नियत परिसंपत्तियों से कम नहीं किया जाना चाहिए।

(झ) बैंक धारणाधिकार के अंतर्गत नियत जमा : याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि बैंक में नियत जमा, जो जमा की प्रकृति के नहीं है और विनिर्माण प्रचालनों से नहीं जुड़े हैं, वे बैंकों में नियत जमा से भिन्न प्रकृति के हैं, जो इस विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन और उसकी बिक्री करने के लिए सांविधिक दायित्वों को पूरा करने के लिए अपेक्षित है। इसलिए उत्पादन क्रियाकलापों के लिए नियत जमा की अनुमति दी जानी चाहिए।

(ञ) यद्यपि, भारतीय सीमा शुल्क द्वारा यथा रिपोर्टित आंकड़े गिरावट दर्शाते हैं, कोरियाई सीमाशुल्क आंकड़ों द्वारा रिपोर्ट की गई निर्यात की मात्रा भारत को एक्रिलिक फाइबर के महत्वपूर्ण आयात दर्शाते हैं। याचिकाकर्ता प्राधिकारी यह रिपोर्ट करते हैं कि वे क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ कोरिया से भारत को पाटित आयातों की मात्रा का आकलन करते हुए करें।

(ट) इस उत्पाद की उत्पादन लागत में इनपुट लागत में परिवर्तन के कारण भारी परिवर्तन आया है। इसलिए इसको मापने की उपयुक्त फार्म निर्धारित मात्रा है।

(ठ) पाटनरोधी शुल्क नियत फार्म में और यूएस डालर के रूप में अभिव्यक्त शुल्क में जारी रखना अपेक्षित है।

ट 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

113. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग तथा विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात किए विवरण प्रस्तुतिकरण अधिकांश पुनरावृत्तिक प्रकृति के है और उनका प्रकटन विवरण में पहले ही समाधान कर दिया गया है और एक बार पुन: अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में उपयुक्त शीर्षकों के अंतर्गत निराकरण कर दिया गया है। ऐसा होते हुए भी प्राधिकारी ने संगत समझी गई सीमा तक उन मुद्दों का निम्नवत समाधान किया है :

क. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए कम समय दिया गया, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वास्तव में थाई एक्रिलिक फाइबर कंपनी ने प्राधिकारी द्वारा जारी प्रकटन विवरण पर विस्तृत टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं, इसके अलावा नियमावली में ऐसी किसी विहित न्यूनतम समय सीमा का भी उल्लेख नहीं है जिसे प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित किया जाए।

ख. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि इस उत्पाद के आयात शुल्क मुक्त स्कीम श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और इसलिए प्रसंभाव्यता का निर्धारण करने के लिए आयातों की मात्रा असंगत है, प्राधिकारी यह विचार करते हैं कि वह कीमत जिस पर, जांच की अवधि के दौरान शुल्क मुक्त आयात किए गए और पीओआई के दौरान किए गए आयातों की मात्रा स्पष्टत: उस कीमत को प्रदर्शित करते है जिस पर उनका आयात पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में होने की संभावना है। थाई एक्रिलिक फाइबर द्वारा दायर प्रश्नावली प्रत्युत्तर भारी पाटन मार्जिन दर्शाता है जो वास्तव में इस कंपनी द्वारा विगत में किए गए निर्यातों के संबंध में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन से उच्चतर है। थाईलैंड भारत को हुए आयात की मात्रा इस अवधि में आयातों में वृद्धि को स्पष्टत: दर्शाती है। यह भी नोट किया जाता है कि प्राधिकारी संगत रूप से इस तथ्य पर विचार करते रहे हैं कि शुल्क मुक्त श्रेणी के अंतर्गत किए गए आयातों का आशय यह नहीं है कि उनसे घरेलू उद्योग को क्षति कारित नहीं हो रही है। प्राधिकारी ने सीआईएफ आयात कीमत की तुलना घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से नहीं की है। प्राधिकारी ने यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों का अधोरदन होने की संभावना है और क्या पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने से उसका बाजार में कीमत निग्रही या अवमंदन प्रभाव पड़ेगा, सीमा शुल्क को नोशनली जोड़ा है।

ग. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि थाईलैंड से भारत को एक्रिलिक फाइबर के आयातों में वृद्धि वर्ष 2009 से 2013 के दौरान कोई अधिक नहीं हुई थी, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्ष 2009-10 और 2011-12 के दौरान थाईलैंड से आयात 5000-6000 एमटी के आसपास हुए थे। तथापि, जांच की अवधि के दौरान यह आयात बढ़कर

10427 एमटी हो गए। अत: यह देखा जाता है कि जांच की अवधि के दौरान इन आयातों में वास्तव में भारी वृद्धि हुई है।

घ. जहां तक उस अवधि के संबंध में इस तर्क का संबंध है जिस पर निर्धारण के लिए विचार किया जाना चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में विचार की गई जांच की अवधि उपयुक्त है। ऐसी कोई सांविधिक अपेक्षा नहीं है कि निर्णायक समीक्षा कार्रवाई में पीओआई उस अवधि में समाप्त हो जो पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की तारीख के यथासंभव नजदीक हो। इस मामले में जांच दिनांक 24 सितम्बर, 2013 की अधिसूचना संख्या के तहत शुरू की गई थी ओर यह 24 नवम्बर, 2013 को समाप्त हो गई थी और इसलिए जांच की अवधि 2012-13 को सही ही माना गया है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने, पिछली कई निर्णायक समीक्षा जांचों में पीओआई अवधि के पश्चात के 6 माह की अवधि को भी अपनाया है।

ङ. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग समान स्पेशियलिटी की किस्म का उत्पादन नहीं किया जा रहा है और इसलिए इनको विचाराधीन उत्पाद के दायरे से हटा दिया जाना चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने आयातित उत्पाद के समान वस्तु का उत्पादन और उसकी बिक्री की है। सभी तीनों याचिकाकर्ता स्पेशियलिटी फाइबर का उत्पादन करते हैं। इसके अतिरिक्त, इस तर्क के संबंध में कि भारत में एक्सलान प्रौद्योगिकी की कमी है और एक्रिलिक टाप एक मूल्यवर्धित उत्पाद है, जिसका घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन नहीं किया जा रहा है और इसलिए उसे इस विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर माना जाए, यह नोट किया जाता है कि सेस्टेट ने थाई एक्रिलिक फाइबर कंपनी लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में अंतिम आदेश संख्या एडी/5/2010(पीबी) दिनांक 30.04.2010 की अपील संख्या एडी/4/2009 में अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपपादित किया कि वास्तव में अध्याय 55 में फाइबरों (मानव निर्मित स्टैपल फाइबर) और एक्रिलिक फाइबर दोनों को ही एक समान माना है। एक्रिलिक टाव, एक्रिलिक स्टैपल फाइबर और एक्रिलिक टाप सभी एक्रिलिक फाइबर हैं जो अध्याय 55 के अंतर्गत आते है और इसलिए यह सभी उत्पाद पाटनरोधी अधिसूचना के अंतर्गत शामिल है, इन एक्रिलिक फाइबरों को अध्याय 55 के अंतर्गत मना नहीं किया जा सकता है।अत:प्राधिकारी ठीक ही यहमानते हैं कि स्पेशियलिटी फाइबर का पाटनरोधी शुल्क के दायरे से अपवर्जन करना उपयुक्त नहीं होगा।

च. जहां तक याचिका में सूचना की गोपनीयता का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने जहां कहीं आवश्यक हुआ गोपनीय प्रदान की है और उक्त सूचना को गोपनीय के रूप में माना गया तथा उसका अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकटन नहीं किया गया।

छ. जहां तक थाई एक्रिलिक फाइबर के पाटन मार्जिन का परिकलन करने का संबंध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्यातकों को सभी संगत सूचना का प्रकटन कर दिया गया है। इस दावे के संबंध में कि प्राधिकारी ने थाईलैंड के निर्यातक द्वारा निर्धारित सामान्य मूल्य और उसके विस्तृत कार्यकरण का समर्थन किया है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य की संगणना करने के लिए संबद्ध वस्तु की घरेलू बिक्रियों पर परिशिष्ट-1 में सत्यापित आंकड़ों के आधार पर विचार किया गया है। निर्यातकों को इस तथ्य का प्रकटन कर दिया गया था कि सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए सत्यापित लाभप्रद घरेलू बिक्रियों के कितने प्रतिशत पर विचार किया गया। प्राधिकारी इन यथा दावाकृत समायोजनों की अनुमति दे दी गई।

ज. जहां तक घरेलू उद्योग की परस्पर लाभप्रदता में अंतर होने का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि नियमावली में प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे घरेलू उद्योग को क्षति का निर्धारण घरेलू उद्योग को संपूर्ण रूप से विचार करके करें। घरेलू उद्योग के लिए क्षति का निर्धारण घरेलू उद्योग के किसी एक या अधिक संघटक पर विचार करके नहीं किया जाना चाहिए। जहां तक घरेलू उद्योग के बीच परस्पर अंतर का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के सभी तीन संघटक क्षति अवधि के दौरान बाजार में मौजूद थे। किसी भी घरेलू उत्पादक की क्षमता में भारी वृद्धि नहीं हुई है। इसलिए घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा की शर्त में कोई वास्तविक अंतर नहीं आया था। तथापि, यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में भारी गिरावट आई थी। अत: उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा की शर्त में कोई परिवर्तन न होने और उक्त अवधि में मांग में वृद्धि होने और क्षति अवधि के दौरान लाभ में गिरावट होने को घरेलू उत्पादकों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा नहीं माना जा सकता है।

झ. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि आयतों की उतराई कीमत का परिकलन त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि उसमें अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत हुए लेनदेन को भी शामिल किया गया है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्राधिकारी की यह संगत परस्परा रही है कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव और क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के उद्देश्य से वे आयातों में सीमा शुल्क जोड़ते हैं चाहे वह आयात सीमाशुल्क का भुगतान करके किए गए हों या नहीं।

ञ. जहां तक थाईलैंड में भारी उत्पादन क्षमता होने का सबाल है और इस तथ्य का संबंध है कि कंपनी अपनी पूर्ण क्षमता के साथ प्रचालन कर रही है, का आशय यह नहीं है कि उनमें वृद्धि होने की कोई प्रसंभाव्यता नहीं है परंतु थाईलैंड से आयात जो वर्ष 2009-11 में 5000-6000 एमटी के हुए थे, बढ़कर जांच की अवधि के दौरान 10000 एमटी हो गए।

ट. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि उत्पादन लागत कच्चे माल की कीमत में वृद्धि होने के कारण बढ़ी है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि नियमावली में प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे यह जांच करें कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमतों की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत अधोरदन किया गया है या क्या इन आयातों का प्रभाव कीमतों को भारी मात्रा में निग्रहित करेगा या कीमतों में भारी मात्रा में वृद्धि होने से वंचित करेगा जो अन्यथा हुई होती। स्पष्टत:, नियमों में यह माना गया है कि घरेलू उद्योग को बाजार से अपने माल की कीमतें बढ़ाने की जरूरत थी। घरेलू उद्योग को कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि होने के कारा अपनी उत्पादन लागत में वृद्धि होने पर अपनी कीमत में वृद्धि करनी चाहिए थी। अत:, यदि वार्षिक रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि लाभ में गिरावट, उत्पादन लागत में वृद्धि होने या कच्चे माल की कीमत में वृद्धि होने के कारण आई, तो इसका आशय यह है कि घरेलू उद्योग अपने उत्पाद की कीमतें बढ़ाने में सक्षम नहीं हुआ था। जांच से यह स्पष्ट सिद्ध हो गया है कि सीमा शुल्क को जोड़ने के पश्चात भी थाईलैंड से पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत अधोरदन किया गया।

ठ. यह तर्क दिया गया है कि आवेदकों ने लागत ढांचे में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, पाटित आयातों के अलावा अन्य कारक जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं, माना है। इसके विपरीत घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि इन तथ्यों पर विचार करने से यह प्रदर्शित होगा कि संबद्ध देशों से आयातित माल का उतराई मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से बहुत कम है, जिससे भारतीय बाजारों में भारी कीमत अधोरदन हुआ है और यह कि भारतीय उत्पादकों की कीमतों के लिए बेंचमार्क कीमत इस उत्पाद कर पाटन कर रहे संबद्ध देशों तथा अन्य देशों से आयात कीमत है। अत: यह नोट किया जाता है कि निर्यातकों ने याचिकाकर्ता द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण का उल्लेख किया गया है।

ड. जहां तक घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में अंतर होने का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में अंतर इस प्रयोजनार्थ संगत नहीं है। प्राधिकारी ने वर्तमान निर्धारण के लिए घरेलू उद्योग की सकल भारित औसत लाभप्रदता पर विचार किया है। प्राधिकारी ने अपना निष्कर्ष न्यूनतम लाभप्रदता वाली कंपनी के आधार पर नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, यह नोट किया जाता है कि सभी तीनों कंपनियों की लाभप्रदाता ने समान प्रवृत्ति अर्थात लाभप्रदता में भारी गिरावट दर्शाई है।

ढ. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग ने यह माना है कि घरेलू उद्योग का निकृष्ट निष्पादन यूरो जोन संकट के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी होने, यूएसए में वित्तीय नीति की अस्थिरता और उपभोक्ताओं द्वारा कम खर्च के कारण उद्योग पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव के कारण हुआ था, प्रधिकारी यह नोट करते हैं कि इस विचाराधीन उत्पाद की भारतीय बाजार में मांग बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शा रही थी। पुनश्च, घरेलू उद्योग के यह प्रेक्षण वैश्विक बाजार के संबंध में है। नियमावली में प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह घरेलू उद्योग के निष्पादन पर केवल घरेलू प्रचालनों पर ही विचार करेंगे। वास्तव में नियमावली में प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह यह जांच करें कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति विपरीत निर्यात प्रभावों के कारण हुई है। अत: विश्व बाजार अर्थव्यवस्था की विपरीत स्थिति वह कारक नहीं है जिससे घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ा हो।

ण. इस तर्क के संबंध में कि वर्तमान प्रयोजनार्थ वर्ष 2009-10 एक उपयुक्त आधार वर्ष नहीं है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पीओआई और क्षति अवधि की वह संगत अवधि है जो प्राधिकारी की परम्परानुसार सही है। यह देखा जाता है कि पीओआई में घरेलू उद्योग का लाभ न केवल वर्ष 2009-10 की तुलना में कम था, परंतु यह वर्ष 2010-11 की तुलना में भी कम था। वास्तव में पीओआई के दौरान लाभ वर्ष 2010-11 के दौरान लाभ का 42 प्रतिशत ही था, अत: इससे यह प्रदर्शित होता है कि लाभ में यह गिरावट वर्ष 2009-10 को आधार वर्ष के रूप में मानने के कारण ही नहीं आई है।

त. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग के अल्प निष्पादन का मुख्य कारण विपरीत वैश्विक आर्थिक माहौल, खासकर यूरोजोन और यूएसए में, एक्रिलोनाइट्राइल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव के कारण हुए घाटे और यूएस डालर के मूल्य में वृत्रि के कारण हुई है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की स्थिति का आकलन करने के लिए वैश्विक स्थिति का आकलन करना संगत नहीं है। यूएस डालर में सुधार से घरेलू उद्योग की बाजार में स्थिति बेहतर हुई क्योंकि यूएस डालर में बढ़ोतरी से तो आयातित माल और अधिक महंगा हो जाता। जहां तक कच्चे माल की कीमत का संबंध है, घरेलू उद्योग का यह विधिक अधिकार है कि वह लागत में वृद्धि के अनुरूप अपनी कीमत बढ़ाए। यदि घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें बढ़ाने से वंचित किया गया तो यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों का आयातों द्वारा निग्रहण किया जा रहा है।

ट. निष्कर्ष

114. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने के और रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के पश्चात प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संबद्ध देशों से इस विचाराधीन उत्पाद का भारत को निर्यात इससे जुड़े सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया है जिसके परिणामस्वरूप इस उत्पाद का पाटन हुआ है। घरेलू उद्योग को संबद्ध वस्तु के संबंध में वास्तविक क्षति हुई है। यह वास्तविक क्षति संबद्ध देशों से पाटित आयातों द्वारा कारित की गई है।

ठ. सिफारिश

115. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह जांच शुरू की गई है और इसकी सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचना दी गई ओर निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंधों के पहलुओं पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया। पाटनरोधी नियमावली में उल्लिखित निर्बंधनों के अनुरूप पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंधों की जांच प्रारंभ करके और आयोजित करके तथा सकारात्मक पाटन मार्जिन तथा इन पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को कारित वास्तविक क्षति स्थापित करके, प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटन और उसके परिणामस्वरूप हुई क्षति को दूर करने के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के न्यूनतर के बराबर निर्णायक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण अपेक्षित है जिससे घरेलू उद्योग की क्षति को दूर किया जा सके। क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए विचाराधीन उत्पाद के आयातों के उतराई मूल्य की तुलना जांच की अवधि के लिए घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित घरेलू समान उत्पाद की गैर-क्षतिकारी कीमत से की गई।

116. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए न्यूनतर शुल्क को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी क्षति मार्जिन और पाटन मार्जिन के न्यूनतर के बराबर निर्णायक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने की सिफारिश करते हैं। तदनुसार, अधोलिखित तालिका में निर्दिष्ट राशि के अनुरूप पाटनरोधी शुल्क का संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की तारीख से अधिरोपण करने की सिफारिश करते हैं।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	**शीर्षक/उप-शीर्षक**	**वस्तु विवरण**	**विनिर्देशन**	**उद्गम का देश**	**निर्यात का देश**	**उत्पादक**	**निर्यातक**	**शुल्क राशि**	**यूनिट**
1.	550130, 550330 and 550630	एक्रिलिक फाइबर	थाईलैंड	थाईलैंड	थाई एक्रिलिक फाइबर कंपनी लिमिटेड थाईलैंड	थाई एक्रिलिक फाइबर कंपनी लिमिटेड थाईलैंड	162	एमटी	यूएस डालर
2.	550130, 550330 and 550630	एक्रिलिक फाइबर	थाईलैंड	थाईलैंड	**क्र. सं.** 1 के अलावा कोई अन्य		493	एमटी	यूएस डालर
3.	550130, 550330 and 550630	एक्रिलिक फाइबर	थाईलैंड	संबद्ध देशों के अलावा कोई अन्य देश	कोई	कोई	493	एमटी	यूएस डालर
4.	550130, 550330 and 550630	एक्रिलिक फाइबर	संबद्ध देशों के अलावा कोई अन्य देश	थाईलैंड	कोई	कोई	493	एमटी	यूएस डालर
5.	550130, 550330 and 550630	एक्रिलिक फाइबर	कोरिया आरपी	कोरिया आरपी	कोई	कोई	270	एमटी	यूएस डालर
6.	550130, 550330 and 550630	एक्रिलिक फाइबर	कोरिया आरपी	संबद्ध देशों के अलावा कोई अन्य देश	कोई	कोई	270	एमटी	यूएस डालर
7.	550130, 550330 and 550630	एक्रिलिक फाइबर	संबद्ध देशों के अलावा कोई अन्य देश	कोरिया आरपी	कोई	कोई	270	एमटी	यूएस डालर

117. इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ आयातों का उतराई मूल्य सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत सीमा-शुल्क द्वारा यथानिर्धारित आकलनीय मूल्य होगा और इसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के अंतर्गत शुल्क को छोड़कर सीमा-शुल्क के सभी शुल्क शामिल होंगे।

118. इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना से जारी केंद्रीय सरकार के आदेशों के विरूद्ध सीमा-शुल्क प्रशुल्क अधिनियम के अनुसार सीमा-शुल्क, उत्पाद कर और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण में एक अपील दायर की जा सकती है।

जे. के. दादू निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING & ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2015

(Final Findings)

Subject: Final Findings in the sunset review of anti-dumping duty imposed on the imports of Acrylic Fibre originating in or exported from Korea RP and Thailand-reg.

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. No. 15/16/2013-DGAD:- Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (herein after referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (herein after referred to as the AD Rules), the Designated Authority (herein after referred to as the Authority), initiated the original anti dumping investigation in respect of the imports of Acrylic Fibre (hereinafter referred to as the subject goods) originating in or exported from USA, Thailand and Korea RP on 13.9.1996 and definitive anti dumping duty was recommended vide Final Findings Notification No. 47/ADD/1W dated 14.10.1997. The Central Government had imposed the anti dumping duty. The sunset review of the anti dumping duty so imposed against USA, Thailand and Korea RP was initiated by the Authority vide Notification No. 26/1/2001-DGAD dated 07.08.2001 and the Final Findings were issued vide Notification No. 26/1/2001-DGAD dated 06.08.2002. Definitive anti dumping duty was levied by the Central Government on the subject goods originating in or exported from USA, Thailand and Korea RP vide Customs Notification No. 106/2002-Customs dated 09.10.2002. Second Sunset review of the anti dumping duty imposed on the imports of the subject goods originating in or exported from Thailand and Korea RP was initiated by the Authority vide Notification No. 10/7/2006-DGAD dated 08.10.2007 and the Final Findings were issued vide Notification No.10/7/2006-DGAD dated 03.10.2008, recommending continuation of the anti dumping duty in force. Definitive anti dumping duty was imposed by the Central Government on the subject goods from Thailand and Korea RP vide Customs Notification No. 123/2008-Customs dated 20.11.2008.

2. Whereas, in terms of the Act and the Rules, the anti dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition.

3. And, notwithstanding the above provision, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantial request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to the date of the expiry of the measure, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

4. And, whereas, in terms of the above provisions, M/s Indian Acrylics Ltd; M/s. Vardhman Acrylics Ltd. and M/s. Pasupati Acrylon Ltd (hereinafter referred to as the applicants) representing the Domestic Industry approached the Authority with a duly substantiated application requesting for another sunset review of the anti dumping duties earlier imposed on imports of Acrylic Fibre originating in or exported from Thailand and Korea RP (hereinafter referred to as the subject countries) and seeking the continuation of anti dumping duty on the imports originating in or exported from the subject countries. The request is based on the grounds that dumping has continued in spite of imposition of anti dumping duty on the import of the subject goods from the subject countries and the domestic industry continues to suffer injury on account of dumping from the subject countries

as the form and quantum of anti dumping duty in force has been insufficient. The applicants have further argued that expiry of the measure against the subject countries would be likely to result in continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

5. And, the Authority on the basis of prime facie evidence given by the applicants considered it necessary to initiate the sunset review proceedings vide Initiation Notification No 15/16/2013-DGAD dated 24.09.2013 to examine the need for continuation of such duty to offset dumping from the subject countries and to examine as to whether the injury to the Domestic Industry is likely to continue or recur if the duties were removed or varied or both.

6. After the initiation of the subject investigation, the Central Government issued its Notification No 27/2013-Customs (ADD) dated 08.11.2013 extending the duty in force on the import of the subject originating in or exported from the subject countries up to 19.11.2014.

7. The scope of the present review covers all aspects of the previous investigations concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

B. PROCEDURE

8. The procedure described below has been followed in this investigation:

i) The Authority notified the embassies of the subject countries in India about the receipt of application alleging dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries before proceeding to initiate the investigation in accordance with the Anti-dumping Rules.

ii) The Authority issued a public notice dated 24th September, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating sunset review anti dumping investigation concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

iii) The Authority forwarded a letter along with copy of the public notice to all the known exporters and other interested parties/industry associations (whose details were made available by the domestic industry) in the subject countries and gave them opportunity to make their views known in writing within the prescribed time limits in accordance with the anti-dumping rules.

iv) The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known exporters of the subject country in accordance with the Anti-dumping Rules. A copy of the application was also made available to other interested parties, upon request.

v) Copies of the letter and the exporter questionnaires sent to the exporters/producers in the subject countries were also sent to the embassy of the subject countries in India along with a list of known exporters / producers with a request to advise the known exporters / producers from the subject countries as also other exporters / producers from the subject countries to respond to the questionnaires within the prescribed time limits.

vi) The Authority sent exporter's questionnaires to elicit relevant information to the following known exporters in the subject countries in accordance with the Anti-dumping Rules:

vii) The Authority sent exporter questionnaires, to elicit relevant information, to the following known exporters from the subject countries:

a) Thai Acrylic Fibre Company Ltd., Thailand
b) Hanil Synthetic Fibre Company Ltd., Korea RP
c) Taekwang Industrial Company Ltd., Korea RP

viii) Only one exporter from Thailand, namely, M/s. Thai Acrylic Fibre Company (hereinafter also called Thai Acrylic or TAF), responded to the exporter questionnaire in response to the above notification.

ix) The Department of Foreign Trade, Government of Thailand, also submitted its comments on the initiation.

x) The Authority forwarded a copy of the public notice to the following known importers/consumers/consumer associations (whose names and addresses were made available to the Authority) of subject goods in India and advised them to make their views known in writing within the prescribed time limit in accordance with the Rule 6(4):

a) Rajasthan Spinning & Weaving Mills Ltd.
b) Vardhaman Spinning & General Mills
c) Deepak Spinners Limited
d) Malwa Cotton Spinning Mills Ltd.
e) Shiwaliya Spg. & Wvg. Mills (P) Ltd.
f) Deepak Spinners Limited
g) Shiva Fabricator (P) Limited
h) Supreme Tex Mart Limited
i) Yogendra Worsted Limited
j) Shree Rajasthan Syntex Limited
k) Banswara Syntex Limited
l) Ganga Acrowools Limited
m) Shital Fibres Limited
n) Arisudana Industries Limited
o) Sportking India Limited
p) Texas Woollen Mills (P) Limited
q) Jindal Cotex Limited
r) Garg Acrylics Limited

xi) The following submitted their legal submissions after the initiation.
a) Vanaik Spinning Mills Ltd, Ludhiana
b) Sportking India Ltd, Ludhiana
c) Venus Texspin Ltd, Ludhiana and
d) Ganga Agrowools Ltd, Ludhiana

xii) The period of investigation for the purpose of the present review is 1st April 2012, to 31st March, 2013 (12 months). However, injury analysis covered the years 2009-10, 2010-11, 2011-12 and the POI.

xiii) Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigation. The import information provided by DGCI&S on transaction-wise basis has been adopted in this investigation.

xiv) The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6(7).

xv) In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a public hearing held on 5th August, 2014. In addition to the interested parties who had responded after the initiation of the investigation, a large number of other importers/users of the subject goods who had not responded after the initiation requested the Authority to allow them to participate in the oral hearing. They were allowed to participate in the oral hearing through their representative body Punjab Spinners Association with the permission of the Authority. Forum of Acrylic Fibre Manufacturers, New Delhi and Knitwear Club, Ludhiana also attended the oral hearing. Some individual importers/users also attended the oral hearing.

xvi) The parties presenting their views in the oral hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally. The submissions made by the interested parties during the course of the investigation and the oral hearing, have been addressed in this Disclosure Statement, to the extent considered relevant by the Authority.

xvii) The Authority has examined the information furnished by the domestic producers to the extent possible on the basis of guidelines laid down in Annexure III to work out the cost of production and the non- injurious price of the subject goods in India so as to ascertain if anti- dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

xviii) Verification of the information and data submitted by the responding exporter and the applicants was carried out to the extent deemed necessary.

xix) Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to

other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

xx) Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded this Disclosure Statement on the basis of the 'facts available' and treated such parties as non-cooperative.

xxi) The Central Government, at the request of the Authority, extended the time to complete the investigation up to 23.03.2015

xxii) A Disclosure Statement containing the essential facts in this investigation which would have formed the basis of the Final Findings was issued to the interested parties on 16.03.2015. The post Disclosure Statement submissions have been considered, to the extent found relevant, in this Final Findings Notification.

xxiii) The exchange rate for the POI has been taken by the Authority as Rs.54.65 = 1 US$.

xxiv) **** In the Final Findings Notification represents information furnished by interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND 'LIKE ARTICLE'

9. The product involved in the original investigation and subsequent review investigations is Acrylic Fibre. Acrylic Fibre is a long chain of synthetic polymer composed of at least 90% by weight of Acrylonitrile, which is a major raw material for production of acrylic fibre. It is broadly described in terms of colour, length and denier of the fibre. It is used for the purpose of manufacturing apparels, household items and it has a great industrial use etc. It is classified under Chapter 55 of the Customs Tariff Act, 1975. Customs classification of Acrylic Fibre so far as it relates to the product is 5501.3000, 5503.3000 and 5506.3000. The classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

Views of the opposing Interested Parties

Views of the Department of Foreign Trade, Government of Thailand

10. Thai Acrylic Fibre Company Ltd, in Thailand, manufactures speciality Acrylic Fibre which is not produced by the Domestic Industry in India and hence for these products, there can be no injury caused to the Domestic Industry.

Views of M/s Thai Acrylic Fibre Company Ltd, Thailand and other opposing interested parties

11. The views of M/s Thai Acrylic Fibre Company Ltd and other opposing interested parties are as under:

a) The scope of the product selected is too wide and it has not been defined appropriately. The scope of the investigation not only includes all types of Acrylic Fibres, irrespective of the fact whether these types are being produced by the domestic industry or not, but also value added products, which is against the very tenets of anti-dumping rules and regulations.

b) The scope of the investigation must exclude products that are not manufactured by the domestic industry in India and for which no technically and commercially substitutable goods are produced in the country as the domestic industry is not impacted by imports of such products. At the same time, these speciality products are critical for the user industry.

c) Acrylic Top is a value added product and hence it must be excluded from the ambit and scope of the investigation.

d) CFCL (Consolidated Fibres and Chemicals Ltd) and Vardhman Acrylic Ltd (VAL) were two companies manufacturing "Exlan" technology Fibre in India. This kind of Fibre is highly liked by modified cotton spinning sectors as it imparts special feel and bulk in the yarn. Yarn made from India Acrylic Ltd (IAL) and Pashupati Acrylon Ltd (PAL) is limpy and of low bulk and, therefore, it is not liked in the modified cotton spinning sector.

e) IAL's (Dupont technology) Fibre is used mostly in shawls / weaving sector, producing a too soft and limpy yarn. The yarn does not have standing and hence cannot be used much to make sweaters. To satisfy its customers, the domestic industry keeps buying Acrylic fibre from Thailand (CY 2011: 103.3 MT, CY2012:

254.5 MT was imported by them). [please note that these are confidential figures and need to be suppressed]

f) PAL's (Snia technology) Fibre is used in the ready to use cone sector which is mainly used by the customers having tow breaking facilities. Fibre made from PAL doesn't have good bulking properties unlike Exlan Fibre which is prerequisite for modified cotton mills.

g) The total demand of Exlan Fibre in India is 35,000MT per annum, while VAL produces only 18,000MT, leaving a shortage of 17,000MT per year.

h) After the closure of CFCL (12Kt capacity), the manufacturers of yarn started sourcing this from Thai Acrylic Fibre.

i) PAL and IAL manufacture mainly tow, while VAL manufactures only fibre. This segregation is due to the mutually exclusive end uses of the products from the three companies. It is to be further noted that Thai Acrylic Fibre exports only normal quality exlan fibre and super specialty tow in their value added product segments, which is not manufactured in India.

j) Vardhman Group is importing substantial quantity of specialty fibre from Germany, showing that specialty products have a mutually exclusive usage. Vardhman Group has an exclusive arrangement with Dralon, Gmbh, whereby no other yarn manufacturer in India can import from Dralon.

Views of the Domestic Industry

12. The views of the domestic industry are as follows:

a) Acrylic Fibre implies Acrylic Staple Fibre, Acrylic Tow Fibre and Acrylic Top Fibre. Acrylic staple fibre, acrylic tow and acrylic top are known as acrylic fibre in the commercial parlance. The only difference between acrylic staple fibre and acrylic tow is the difference in length. In case of length of more than 2 meters, it is known as tow and in case of cut lengths, it is known as staple fibre. The present investigation is a sunset review investigation. The product involved in the previous investigations and in the present sunset review investigation is the same as has been held by the Designated Authority in the previous investigations. Acrylic Fibre (which includes tow, top, staple) is classified under Chapter 55 of the Customs Tariff Act. Customs classification of Acrylic Fibre so far as it relates to the product is 5501.3000, 5503.3000 and 5506.3000.

b) The issue raised by these parties is well decided in number of investigations conducted by the Authority. The present investigation is third sunset review. Two reviews were earlier conducted by the Authority. Further, investigations were conducted in respect of a number of other countries. The Authority has not granted exclusion in the past for any product type. The present investigation being only a sunset review, in any case, the Authority should not now restrict the scope of the product under consideration. The entire argument is meant for creating a loophole in the proposed measures so that anti dumping duty can be circumvented. Further, as far as imports for exports are concerned, in any case, the Designated Authority is allowing the same without payment of anti dumping duty.

c) The scope of the product has already been decided by the Authority in the past investigations wherein the Authority has held that no specialty Fibre is required to be excluded. The argument of Thai Acrylic Fibre with respect to exclusion of Acrylic Top is required to be rejected in view of the past findings of the Authority and decision of the CESTAT in the matter of Thai Acrylic Fibre Co. Ltd. versus Designated Authority (Final Order No. AD/5/2010(PB) dated 30-4-2010 in Appeal No. AD/4/2009) wherein the Tribunal has held that Acrylic Tow and Acrylic Top are also Acrylic Fibres.

d) CFCL was forced to close its operation despite alleged preference for Thai Acrylic's fibre because of injury suffered by the company due to dumping of the product in the country. Thus, despite alleged claim of preference for Thai Acrylic's fibre, the company was forced to close down its operations. Moreover, under the rules, the legal requirement is whether goods produced by the domestic industry are like articles to the goods imported in India from Thailand. The issue is well settled by the past findings of the Authority wherein it has been clearly held that the goods produced by domestic industry are like article to the goods imported from Thailand and other countries.

e) Sales of "other Indian producers" declined in 2006-07 and there were no sales from 2007-08 whereas the imports started increasing from Thailand since 2011-12. Therefore, it is incorrect that the imports from Thailand increased after the closure of CFCL.

f) Submissions made by M/s Shiwalaya Spinning at the time of oral hearing are contrary to the statement of the exporter that all the three companies in India (PAL, VAL and IAL) find their customers in different sectors of end uses and almost not competing to each other. M/s. Shiwalaya Spinning conceded that they were buying fibre from all the three producers. In any case, even if it is admitted that there are different market segments, presence of some producers in some market segment does not imply products are different.

g) All the three petitioners together produce staple fibre, tow and top.

h) Vardhman is not the sole importer from Germany. There is no exclusive arrangement with the Germany suppliers. A statement showing party wise imports from Germany has been provided to the authority.

Examination by the Authority

13. The product under consideration in the present review investigation is Acrylic Fibre. Acrylic Fibre is a long chain of synthetic polymer composed of at least 90% by weight of Acrylonitrile, which is a major raw material for production of acrylic fibre. It is broadly described in terms of colour, length and denier of the fibre. It is used for the purpose of manufacturing apparels, household items etc and also has a great industrial use. It is classified under Chapter 55 of the Customs Tariff Act, 1975.

14. With regard to various contentions of the opposing interested parties, the Authority noted that:

i) The scope of the product has already been decided by the Authority in the past investigations wherein the Authority has held that no specialty fibre is required to be excluded from the scope of the product. It is noted that Thai Acrylic Fibre has taken technology for production of the product from Japan and the Japanese producers had also raised similar claim for exclusion in the first investigation. Thereafter, anti dumping duty has been extended on the imports of the subject goods from Japan. The Authority has not granted exemption for these speciality fibres to the Japanese producers also. As regards the argument that Acrylic Top is a value added product and, thus, should be treated outside the scope of the product under consideration, it is noted that the CESTAT in the matter of Thai Acrylic Fibre Co Ltd vs. Designated Authority Final Order No AD/5/2010(PB), dated 30.04.2010 in appeal no. AD/4/2009 has held, inter-alia, that in fact Chapter 55 covers (man made staple) fibres and Acrylic Fibre being one of them. Acrylic Tow, Acrylic staple Fibre and Acrylic Top are all acrylic fibres falling under Chapter 55, and hence, coverage of all these products under the anti-dumping notification which Acrylic Fibres of Chapter 55 cannot be denied. The Authority thus considers that it would not be appropriate to exclude speciality fibre from the ambit of anti dumping duty.

ii) It has been contended that different producers are selling different product types and the same are going for different market segments. However, the product produced and sold by the three petitioning companies and product imported from Thailand is "acrylic fibre". Mere presence of different market segments does not imply that the products are different. So long as the goods produced and sold by the petitioning companies constitute acrylic fibre, the same cannot be segregated into different product types for the purpose of injury analysis. The Authority is required to determine injury to the domestic industry by considering production and sales data relating to the like article produced and sold by the domestic industry.

iii) It has been established in the previous investigations that the goods produced by domestic industry are like article to the goods imported from the subject countries as well as other countries. Further, as per the evidence on record, all the three petitioners put together produce speciality grade Acrylic fibre.

iv) The Authority, therefore, holds that the scope of the product under consideration in the present review investigation remains the same as it was in the previous investigations.

D. STANDING AND SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY

15. The petition was filed by M/s Indian Acrylics Limited, M/s Vardhman Acrylics Limited and M/s Pasupati Acrylon Ltd. All the petitioning companies have filed their injury and costing information.

Views of the opposing Interested Parties –

16. Indian Acrylic Limited has imported the product under consideration from Thai Acrylic, quantum of which has not been disclosed. Even though imports by Indian Acrylics were affected under the Advance license (DFIA scheme), yet these goods could have easily been procured indigenously and AROs could have been issued to such a supplier as is envisaged under the Foreign Trade Policy.

Views of the Domestic industry

17. The petition was filed by M/s Indian Acrylics Limited, M/s Vardhman Acrylics Limited and M/s Pasupati Acrylon Ltd. The petitioners command 100% share in the Indian production in the POI and, therefore, constitute domestic industry. Further, in case of sunset review, standing is not required to be examined.

18. Domestic industry further claims that Indian Acrylics has imported the subject goods under advance license from Thailand. Imports made by the company are very small in volumes, considering gross imports of product under consideration in India, production of Indian Acrylic and Indian production and consumption of Acrylic Fibre. Further, the focus of the company has not turned to trading. Trading is not a principal activity of the company and imports are under duty exemption/remission scheme of the Government of India. The decisions of Madras High Court in the matter of Nirma Ltd. vs. Saint Gobain Glass India Ltd. and Calcutta High Court in the matter of State of Gujarat Fertilizers & Chemicals Limited vs. Designated Authority are referred, wherein it has been held that the Designated Authority has discretion under Rule 2(b) and the amendment dated 27th Feb., 2010 has not taken away the discretionary power of the Authority.

Examination by the Authority

19. The petition in the present case has been filed by the three domestic producers, M/s Indian Acrylics Limited, M/s Vardhman Acrylics Limited and M/s Pasupati Acrylon Ltd. The petitioners command 100% share in the Indian production in the POI. Further, the present investigation is a sunset review investigation.

20. The Authority on the basis of information on record found that Indian Acrylics has imported the subject goods, and the same are under the duty exemption scheme and these import volumes constituted a very insignificant proportion when compared with their own production, Indian production and the demand in the country. The Authority also notes that the focus of the company has not turned to trading. The Madras High Court in the matter of Nirma Ltd. vs. Saint Gobain Glass India Ltd. has held that the Designated Authority has discretion under Rule 2(b) and the amendment dated 27.2.2010 has not taken away the discretionary power of the Authority. As regards the argument that the company could have sourced the product under ARO, the Authority notes that use of one of the schemes available under the Foreign Trade Policy of the Government of India is the decision of the individual companies. The Authority has been consistently holding that if the goods have been procured under duty exemption scheme, the same do not disentitle the domestic industry from being considered as part of the domestic industry. In any case, the volume of imports made by the company is quite insignificant considering production by the company, production in India and consumption in India. The Authority, therefore, holds that Indian Acrylics constitutes to be an eligible domestic industry within the meaning of Rules 2(b).

21. Considering the information on record, the Authority, holds that production of the petitioner companies, i.e., Vardhman Acrylics, Pasupati Acrylon and Indian Acrylics constitute major proportion of the Indian production. Therefore, the petitioner companies constitute domestic industry within the meaning of the anti dumping Rules and also have standing under the Rules.

E. MISCELLANEOUS ISSUES

Views of the opposing Interested Parties

22. The views of the opposing interested parties are as follows:

a) There is no case for continuation of anti dumping duty in India beyond 15 years. Duty should not be extended.

b) In Doha Agreement – 2007 WTO Chair Text on duration of duty – India has supported the view that anti dumping duty should not be extended beyond 10 years as was decided by the Authority in the matter of anti dumping investigation concerning Dry Cell Battery.

c) The present SSR investigation (POI April 2012 to March 2013) is erroneous. The law enjoins that the POI in SSR proceedings must end with the period that is as close as possible to the date of expiry of the anti-dumping duty. It is, therefore, requested that the Authority must determine the likelihood of any dumping and consequent injury only upon examination of the latest data (from July 2013 to June 2014).

d) Excessive confidentiality claimed in the petition, i.e., the imports made by Indian Acrylics Limited has not been disclosed at all.

e) Key stakeholders should be informed and allowed to attend public hearing. However, the same has been denied on 22nd July, 2014.

f) While initiating the present investigation, the requirements of Rule 5(3) (b) of the AD Rules have not been duly followed.

g) The Applicants' claim that "the antidumping duties can be discontinued only and only when the Authority comes to a conclusion that the cessation / discontinuance of anti-dumping duty would not lead to recurrence or continuance of dumping and injury to the domestic industry." However, according to Section 9A(5), discretion has been vested with Authorities to choose not to further extend the duties.

h) Egypt has supplied only Dyed Fibre.

i) If the Applicants were indeed suffering injury despite imposition of the anti-dumping duty; then why they did not come forward before the Authority by filing a Mid-Term Review application seeking appropriate enhancement of the measures in place.

j) Applicants are preventing the consumers from coming forward and defending their interest.

k) Due to high cost of the raw material for manufacture of Acrylic Fibre, the fibre is already costlier than polyester, viscose and cotton.

l) Further, high price of fibre has resulted in import of yarn, leading to non-growth of downstream industry in the domestic and export market.

m) Due to escalation in exchange rate, the anti dumping duty in terms of rupee value has increased.

n) Fibre manufacturers are importing acrylic fibre to meet shortage of user demand. They are also exporting Acrylic Fibre at low price and importing against advance licence.

o) Bangladesh has earned a good reputation in sweater manufacturing as they can get good quality of specialty yarn made from anti-piling, conjugate, gel dyed, etc at the prevailing international price.

Views of the Domestic industry

23. The views of domestic industry are as follows:

a) Thai Acrylic Fibre has not filed questionnaire response Part II till date.

b) The Authority has issued a Public Notice at the stage of initiation. It was for the interested parties to respond to the Authority and participate in the investigations. If these interested parties have chosen not to respond to the notice of initiation and have not participated from the stage of initiation with questionnaire response, these parties acquire no such right at this stage.

c) The argument that high price of fibre has resulted in import of yarn is without any basis. In fact, imports of yarn are minimal in the country. A statement showing imports of yarn is enclosed. In any case, if imports of yarn are happening at low price, the consumers are free to file a petition regarding the same.

d) The issue escalation in exchange rate is well decided. With a change in exchange rate, the cost of production of the domestic industry also changes. Thus, the impact of exchange rate is not selectively on the selling price of PUC, it is on the cost of production of the PUC as well.

e) There is no shortage for the product in the country. The domestic industry has sufficient capacities for the product. Exports by the domestic industry are actually because of imports being made by the consumers.

f) If Bangladesh has earned a good reputation, the industry should blame itself. Imports for exports does not attract anti dumping duty and the Indian manufacturing could attain the same reputation as has been allegedly attained by the producers in Bangladesh. It is certainly not the price of imports which is the cause for current situation. The volume of exports to Bangladesh are hardly 25% of the volume of exports to India, the price at which goods have been exported from Bangladesh is about 5% higher than the price to India and the exports to Bangladesh are also at dumping prices.

g) The issue of high cost of the raw material for manufacture of Acrylic Fibre, is entirely irrelevant. Acrylic fiber, Polyester, Viscose and Cotton are being used since initial imposition of anti dumping duty. No significant change has happened in this regard. Such being the case, there is no merit in the argument. The interested parties are raising issues which were never relevant.

h) It is indeed surprising that Thai Acrylic Fibre is pointing out at non disclosure of import volumes by the IAL when Thai Acrylic Fibre has not disclosed total exports made by the company to India, even when Thai Acrylic Fibre is possibly the only exporter of the product from Thailand and exports made by Thai Acrylic Fibre are recorded and published both by Thai Customs and Indian Customs. Indeed, nothing can be claimed confidential with regard to total volume of exports made by a company, when the company happens to be the only exporter of the product from the country and relevant information is publically made available by customs authorities of the exporting and importing country.

i) Excessive confidentiality in fact has been resorted to by Thai Acrylic Fibre. Not only questionnaire response filed by Thai Acrylic Fibre is contrary to the legal provisions, but also it is in violation of the trade notice issued by the Authority.

j) Thailand has exported 5,174 MT waste in India as against its gross production of 1.10 lac MT**.**

k) If imports into India are to be considered, it would appear that Thai Acrylic Fibre has claimed that it has generated 4-5% waste production even if it is considered that entire waste production has been exported to India. This is simply not possible for the reason that Thai Acrylic Fibre has the same technology as has been employed by M/s Vardhman. M/s Vardhman's waste production is practically nil. Under these circumstances, it is not possible that Thai Acrylic Fibre plant is generating 4-5% waste.

l) Increase in imports is because of enhancement of capacity by Thai Acrylic Fibre without commensurate increase in consumption of the product under consideration in the domestic market.

m) Rule 5 is not attracted in case of review, as would be seen from Rule 23(3). Provisions of the Rule 5 are with regard to imposition of anti dumping duty, whereas the product is already attracting anti dumping duty. Secondly, petitioners filed a duly documented petition, as acknowledged and stated so by the Designated Authority in the notice of initiation. Thirdly, the submissions made by the exporter in any case do not establish that the initiation was flawed for any reasons. Further, causal link analysis is not required at the stage of review.

n) The Rule nowhere states that POI in SSR proceedings must end with the period that is as close as possible to the date of expiry of the anti-dumping duty. Thai Acrylic Fibre has read the legal obligations not listed under the law. In fact, the interpretation drawn by Hon'ble High Court recently in the matter of M/s. Kumho Petrochemicals Co. Ltd. vs. Union of India & Ors [W.P. (C) 1851/2014, C.M. NO. 3866/2014 & 3867/2014] implies that the sunset review should be initiated before the expiry of the existing anti dumping duty.

o) No petition in the past for third sunset review only implies that the domestic industry in those products may no longer have considered a need for extension of anti dumping duty in view of facts prevailing in those cases. In the facts pertaining to present case, however, there is a clear evidence of continued dumping in the POI and further of likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation of anti dumping duty.

p) In the matter of anti dumping investigation pertaining to Dry Cell Battery, the Authority considered that market share of the subject imports was insignificant and, therefore, concluded that there is no likelihood of injury to the domestic industry if anti dumping duty is not extended. In the present case, imports of the product under consideration from Thailand have increased significantly in absolute terms and in relation to production & consumption in India and are causing injury to the domestic industry.

q) There has been gradual deterioration in the profitability and return on investment of the domestic industry cumulatively. Further, production & capacity utilization of the domestic industry declined in the period of investigation. In any case, the Authority has earlier rejected midterm review application in other products (NTCF from China, PVC paste resin from Korea & Taiwan) on the grounds that sunset review was becoming due. Thus, the domestic industry could not have sought midterm review based on its performance in the period of investigation or even in the preceding year.

r) The discretion under Section 9A(5) of the Act at most is with the Central Government and not with the Designated Authority. The Authority cannot recommend discontinuation if the Authority comes to a conclusion that cessation /discontinuance of anti-dumping duty would lead to recurrence or continuance of dumping and injury to the domestic industry. The submissions of the petitioners in the application are with regard to the powers of the Authority under the rules. The present investigation is not by Central Government. The present investigation is by the Authority.

Examination by the Authority

24. With regard to the various contentions of the interested parties, the Authority notes as follows:

a) With regard to the contention raised by the opposing interested parties that there is no case of anti dumping duty in India beyond 15 years and duty should not be extended, the Authority notes that the Act and the Rules do not prescribe any time limit beyond which the anti dumping duty should not be extended. Section 9A(5) clearly provides that the anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, in which case, the Central Govt. may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years. Thus, the legal provision clearly is that the anti dumping duty can be extended further from time to time, if it found that the dumping and consequent injury to the domestic industry is likely in the event of

cessation of anti dumping duty. The petition filed by the domestic industry contained sufficient information on dumping and consequent injury which were examined by the authority before initiation of investigations and, on being prima facie satisfied, the Authority had initiated the investigations. As regards Doha round of WTO negotiation, the Authority notes that there is no decision of the WTO to cap the maximum period of duty.

b) The Authority notes that in a sunset review investigation, anti dumping duty is required to be imposed so long as the investigation shows that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

c) With regard to the decision of the Authority in the matter of Dry Cell Battery, it is noted that the decision does not establish that the anti dumping duty should not be extended further if there is dumping causing injury or there is likelihood of dumping and injury. Rather, the present investigation has shown dumping and continuation of injury to the domestic industry. The facts of the present investigation are totally different from facts of the Dry Cell Battery investigation. In dry cells batteries, the authority came to a conclusion that dumping causing injury to the domestic industry was unlikely and therefore the Authority considered that it was not necessary to extend the duty further.

d) With regard to the contention that the law enjoins that the POI in SSR proceedings must end with the period that is as close as possible to the date of expiry of the anti-dumping duty, it is noted that as per the provisions of the Act read with Rules, the sunset review has to be initiated before expiry of the existing anti dumping duty. There is no legal prescription with regard to the POI in SSR case and its relationship with expiry of duty.

e) With regard to sufficiency of the confidentiality claim, it is noted that the Authority has granted confidentiality wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis. Information with regard to volume of imports is sensitive business information. It is noted in this regard that despite responding exporter being the sole producer in Thailand, the company has not disclosed its volume of exports to India, claiming the same as confidential.

f) With regard to the contention that the requirements of Rule 5(3) (b) of the AD Rules have not been duly followed, the Authority notes that even though provisions of Rule 5 are not applicable in case of a sunset review, the Authority has examined the claims of the domestic industry on dumping and injury and initiated the investigations on being satisfied with there was sufficient prima facie evidence provided showing that cessation of anti dumping duty was likely to lead to dumping and consequent injury to the domestic industry.

g) The Authority has noted the provisions under Section 9A(5) and Rule 23 and considered the same.

h) With regard to the contention that Egypt has supplied only Dyed Fibre, the Authority notes that while the transaction-wise import information collected from DGCI&S shows that there were significant imports of grey fibre from Egypt.

i) With regard to the contention of the exporter that the domestic industry has not applied for mid-term review, it is noted that the domestic industry has claimed injury in the period of investigation for the sunset review. Therefore, question of mid-term investigations does not arise.

j) With regard to the contention that petitioners are preventing the consumers from defending their interest, it is noted that dumping law permits filing of submissions by any interested party on confidential basis after giving due cause for such claims of confidentiality.

k) With regard to imports of Acrylic Fibre wastes, it is clarified that the Authority has considered only imports of acrylic fibre into India. The Authority has not considered any imports of waste for the purpose of present determination.

l) As regards the contention that all parties should be invited for oral hearing, the Authority notes that all those interested parties who made themselves known or who had filed submissions before the Authority were invited for the public hearing. Further, the Authority had in fact permitted all other interested parties who had requested the Authority to be present in the public hearing to present their views directly and also through their Association.

m) As regards the contention that the domestic industry could have filed petition seeking midterm review of anti dumping duty, the Authority notes that the present investigation is a sunset review investigation and in case an interested party has not sought a midterm review, the Authority is required to consider provisions concerning sunset review and make determination accordingly.

n) As regards the contention that the domestic industry prevented the opposing interested parties from defending their interests, the Authority notes that the interested parties were free to advance their arguments in accordance with the law. Further, the Authority had permitted all other interested parties who had requested the Authority to be present in the public hearing to present their views directly as also through their Association. It thus

cannot be accepted that the domestic industry was preventing the interested parties from making submissions.

o) As regards the high cost of raw material leading to high cost of fibre, the Authority notes that the demand for the product under consideration has shown rising trend in the present injury period. It is thus not a case that demand for the product was taken away by other textile fibres during the POI.

p) As regards the increase in prices due to devaluation of Rupee, the Authority notes that it cannot be considered that the devaluation of Rupee has impacted the cost of fibre. It has impacted on the cost of production of the product and import price of eventual product (yarn) as well.

q) As regards the imports of fibre due to demand-supply gap, the Authority reiterates its consistent position that imposition of anti dumping duty does not restrict imports.

r) As regards the comparison with Bangladesh and quality of their product, the Authority notes that the issue cannot be linked to anti dumping duty. The anti dumping duty does not apply on imports under duty exemption scheme and, therefore, the consumers are free to import and compete with Bangladesh.

F. ASSESSMENT OF DUMPING – METHODOLOGY AND PARAMETERS

Determination of Dumping

Views of Thai Acrylic Fibre Company Ltd, Thailand and other opposing interested parties

25. Main views of the opposing interested parties are as follows:

a) Prices of acrylic fibre in Thailand are not higher and Thai Acrylic Fibre Co has not sold the product at higher prices in the domestic market of Thailand.

Views of the Domestic industry

26. The views of domestic industry are as follows:

a) Other than M/s Thai Acrylic Fibre from Thailand, none of the interested parties in the subject countries has responded to the Authority. The Authority may hold that none of the other interested parties from the subject countries has cooperated with the Authority.

b) The exporter has not provided third country sales on the grounds that normal value has been claimed on domestic market. At the same time, the exporter has not provided information in response to questionnaire part II. Thus, the exporter has withheld relevant information with regard to exports to third countries which will clearly prevent the Authority from considering the questionnaire response for the present purpose.

c) The Authority has clearly held in the matter of anti dumping investigation pertaining to ductile iron pipes that questionnaire response cannot be accepted unless the exporter has filed response to questionnaire response part II. Further, the Authority rejected the entire questionnaire response in that case. Such being the case, the Authority is requested to reject the questionnaire in the present case as well.

d) Price of the product under consideration in Thailand is higher than the price at which goods have been exported to India. The questionnaire response would establish the same.

e) With regard to imports from Korea RP, there is a significant difference in the volume of exports reported in Korean Customs and volume of imports reported in Indian Customs. It is, thus, evident that volume of exports reported in Indian customs is grossly low as compared to the volume of exports reported in Korean customs. In view of the same, petitioners have requested the Authority to consider Korean customs data for determination of volume and value of imports in so far as Korea is concerned, holding that full volume of imports is not reflected in Indian customs data.

Examination by the Authority

27. Only one exporter/manufacturer, M/s Thai Acrylic Fibre Company Ltd. (TAF) has filed its questionnaire response. The information submitted by the exporter was also verified by the Authority as per the procedure prescribed and the dumping margin has been determined as follows.

Normal Value for Thailand:
Normal Value for M/s Thai Acrylic Fibre Company Ltd, Thailand (TAF)

28. TAF filed a questionnaire response containing details of the domestic as well as exports sales of the subject

goods manufactured and sold by them. For computation of Normal Value, the domestic sales of the subject goods were considered based on the verified data in Appendix -1. It was noted that ***% of the domestic sales are profitable sales and the same have been considered for the purpose of determining the Normal Value. Adjustments as claimed were allowed by the Authority. The Normal Value at ex-factory level as worked out by the Authority taking into consideration the above factors is indicated in the Dumping Margin Table below.

Normal Value for all other exporters from Thailand

29. No other exporter from Thailand filed questionnaire response before the Authority in the present investigation. The Authority, therefore, adopts the normal value determined for the cooperating exporter from Thailand, for all other exporters from Thailand as well.

Normal Value for Korea RP

30. The Authority notes that none of the exporters from Korea RP has filed any response to the prescribed questionnaire. As information about actual domestic sales price, information on exports to third country or cost of production in Korea RP and other information as per the questionnaire have not been furnished by any producer/exporter in that country, the Authority has relied upon best available information for determination of Normal Value. The petitioners claimed that efforts were made by them to get any information about the price at which subject goods were being traded in the domestic market of Korea RP. Efforts were also made to get any other reasonable evidence of price of the subject goods prevailing in Korea RP. Petitioners have not been able to get evidence of prices of the subject goods in the domestic market of Korea RP. The normal value is, therefore, determined taking constructed value approach. The Normal Value as worked out by the Authority is given in the Dumping Margin Table below.

Export Price for Thailand

Export Price for M/s Thai Acrylic Fibre Company Ltd,, Thailand (TAF)

31. TAF filed a questionnaire response containing details of the domestic as well as exports sales of the subject goods manufactured and sold by them. The export price has been determined based on the verified data in Appendix-2. After allowing the adjustments as claimed, the export price at ex-factory level as worked out by the Authority is given in the Dumping Margin Table below.

Export Price for all other exporters from Thailand

32. The net export price has been determined by the Authority based on facts available. The net export price at ex-factory level worked out by the Authority for all other exporters from Thailand is given in the Dumping Margin Table below.

Export Price for Korea RP

33. The Authority has considered the import price on the basis of the DGCI & S import volumes. After making adjustments as claimed, the ex-factory export price calculated by the Authority is given in the Dumping Margin Table below.

Dumping Margin

34. The normal values determined at the ex-factory level have been compared with the respective net export prices determined at the ex-factory level to determine the dumping margins. The dumping margins are as follows:

Dumping Margin Table

Dumping Margin Calculations for	Normal Value US$/ MT	Export Price US$/ MT	Dumping Margin US$/ MT	Dumping Margin %	Dumping Margin Range%
M/s Thai Acrylic Co Ltd, Thailand	***	***	***	***	15-25
All other exporters/producers from Thailand	***	***	***	***	35-45
All exporters/producers from Korea RP	***	***	***	***	20-30

35. The dumping margins from the subject countries are significantly above de-minimis levels.

G. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

Injury and Causal Link

Views of the Department of Foreign Trade, Government of Thailand

36. The duty has been in effect for almost 17 years. Thai Acrylic Fibre Company Ltd., in Thailand, manufactures specialty Acrylic Fibre which is not produced by the Domestic Industry in India and hence for these products there can be no injury caused to the Domestic Industry. There is no dumping from Thailand.

Views of the opposing interested parties

37. The views of opposing interested parties with respect to injury and causal link are as follows:

a) In the petition it has been stated that the imports grew "exponentially" whereas imports into India from Thailand have more or less remained constant. The imports of acrylic fibre into India from Thailand have increased insignificantly over the period of 2009-10 to 2012-13.

b) The dip in Acrylic Fibre prices as shown in the graph of the evolution of price effect as reflected in the Application, is attributable to the prices of Acrylonitrile, which is a primary factor governing the prices of Acrylic Fibre and after April / May 2012, there was a steep fall in Acrylonitrile prices, which is reflected in the acrylic fibre prices.

c) The petitioners have claimed price suppression effect on account of the imported subject goods. The "cost of sales" as mentioned in the petition, should consist of freight, and other selling expenses. The comparison of the cost of sales to the selling price has little meaning. Also, cost of sales is a very small number compared to revenue and cost of goods sold. However, the price of Acrylic Fibre depends on Acrylonitrile prices to a great extent.

d) Extracts from the Director's Report for the period ending 31.03.2013 of M/s Indian Acrylic Ltd. claims that despite decrease in overall sales, Gross profit before interest, depreciation interest and tax (GPBIDT) during the current year is higher.

e) There is continuous increase in domestic sales. It may also be noted that loss in production is due to lower volume in export market in 2012-13 and decrease in finished goods inventory in 2011-12 by 3772MT which reduced the production by 1816MT.

f) The Applicants have also failed to demonstrate a significant decline in the sales volume and not furnished any evidence of lost contracts or declining sales.

g) Decrease in inventory is a clear indicator of a healthy state of affairs for the domestic industry.

h) The imports are only for meeting the gap in demand in the country.

i) The imports from Germany have steadily increased over the last few years. Most of the material imported from Germany is by the Vardhaman Group, proving that the fibres manufactured by different technologies and different techniques can result in different applications, finding use in different applications. Hence, Indian manufacturers being unable to sell their own fibre in the domestic market, are importing fibre of different technology and different types to meet the demands of different customers.

j) Annual Reports of the petitioners show different reasons for injury. The evidence at hand (the Annual reports of Indian Acrylics Limited and Pasupati Acrylon Limited) show that serious contradictions exist in the applicants' claims of injury and the facts as reflected in these Annual reports. M/s. Pasupati Acrylon Ltd. in its Annual Report for 2012-13, provides a very bright assessment of its performance without any reference whatsoever to injury on account of foreign competition.

k) Indian Acrylic Ltd. has also acknowledged that it is dependent on imported raw materials to a large extent and sudden increase in crude oil, naphtha or gas prices also adversely affect the company.

l) These domestic producers have acknowledged and identified critical factors such as volatility in the raw material prices, subdued demand in global markets leading to lower capacity utilization, rise in USD vis-a-vis INR and higher borrowing costs as challenges and key factors leading to the revenue losses that the domestic industry in India faced during the years designated as the period of injury.

m) Dismal global scenario such as currency fluctuation, sudden increase in competition from other fibres, softening

of commodity prices and Euro zone crisis have also been specified cited as the prime reason for their poor performance, apart from alleged dumping.

n) The fact that one of the domestic producer's performance is distinctly better than other two, would amply prove that injury if any is self-inflicted and due to inter se competition amongst the domestic producers.

o) It is indeed strange that on one hand the production of the domestic industry was falling yet on the other hand it chose to employ more people (5% increase over the injury period) which has resulted into higher costs of production. Employing more people in the scenario of dropping production has led to lower productivity. It is a classic case of self-inflicted injury and can hardly be attributed to alleged dumping.

p) The Application at length dwells on relevance and importance of profits, but does not spell out what should be a reasonable profit, that too in trying economic conditions.

q) The losses suffered by the domestic industry due to other factors ought not to be attributed to alleged dumping.

r) One Applicant has very assiduously chosen not to mention anything whatsoever as regards the export performance, despite the fact that the domestic industry had been significantly exporting the subject goods that plummeted to almost half in the POI as compared to the base year, viz. 2009-10 period. The Applicant has instead merely stated that it has provided costing and injury information for domestic sales, which does not answer the adverse impact on dismal export performance of the domestic industry. This is a serious flaw and because of this ground alone the investigation merits termination.

s) The Applicant has deliberately provided wrong information/data. It is prayed that the investigation must be terminated on this ground alone. Further, there is lack of causal link between alleged dumped goods and alleged injury to the domestic industry.

Views of the Domestic Industry

38. The domestic industry, in its submissions, has inter-alia argued as follows:

(i) There is continued dumping of the product concerned from the subject countries.

(ii) Dumping of the product under consideration is likely to intensify from the subject countries should the current antidumping duty be withdrawn.

(iii) Volume of imports from Thailand has shown an increasing trend during the injury period. In fact, the volume of imports from Thailand has phenomenally increased in the current period. This increase in import is despite significant imports that are occurring from Egypt, which are exports made by the related party. In fact, it is petitioner's understanding that the same sets of team are exporting both from Thailand and Egypt;

(iv) Though the volume of imports as reported by Indian Customs data shows a decline; the volume of exports reported by Korean Customs data shows significant volume of exports of Acrylic Fibre to India. The petitioners request the Authority to consider the volumes as reported by Korean Customs to assess the volume of dumped imports from Korea to India.

(v) Imports from the subject countries at dumped prices continue to enter the Indian market.

(vi) Volume of imports has increased in absolute terms and in relation to domestic sales of the domestic industry, production and consumption of the product in the country;

(vii) Price undercutting is significantly positive;

(viii) Performance of the Domestic Industry in terms of production, capacity utilization, profits, return on investments, cash flow, inventories etc. has deteriorated in the current injury period;

(ix) Despite antidumping duty in force, performance of the Domestic Industry has declined. Should the current antidumping duties cease, performance of the domestic industry would further deteriorate;

(x) Domestic Industry has been prevented from utilizing its capacities to the fullest extent on account of continued dumped imports in the market;

(xi) Selling price in the domestic market is directly linked to import prices. Revocation of anti dumping duty shall imply intensified dumping from these countries in the Indian market. Consequently, the domestic industry would be forced to reduce the selling prices;

(xii) Any decline in selling price would have its adverse impact on profitability, return on investment and cash profit situation of the domestic industry;

(xiii) The domestic industry has suffered injury from intensified dumping of the product in the country;

(xiv) The fact that prices of Acrylic Fibre in the period of investigation have changed more than what could be attributed to changes in Acrylonitrile gets fully established by the trend of profitability of Thai Acrylic Fibre. The exporter has conceded that it suffered financial losses in the period of investigation, which implies that the changes in Acrylic Fiber prices were less than the changes in Acrylonitrile prices.

(xv) TAF clearly agrees that the price of Acrylic Fibre depends on Acrylonitrile prices to a great extent. As regards inclusion of expenses such as freight and selling expenses included under cost of sales, petitioners submit that these expenses are in fact required to be added for all purposes in order to ensure fair comparison. The landed price of imports also includes freight and other selling expenses, and, therefore, it would be appropriate to add freight and direct selling expenses to the domestic selling price and domestic cost of production before comparing with the imported product price in order to ensure apple to apple comparison.

(xvi) As regards higher borrowings cost of Indian producers, petitioners submit that it is a well known settled legal position that the domestic industry is required to be seen in the form and manner under which it has been established and not under ideal conditions. Further, with the similar level of borrowings cost, the performance of the domestic industry steeply deteriorated over the present period which clearly establishes that the deterioration in performance is not because of borrowing cost.

(xvii) The domestic industry has provided elaborate information on likelihood in the petition itself, non confidential version of which has been made available to other interested parties. In fact, there is no prescribed requirement for providing likelihood information, despite which the petitioners have provided this information on the basis of their knowledge and experience.

(xviii) The Euro Zone crisis led to the decline in demand for the downstream products in Europe, as a result of which the consumption of Acrylic Fibre in the international market declined. Resultantly, demand for Acrylic Fibre for the companies such as TAF declined, as a result of which companies such as TAF resorted to aggressive pricing to such an extent that they started selling the product at a price below home market price and cost of production. Thus, TAF even sold the product materially below the cost and suffered financial losses during the period of investigation. The aggressive pricing resorted by TAF, therefore, forced producers such as Indian companies to suffer injury, even though Indian producers of the product under consideration are not exposed to international market to significant extent and are, therefore, not directly impacted by Euro Zone crisis.

(xix) Decrease in inventories is required to be seen along with the production trend. It would be seen that inventories have declined because of production curtailed. The option with the domestic industry is either to produce and sell or to pile up the inventories.

(xx) It would be seen that the number of employees has increased up to 2011-12 and then marginally declined in the POI.

(xxi) The application need not be referred with regard to the level of reasonable profit, as the Authority has well laid down practice with regard to the level of reasonable profit. The Authority considers 22% return on capital employed as reasonable profit. As regards adverse economic conditions, the same is entirely irrelevant. There is nothing like adverse economic conditions in the product calling for different/lower level of profits. Possibly, adverse economic conditions are with the exporter, as the exporter is faced with a situation where it has to export more than 90% of its production. The petitioners have sufficient domestic demand and can easily sell their entire volumes in the domestic market.

(xxii) Performance of the domestic industry till 2010-11 was much better and thus shows why the petitioners could not have sought midterm review of the anti dumping duties in force. As the trend in capacity utilization and profits shows, the steep deterioration was in 2011-12.

(xxiii) The exporter has referred to profit before interest and depreciation, whereas the relevant legal requirement is profit before tax. It would be seen that profits of the domestic industry, profit before interest, cash profit and profit before interest and tax declined over the injury period.

(xxiv) The exporter has not filed response to prescribed questionnaire part II and, therefore, should not be permitted to contend anything with regard to likelihood. The exporter could have made submissions with regard to likelihood only if the exporter had filed the questionnaire response. Notwithstanding, the publically available information clearly shows that the exporter is resorting to dumping in third countries as well.

(xxv) The injury suffered by the domestic industry is directly linked to dumped imports. As submitted earlier, effect of other factors identified in the Annual Reports eventually culminate into competition from imports.

(xxvi) Under the Rules, the Authority is required to consider performance of the domestic industry as a whole. The mere fact that performance of one producer is distinctly better than others does not imply that producer has not suffered injury. Furthermore, the interested parties themselves contended that 70% of production of Vardhman Acrylic is sold to their own group company. In other words, performance of Vardhman to the extent of its sales to related company is not impacted by dumping of the product in the country. Such being the situation, it is evident that the performance of Vardhman in any case is not indicative of the impact of dumped imports on the domestic industry. Performance of Vardhman is required to be segregated from the scope of domestic industry and the performance of Pasupati and Indian Acrylic alone should be considered for the purpose of assessment of injury to the domestic industry. Existence of inter-se completion amongst domestic producers does not imply absence of injury due to imports. In fact, inter-se competition would and should invariably exist and absence of inter-se competition should attract attention of Competition Commission of India.

(xxvii) The exporter has suppressed vital information from the authority and has not filed even response to questionnaire Part II which implies that the Designated Authority should reject the entire response considering consistent practice applied by the Authority in the past and having regard to the decision of the Designated Authority in the matter of ductile iron pipes.

(xxviii) Demand-supply gap in India should not be a concern of a producer in Thailand. Domestic industry lost production and sales during the period. In any case, demand supply gap does not justify dumping of the product in the country. On the contrary, in a situation of demand supply gap, the exporter could have easily sold the product in the country at a fair price. The exporters were not required to resort to dumping of the product in the country.

(xxix) Whereas one consumer contended that anti-dumping duty has resulted in de-growth in the downstream industry, another consumer has contended that the company has seen such significant growth. It, therefore, follows that there is no truth in the contention that anti-dumping duty has led to de-growth of the downstream industry. Further, no other consumer claimed that they had to reduce production due to anti-dumping duty. This is despite presence/participation of a large number of consumers in the present case.

(xxx) Whereas one of the consumers contented that goods produced by Indian Acrylic, Pashupati Acrylon and Vardhman are different; another consumer contended that it is buying Fibre from all the three suppliers. This clearly shows contradiction in their arguments. In any case, the contention is contrary to the past findings of the Authority. The Authority has earlier held that goods produced by domestic industry are like article.

(xxxi) One of the consumers submitted that imports included duty free imports as well. Petitioners submit that while it is true that there are duty free imports of the product under consideration from Thailand, extent of which is not publically available information, in any case, exemption from payment of anti-dumping duty on such imports establishes that imposition or continuation of anti-dumping duty, does not prejudice the interests of the consumers as far as duty free imports are concerned. However, the duty free imports also cause injury to the domestic industry in the form of their adverse price effect on the domestic industry.

(xxxii) One of the consumers contended that the increase in imports from Thailand is because of closure of production by two other companies in India. Petitioners submit that the other domestic producers reduced supplies in 2006-07 and completely stopped supplies thereafter. However, imports from Thailand have surged from 2011-12.

(xxxiii) There has been continuous increase in capacities by Thai Acrylic Fibre without commensurate increase in consumption of the product under consideration in the domestic market. This establishes that increase in imports from Thailand is because of repeated expansion by Thai Acrylic Fibre, which was aimed towards global markets, including India (which is one of the large consuming markets for the product under consideration). Since Thai Acrylic Fibre expanded capacities without increase in domestic market, it is natural that the company is looking for Indian market as a great business opportunity. In fact, the present effort of Thai Acrylic Fibre to seek revocation of anti-dumping duty, by not only participating in the present proceeding, but also pooling participation by consumers in a large number is because of the sales pressure being felt by the company in view of absence of sufficient demand. It is more than obvious that all the consumers who attended the hearing or all those consumers who sought permission to attend the hearing did so at the behest of Thai Acrylic Fibre.

(xxxiv) The above mentioned expansion of capacities by Thai Acrylic Fibre is all the more alarming and damaging to the established producers like Indian domestic industry in a situation where it is quite known globally that Acrylic Fiber demand is not showing significant increase. In fact, one of the largest producers of Acrylonitrile (the main raw material for production of Acrylic Fiber) mentioned that demand for Acrylic Fiber is stagnant to slightly negative globally, in Asia and in China. Under these circumstances prevailing globally and despite meager domestic demand; Thai Acrylic Fibre has expanded its capacities phenomenally.

Thereafter, the company has set up a plant in Egypt, which has further aggravated injury being suffered by other global players. In fact, Thai Acrylic Fibre stated at the time of hearing that it has suffered financial losses in the present period of investigation.

Examination by the Authority

39. The Authority has considered various arguments put forth by various interested parties in their submissions and issue of continuation of injury to the domestic industry has been examined in the light of these arguments made before the Authority. On the basis of data and information available to it, the Authority concludes that the current dumping margins from the subject countries are above *de minimis* level. The Authority, therefore, proceeds to examine the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject countries.

40. With regard to the various contentions of the interested parties, the Authority observes as follows:

a) With regard to the contention of the exporter that the domestic industry has claimed that the imports grew "exponentially" whereas imports into India from Thailand have more or less remained constant; the Authority notes that the imports from Thailand have increased significantly, even when anti-dumping duty is already in force.

b) With regard to the contention of the exporter that "cost of sales" includes freight, and other selling expenses, it is clarified that the Authority has determined the cost and selling price of the domestic industry after deducting freight and other selling expenses before comparing the same with the landed price of imports.

c) With regard to the contention that Director's Report of one of the petitioner companies has claimed higher gross profit before interest, depreciation interest and tax despite decrease in overall sales; the Authority notes that the profits of the domestic industry as a whole have declined over the injury period. The rules require the authority to consider "domestic industry as a whole". Injury determination cannot be based on consideration of data relating to only a constituent of the domestic industry.

d) With regard to the contention of the interested parties on improvement in the performance of domestic industry, it is clarified that the performance of the domestic industry has been examined over the injury period which starts from 2009-10 and not 2010-11. The Authority has examined all the relevant injury parameters relating to the domestic industry and has concluded about the performance of the domestic industry after considering all relevant parameters such as production, sales, capacity utilization, market share, profits, return on investment, cash profits, etc.

e) With regard to the contention that the domestic industry has not furnished any evidence of lost contracts or declining sales; it is clarified that the rules require the authority to consider performance of the domestic industry by considering various parameters laid down under the Rules. While lost contracts can be a parameter of injury, absence of lost contracts does not mean that the domestic industry has not suffered injury. Further, the domestic industry has suffered decline in sales volumes, which itself establishes that the consumers did not place orders on the domestic industry for some of its requirements and instead preferred imports.

f) With regard to the contention that decrease in inventory is a clear indicator of a healthy state of affairs for the domestic industry, the Authority notes that conclusion on injury is required to be based considering various economic parameters. Conclusion cannot be based selectively considering one parameter.

g) With regard to the contention that imports are only for meeting the gap in demand in the country; the Authority notes that demand supply gap does not justify dumping of the product in the country. On the contrary, in a situation of demand supply gap, the exporter could have easily sold the product in the country at an undumped price.

h) With regard to the contention that the exporter has not filed response to prescribed questionnaire Part II, and, therefore, should not be permitted to contend anything with regard to likelihood, the Authority notes that the exporter was asked to submit questionnaire Part II in the prescribed form and manner and the same has been provided by the exporter.

i) With regard to the contention that the volume of exports reported by Korean Customs data shows significant volume of exports of Acrylic Fibre to India; the Authority has examined the facts in the light of the information available and considered the same for the purpose of likelihood of injury.

j) With regard to the contention that imports from Thailand have increased as a result of expansion of capacity by Thai Acrylic Fibre; the Authority has examined the facts and considered the same for the purpose of likelihood of injury.

k) With regard to the contention of some of the consumers in the public hearing that growth of the downstream industry has been impacted by the imposition of anti-dumping duty, the Authority notes that none of the interested parties has established that downstream industry has been impacted by imposition of anti-dumping duty. The authority notes that anti-dumping duty has been in force for quite some time and there is no evidence of adverse impact on record of the authority.

l) With regard to the issue of duty free imports raised by one of the consumers in the public hearing; it is noted that the interests of the importers are not affected by duty free imports, as anti-dumping duty does not apply to imports under advance licence.

m) With regard to the contention of some of the consumers in the public hearing that imports increased due to closure of two other Indian producers; the Authority has examined the historical data in this regard and notes that the other domestic producers reduced supplies in 2006-07 and completely stopped supplies thereafter. However, the increase in imports from Thailand started from 2011-12 onwards.

n) With regard to the contention that the imports from Germany have steadily increased over the last few years, it is noted that the landed price of imports from Germany is higher than selling price of the domestic industry in the injury period and thus has not caused injury to the domestic industry.

o) With regard to the contention of the exporter that the Annual Reports of the petitioners show different reasons for injury and there is contradiction in the statement in Annual Report and the present submissions, it is noted that the Annual Report contains statements with regard to macro economy situation, as the companies are required to inform their stakeholders/shareholders about overall business position, whereas the Authority considers operations of the product under consideration in the domestic market only for determination of injury to the domestic industry in the POI. Since the annual report statements are relevant to all stakeholders, it may deal with the situations relating to the raw materials, product and downstream product, whereas the authority is required to consider, in accordance with the provisions of Annexure-II to the Rules, information relating solely to the domestic production relating to the product. Annexure-II to the Rules provides in this regard that the effect of the dumped imports should be assessed in relation to the domestic production of the like article when available data permit the separate identification of that production. It is only in a situation where separate identification of that production is not possible that the effects of the dumped imports are required to be assessed by the examination of the production of the narrowest group or range of products, which includes the like product, for which the necessary information can be provided.

p) With regard to the impact of prices of imported raw material on domestic industry, it is noted that this is a global phenomenon. Both the domestic producers and exporters are affected by fluctuations in the price of raw materials.

q) With regard to the contention of higher borrowings cost of Indian producers, the Authority notes that the actual performance of the domestic industry is required to be examined. The Authority has examined the injury information of the domestic industry and concludes that the performance of the domestic industry deteriorated as a result of continued dumping and not because of borrowing cost. It is not a case where the borrowing cost of the domestic industry was earlier materially lower and the same increased significantly in the POI.

r) With regard to the contention of interested parties that dismal global scenario such as currency fluctuation, sudden increase in competition from other fibres, softening of commodity prices and Euro zone crisis causing injury to the domestic industry, it is noted that factors such as currency fluctuation are common to both raw material and finished product. As regards increased competition from other fibres, the data shows that the demand for the product has not declined as a result of this competition from other fibres. Demand for the product has in fact has increased.

s) With regard to the contention regarding effect of softening of commodity prices or Euro zone crisis, it is noted that Euro crisis could not have been the cause of deterioration in the performance of the domestic industry in the domestic market. The determination is not based on the performance of the domestic industry in the international market. It is based on the performance of the domestic industry in the domestic market.

t) With regard to the contention that injury, if any, is self-inflicted and due to inter-se competition amongst the domestic producers; it is noted that the Authority has examined performance of the domestic industry as a whole. The Authority notes that existence of inter-se competition amongst domestic producers does not imply absence of injury due to imports. Further, it is noted that the landed price of imports is lower than the selling price of the domestic industry.

u) With regard to the contention that employing more people in the scenario of dropping production has led to lower productivity, the Authority notes that the productivity has declined as a result of decline in production. Further, even if productivity is considered at the same level as in the past, the data still shows significant decline in profits, return on investments and cash flow.

v) With regard to the contention with regard to reasonable profit; it is noted that the Authority considers 22% return on capital employed as reasonable profit as a matter of practice and the same has been considered in the present case as well.

w) With regard to the issue on export performance of the domestic industry, it is noted that export sales of the domestic industry have also declined in the POI. The petitioners have contended that if the production is considered after excluding exports, it would be seen that the production of the domestic industry still shows significant deterioration. Further, in any case, the authority has considered parameters such as profits, return on investments and cash profits for domestic operation only.

x) With regard to the contention that one applicant has deliberately provided wrong information/data and there is lack of causal link between alleged dumped goods and alleged injury to the domestic industry and, therefore, the investigation must be terminated on this ground alone; the Authority on complete examination and verification of the information provided by the domestic industry holds that the domestic industry has indeed suffered continued injury as a result of continued dumping.

Cumulative Assessment

41. The Authority has not carried cumulative assessment of injury to the domestic industry in view of the fact that the imports from Korea are below the limits prescribed under the law for cumulative assessment of injury to the domestic industry. Therefore, injury to the domestic industry has been examined cumulatively from the two subject countries.

42. Rule 11 of Anti-dumping Rules read with Annexure–II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "…. taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles…." In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to suppress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

43. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the rules supra.

44. The present investigation is a sunset review of anti dumping duties in force. Rule 23 provides that provisions of Rule 11 shall apply on mutates mutandis basis in case of a review as well. The Authority has, therefore, determined injury to the domestic industry considering, mutates mutandis, the provisions of Rule 11 read with Annexure-II. Further, since anti-dumping duties are in force on imports of the product under consideration, the Authority considers that the fact of existing anti-dumping duties on imports of the product from Thailand and Korea RP is required to be considered while examining injury to the domestic industry. The Authority has examined whether existing measure is necessary to counteract the dumping causing injury.

45. According to Section 9(A)(5) of the Customs Tariff Act, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, in which case, the Central Govt. may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension.

46. For the purpose of current injury analysis, the Authority has examined the volume and price effects of dumped imports of the subject goods on the domestic industry and its effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal links between the dumping and injury, if any. The Authority has examined injury to the domestic industry by considering information relating to M/s. Indian Acrylics Limited, M/s. Vardhman Acrylics Limited and M/s. Pasupati Acrylon Ltd., constituting domestic industry under the Rules.

47. The Authority has considered the views of all the interested parties to the extent found relevant to the present investigation and addressed the same appropriately. The Authority has analyzed injury parameters in accordance with the Rules. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has granted confidentiality, wherever warranted and such information has been treated confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis. Accordingly, the volume and price effect of dumped imports have been examined as follows:

Volume Effect of dumped imports and Impact on domestic Industry

48. The effects of the volume of dumped imports from the subject countries as well as imports from other countries have been examined by the Authority as follows:

Demand and Market Share

49. The Authority has considered the transaction-wise import data procured from DGCI&S for the assessment of total volume and value of imports from the subject countries and other countries. The position with regard to demand and market share is as follows –

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Assessed Demand	MT	84,541	79,505	79,019	92,684
Sales of Domestic Industry	MT	74,020	58,995	60,561	64,425
Imports – Thailand	MT	5,124	4,811	6,146	10,427
Imports – Korea RP	MT	-	46	-	101
Imports – Subject Countries	MT	5,124	4,857	6,146	10,528
Imports - Countries attracting ADD	MT	2,775	5,822	3,841	5,689
Imports – Other Countries	MT	2,622	9,830	8,471	12,042
Market share in Demand					
Domestic Industry	%	87.56%	74.20%	76.64%	69.51%
Imports – Thailand	%	6.06%	6.05%	7.78%	11.25%
Imports – Korea RP	%	0.00%	0.06%	0.00%	0.11%
Subject Countries	%	6.06%	6.11%	7.78%	11.36%
Countries attracting ADD	%	3.28%	7.32%	4.86%	6.14%
Other Countries	%	3.10%	12.36%	10.72%	12.99%

50. The above data shows that the domestic demand declined in 2010-11 and 2011-12 and then increased significantly in the POI. Whereas imports from Thailand have increased significantly during the POI as compared to the base year; imports from Korea RP are low in volume in 2010-11 and the POI. Imports from other countries attracting anti dumping duties (Belarus and Japan) have also increased over the injury period. Further, the domestic industry has contended that imports from a fresh source, Egypt, have also increased significantly over the injury period. Market share of domestic industry has declined in the POI as compared to the base year as well as 2011-12. However, the market share of imports from Thailand shows an increase.

Import volumes and share of subject countries:

51. With regard to volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India.

Annexure II (ii) of the anti dumping rules provides as under:

"While examining the volume of dumped imports, the said authority shall consider whether there has been significant increase in the dumped imports either in absolute terms or relative in production or consumption in India"

52. The import volumes for the injury period, considering the data provided by DGCI&S are as under:

Particulars of Imports	Units	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
Imports-Thailand	MT	5,124	4,811	6,146	10,427
Imports-Korea RP	MT	-	46	-	101
Subject Countries	MT	5,124	4,857	6,146	10,528
Countries attracting ADD	MT	1,228	4,018	1,827	3,425
Belarus	MT	1,547	1,805	2,014	2,264
Japan	MT	2,775	5,822	3,841	5,689
Other Countries	MT	2,622	9,830	8,471	12,042
Total imports	MT	10,521	20,509	18,458	28,259
Subject countries imports in relation to					
□ Total Imports	%	49%	23%	33%	37%
□ Consumption	%	6%	6%	8%	11%
□ Production	%	6%	7%	8%	15%

53. The Authority notes that imports from Thailand increased significantly in the POI as compared to the base year. Whereas imports from Thailand have increased, imports from Korea are low in volume.

54. Imports from other countries attracting anti dumping duties (Belarus and Japan) have also increased in 2010-11 and afterwards in comparison to the base year. Further, the domestic industry has contended that imports from a fresh source, Egypt, have also increased significantly over the injury period. Fresh investigations on imports from Egypt had also been initiated by the Authority. However, the Authority has terminated investigations against Egypt on 15th January, 2015 in view of a letter from the domestic industry for withdrawal of its application stating that the sole producer in Egypt has stopped production.

55. The Authority holds that the volume of imports from Thailand was significant throughout the injury period in spite of the anti dumping duty being in place.

Price Effect of the Dumped imports on the Domestic Industry

56. With regard to the effect of the dumped imports on prices, Annexure II (ii) of the Rules lays down as follows:

"With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of rule 18 the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree."

57. The impact of dumped imports on the prices of the domestic industry has been examined with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, weighted average cost of production, weighted average Net Sales Realization (NSR) and the Non-Injurious Price (NIP) of the domestic industry have been compared with the landed cost of imports from the subject countries.

Price Undercutting and Price Underselling effects

58. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it has been examined whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

59. Price undercutting has been determined by comparing the weighted average landed value of dumped imports from the subject countries over the entire period of investigation with the weighted average net sales realization of the domestic industry for the same period. For this purpose, landed value of imports has been calculated by adding 1% handling charge and applicable basic customs duty to the value reported in the DGCI&S data of import prices from the subject countries. In determining the net sales realization of the domestic industry, the rebates, discounts and commissions offered by the domestic industry and the central excise duty paid have been rebated.

60. For the purpose of price underselling determination, the weighted average landed price from the subject countries has been compared with the non-injurious price of the domestic industry determined for the POI and cost of production for the injury period.

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Cost of Sales	Rs./MT	***	***	***	***
Net Sales Realization	Rs./MT	***	***	***	***
Landed Price-Thailand	Rs./MT	***	***	***	***
Landed Price-Korea RP	Rs./MT	***	***	***	***
Price Undercutting – Thailand	Rs./MT	***	***	***	***
Price Undercutting – Korea RP	Rs./MT	***	***	***	***
Price Undercutting – Thailand	%	***	***	***	***
Price Undercutting - Korea	%	-	***	-	***
Price Undercutting – Thailand	% Range				0-10
Price Undercutting – Korea RP	% Range				5-15
Non-injurious Price	Rs./MT				***
Price Underselling – Thailand	Rs./MT				***
Price Underselling – Korea RP	Rs./MT				***
Price Underselling – Thailand	%				***
Price Underselling – Korea RP	%				***
Price Underselling – Thailand	%Range				0-10
Price Underselling – Korea RP	%Range				5-15

61. In this regard, the Authority notes as under:

a. The landed value of imports from each of the subject countries is below the net selling prices of domestic industry signifying positive price undercutting.
b. A comparison has also been made between the landed price of imports and cost of sales and the Non Injurious Price. It is noted that landed price of imports from the subject countries is far lower than the cost of sales and the non injurious price in the POI.

62. The Authority thus concludes that the landed value of imports from the subject countries caused significant price undercutting as well as price underselling.

Price Suppression and Price Depression effects of the dumped imports:

63. The price suppression effects of the dumped imports have also been examined with reference to the cost of sales, net sales realization and the landed values from the subject countries. It is noted that the landed price of imports is substantially below the cost and selling price of the Domestic Industry in the POI. Further, whereas both cost of sales and selling prices increased over the period, the increase in the selling price is less than the increase in the cost of sales in the POI. Also, the landed price has not increased to the extent the cost has increased. The imports are, thus, suppressing the prices in the market. Further, between 2011-12 and the POI, whereas both costs and prices have declined, the decline in the selling prices is more than the decline in cost of production in the POI.

64. The petitioners have claimed that in the event of cessation of current anti-dumping duty and if Domestic Industry chooses to sell at import prices, the Domestic Industry would suffer significant financial losses. The

return on investment and cash profit would also be significantly negative. It is concluded that cessation of anti-dumping duty would have significant adverse effect on the prices in the market.

Examination of Economic Parameters relating to the Domestic Industry

65. Annexure II to the AD Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. An examination of performance of the domestic industry reveals that the domestic industry has suffered material injury. However, the present investigation being a sunset review investigation, injury to the domestic industry is required to be assessed on mutates mutandis basis. Further, the Authority has examined whether existing measure has been sufficient to counteract the dumping which is causing injury. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

Production, Capacity and Capacity Utilization, Sales of the Domestic Industry

66. Based on the verified data, the information on capacity, production, capacity utilization and sales volumes of the domestic industry has been as under:

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Installed Capacity	MT	92,000	92,000	92,000	92,000
Production	MT	85,936	74,406	72,590	70,066
Capacity Utilization	%	93%	81%	79%	76%
Sales Volume	MT	74,020	58,995	60,561	64,425
Demand	MT	84,541	79,505	79,019	92,684

67. Based upon above data, the Authority notes that-

a) The sales volume of the domestic industry has declined over the injury period in spite of healthy demand over the injury period and increase in the POI.
b) Consequently, the production of the domestic industry has declined over the injury period.
c) The capacity has remained unchanged over the injury period. Capacity utilization of the domestic industry has declined over the injury period.

Profitability, return on investment and cash profits

68. The profits, return on investment and cash flow of the domestic industry have been examined as under:

Period	UOM	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Cost of Sales	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*151*	*152*	*150*
Selling Price	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*137*	*132*	*130*
Profit/loss	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*57*	*25*	*24*
Profit/loss	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*46*	*20*	*21*
Cash Profit	Rs. Lacs	***	***	***	***

Trend	*Indexed*	*100*	*64*	*28*	*30*
Return on Investment	%	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*52*	*34*	*41*

69. The Authority notes that:

a) The profitability of the domestic industry declined significantly over the injury period.
b) The impact of decline in profitability is reflected in declining profits, cash profit and return on investment. Profits, cash profit and return on investment declined significantly over the injury period.

Inventories

70. The Authority has examined the inventory level of the domestic industry, which is given in the following table:-

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Stock (Volume) Average	MT	***	***	***	***

71. It is seen from the above information that inventories with the domestic industry increased till 2011-12 and then declined in the POI. However, the level of inventory was higher in the POI as compared to the base year.

Employment and wages

72. The Authority notes that the number of employees has increased up to 2011-12 and then marginally declined in the POI. It is noted that wages paid by the domestic industry have also increased.

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Employment	Nos.	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*102*	*106*	*105*
Wages	Rs.Lacs	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*118*	*128*	*147*

Productivity

73. Productivity of the domestic industry has been measured in terms of its labour productivity and per day productivity of the output and the Authority concludes that the productivity has declined in line with decline in production.

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Productivity Per Employee	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*85*	*79*	*77*
Productivity Per Day	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*87*	*84*	*82*

Factors affecting domestic prices

74. Consideration of the import prices from the subject countries and other countries, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market would show that the landed value of imported material from the subject countries is significantly below the selling price of the domestic industry, causing severe price undercutting in the Indian market. The benchmark for the Indian producers' prices is the import prices from various sources, including the subject countries. There is no viable substitute to this product. It is also noted that demand for the subject goods has shown significant increase and this could not have been a factor affecting domestic prices. Thus, the major factors responsible for the domestic industry prices are the landed prices of imports and the cost of production of the domestic industry.

Magnitude of Dumping Margin

75. The Authority notes that the dumping margin of the imports of the subject goods from the subject countries is positive and substantial.

Growth

76. On examination of various economic parameters of the domestic industry, the Authority notes that on a year by year basis, the domestic industry has suffered adverse growth in terms of production, sales, capacity utilization and market share. Parameters such as profits, cash profits and return on investments have also shown decline. Considering the prices at which the exporters in the subject countries are dumping the subject goods in the Indian market; cessation of anti dumping duty would only lead to surge in the volume of dumped imports causing further retardation of growth.

Growth percent (year by year)	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Production	%	-	-13%	-2%	-3%
Sales Volume	%	-	-20%	3%	6%
Selling Price	%	-	37%	-3%	-1%
Profit per unit	%	-	-43%	-57%	-4%
Return on Investment	%	-	-18%	-7%	3%
Capacity Utilization	%	-	-13%	-2%	-3%
Market share of DI	%	-	-13%	2%	-7%

Ability to raise capital investment

77. The Authority notes that the petitioners are single product companies. Dumping from the subject countries and other sources has compelled the petitioners to curtail production. The petitioners have claimed that any fresh investment in such a situation is infeasible.

Overall assessment of Injury

78. On the basis of the above examination, the Authority concludes that the dumping of the product has continued and the dumping margin is significant; the imports of the product have shown increase from Thailand both in absolute terms and in relation to production and consumption in India; imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market; the price underselling is significant & positive; imports have suppressed the prices of the domestic industry in the market. The investigation has thus shown that there has been a significant increase in the dumped imports, both in absolute terms and in relative to production and consumption in India. With regard to the effect of the dumped imports on prices, there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, and the effect of such imports was to depress prices to a significant degree and prevent price increases which otherwise would have occurred, to a significant degree. With regard to consequent impact of the dumped imports on the domestic industry, the investigation has shown that performance of the domestic industry has deteriorated significantly in terms of volume parameters such as market share, production, capacity utilization and sales, as well as price parameters such as profits, cash profits and return on investment. The investigation has thus shown that the domestic industry has suffered continued injury.

Causal Link

79. As per the AD Rules, the Designated Authority is, inter alia, required to examine any known factors other than dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors must not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumping prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It was examined whether these other parameters listed under the Rules could have contributed to injury to the domestic industry.

a) **Imports from other countries and other known factors**

80. During the POI, other than the subject countries, imports have taken place from Japan and Belarus against which antidumping duty is in force. Further, imports from Egypt were also entering at low prices and the volume of imports from this source was above de-minimis. On being prime facie satisified, the Authority had initiated investigations for imposition of anti dumping duties on imports from Egypt. However, the Authority has terminated investigations against Egypt on 15th January, 2015 in view of a letter from the domestic industry for withdrawal of its application stating that the sole producer in Egypt has stopped production. Imports from all other countries, other than these, are either negligible or the prices are high.

b) **Contraction in demand**

81. The data shows demand of the product under consideration had declined up to 2011-12 and then increased significantly in the POI. Therefore, decline in demand cannot be considered as the factor that could have impacted the performance of the domestic industry.

c) **Change in pattern of consumption**

82. Interested parties have contended that other textile fibres have caused injury to the domestic industry. The authority however notes that the demand for the product has increased over the injury period. Further, various textile fibres were competing in the same Indian market not only over the injury period, but also for quite sometime. It is thus not a case where the consumption pattern with regard to the product under consideration has undergone a change.

d) **Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers**

83. The subject goods are freely importable. No trade restrictive practices in the domestic market have been brought to the knowledge of the Authority. The domestic producers compete with each other and at the same time with the subject goods being imported. The price of the domestic industry is influenced by the landed price of subject goods. The landed price of imports from subject countries are below the selling price of the domestic industry.There is no evidence on record that the inter-se competition between the domestic producers increased/changed to such a significant extent that the injury to the domestic industry is on account of this inter-se competition.

e) **Development of technology**

84. The investigation has not shown any significant development in technology which could have caused injury to the domestic industry.

f) **Exports by the domestic industry**

85. The petitioners export the product under consideration. However, information relating to domestic sales only has been taken into consideration for assessment of injury to the extent possible.

g) **Productivity**

86. The Authority notes that productivity of the domestic industry has declined in tandem with the production of the domestic industry. However, changes in the productivity have not been so significant as to have resulted in so significant changes in the profitability of the domestic industry. Changes in the productivity of the domestic industry could not be a cause of injury to the domestic industry.

87. The Authority, therefore, concludes that the other listed and known parameters have not caused injury to the domestic industry. Interested parties have contended that a number of other factors have caused injury to the domestic industry. The Authority has examined these contentions of the interested parties and has found that the deterioration in performance of the domestic industry is not on account of these other factors brought out by the interested parties.

H. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

Submissions by the Domestic Industry

88. The domestic industry submitted as under in support of its claim of likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in case the existing duties were allowed to be ceased.

(a) The imports have continued to enter at dumped prices.

(b) The volume of imports from Thailand has increased over the injury period.

(c) The volume of imports from the subject countries are likely to increase in the event of revocation of ADD for the following reasons –

i) The producers in the subject countries are exporting nearly 70-80% of the total production.

ii) The volume of exports from Thailand to third countries has increased over the injury period.

iii) The volume of exports from Korea to third countries has remained significant over the injury period.

iv) Considering the export volumes from the subject countries to third countries, exports to Indian market would increase in the event of revocation of anti dumping duty.

(d) Exporters in the subject countries have capacities far in excess of domestic demand in home market and Indian demand.

(e) Dumping margin in the previous sunset review investigation is illustrative of the fact that dumping has continued in spite of antidumping duty in force.

(f) The volume of imports from the subject countries is significant and continuously increasing and the dumping margin is also significantly high.

(g) Landed value of imports are at a price which is lower than the selling price of Domestic Industry. The producers in the subject countries would, therefore, aggressively target Indian market in the event of cessation of anti dumping duty.

(h) The domestic industry is suffering injury in terms of volume as well as price parameters. Further, aggravated injury cannot be ruled out if dumping continues and occurs in increased volumes in case present duties are not extended.

Submissions by other interested parties

89. The views of other interested parties on likelihood of dumping and injury are as follows:

a) Any claim of likelihood of continuation or recurrence of injury as a consequence of cessation of the anti-dumping duties in force has to be evaluated in the prospective context and market scenario that is likely to happen upon expiration of the anti-dumping duty rather than harping back to what had transpired in the past.

b) Domestic industry has not complied with likelihood requirements.

c) The two claims of the petitioners are contradictory as there cannot be both continuation and recurrence of injury at the same time from the same sources, for the reason that in case they continued to suffer injury, axiomatically there would not be any case for its recurrence.

d) Mere assertions by the Applicants as regards 'consequent injury' claims must not be accepted by the Authority unless clear and cogent proof regarding the same are placed on record.

e) Thai Acrylic Fibre has been operating at full capacity throughout the injury analysis period and has no plans to augment additional capacity. It is further argued that they have a strong presence in other countries and there is no likelihood of shifting supplies from these markets into India if the antidumping duty were terminated and are unlikely to reduce the export prices to India if the duty were revoked.

Examination by the Authority

90. In order to determine whether dumping is likely to continue or recur in the future if the duties are revoked; the trend in volume of sales of the exporter and its prices in the home market and third country export markets have been examined by the Authority. The submissions made by the domestic industry have also been considered.

91. The present investigation is a sunset review of anti-dumping duties imposed on the imports of subject goods from Thailand and Korea RP. Under the Rules, the Authority is required to determine whether continued imposition of anti-dumping duty is warranted. This also requires examination whether the duty imposed is serving the intended purpose of eliminating injurious dumping. In the present investigation, as there are continued dumped imports, the Authority is not required to examine whether revocation of duty is likely to lead to continued dumping of the product. However, considering the fact that the dumping margin in the previous investigations as well as the present investigation is significant and that there are favorable market conditions in the Indian market as far as demand and price for the subject goods are concerned, the Authority has reason to believe that dumping may intensify if the duty is revoked. It is a matter of fact that despite the anti-dumping measures in force, the subject countries were still dumping the subject goods in the Indian market.

92. The volume of dumped imports from Thailand has increased over the injury period in spite of the fact that anti-dumping duty on the subject goods is in force. The current volume of imports from Thailand itself is significant enough to show the likelihood of dumping and consequent injury to the domestic industry in the event of cessation of anti dumping duty.

93. With regard to the contention that evaluation of likelihood of continuation or recurrence of injury should be in prospective context, the Authority notes that it is a well established practice of the Designated Authority to define an injury period and consider the same for the purpose of deciding the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury. The evaluation has to be based on the past data even if it is with regard to the likelihood in the event of cessation of anti dumping duty in future. Further, the Authority has been considering six months post-POI data in those situations where the volume of imports in the POI is not significant enough or does not establish dumping causing injury to the domestic industry.

94. With regard to the contention that Domestic industry has not complied with likelihood requirements; the Authority has examined the various injury parameters and notes that dumping has continued and has caused injury to the domestic industry in spite of anti-dumping duty being in force.

95. With regard to the contention that the two claims of the petitioners are contradictory as there cannot be both continuation and recurrence of injury at the same time from the same sources, for the reason that in case they continued to suffer injury, axiomatically there would not be any case for its recurrence; it is noted that both dumping and injury have continued in this case.

96. With regard to the contention of the exporter that mere assertions by the Applicants as regards 'consequent injury' claims must not be accepted by the Authority unless clear and cogent proof regarding the same are placed on record; the Authority has examined the various injury parameters and notes that dumping has continued and caused injury to the domestic industry in the POI.

97. With regard to the argument by the exporter from Thailand that they have a strong presence in other countries and there is no likelihood of shifting supplies from these markets into India if the anti-dumping duty were terminated and they are unlikely to reduce the export prices to India if the duty were revoked; the Authority notes that examination of dumping and injury and likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury is conducted on the basis of a pre-determined injury period. The Authority has examined the relevant parameters on the basis of information available for the specified injury period and notes that there has been continued dumping and injury and there is likelihood of dumping and injury also. Further, the current volume of exports from Thailand is significant enough to conclude likelihood of dumping and injury. This clearly shows likelihood of increased importation in the event of cessation of anti-dumping duty.

98. With regard to the argument of Thai exporter that it is already operating at full capacity, the Authority notes that the present volume of exports from Thailand to India itself is significant enough to conclude with regard to likelihood of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation of anti-dumping duty.

99. Further, the Authority has examined the aspect of likelihood of dumping and injury as well and holds that

dumping and consequent injury to the domestic industry is likely in the absence of anti dumping duty. The following analysis further shows the likelihood of continuation/intensification of dumping and injury to the domestic industry in the event of revocation of anti dumping duty:

(i) **Level of current and past dumping margin**

100. The level of dumping margin in the original, mid-term and sunset reviews as well as present investigation is significant. Despite the domestic industry holding the capacity to meet the entire demand, imports of the subject goods from the subject countries still continue at dumped prices. Given the level of price undercutting and price underselling, the volume of dumped imports is likely to increase further in the event of revocation of anti-dumping duty.

(ii) **Price attractiveness of Indian market**

101. The price at which the subject goods are being exported by Thailand and Korea RP to India is an indicator of the likelihood of continuation/intensification of dumping. At the current landed price in India, there is positive price undercutting. Thus, with the revocation of anti dumping duty, the Indian prices would be too attractive for the foreign producers to intensify their exports to India at dumped prices and there is strong likelihood that Indian consumers would resort to large scale imports of the subject goods from the subject countries.

(iii) **Export orientation of producers in the subject countries**

102. The domestic industry has contended that the foreign producers/ exporters are very much export oriented. In case of Korea RP, there was no cooperation from the Korean producers/exporters and available information sows that whereas the demand in the domestic market is quite low, the capacities with the Korean producer were 1 lac MT. Korean customs data shows exports from Korea in the region of 35,000 MT during the injury period. It is also noted that whereas the Korean customs data shows consistent and significant exports from Korea RP, the Indian customs data shows quite low volume of imports from Korea. If the Korean customs data is considered, the volume of imports in India is significant. Further, it is noted that exports from Korea RP to China as per Korean customs data shows significant decline from about 28,000 MT in 2010 to about 14,500 MT in 2012. Even though exports have increased to some other countries such as Iran, Indonesia, the volume of exports in 2012 were lower than the volume of exports in 2010. In any case, the volume of exports from Korea RP is significantly lower than the capacities in Korea RP. Considering the high demand and favorable market conditions for the subject goods in India and the high production capacity and export orientation of these producers, the Authority holds that in the event of revocation of anti-dumping duties, these exporters in the subject countries are likely to increase their exports to India at dumped prices.

(iv) **Huge production capacity in the subject countries**

103. The domestic industry has submitted that the producers of the subject goods in the subject countries have huge production capacity. In the event of revocation of anti-dumping duty and considering the export orientation, the producers in the subject countries are capable of completely overtaking the Indian manufacturing sector engaged in subject goods.

(v) **Significant increase in volume of imports between original investigation period and subsequent investigations periods**

104. An analysis of the volume of imports reported in the previous cases as well as in the current period shows that volume of imports in case of Thailand has remained significant despite existing anti-dumping duties. When the imports from Thailand remained significant even in the presence of anti-dumping duty, there are all the probabilities that the volume would at the least increase in the event of cessation of anti-dumping duty. There is no reason to believe that the volume will decline in the event of cessation of anti-dumping duty.

(vi) **Market Share held by the subject countries in the Indian market**

105. The market share of dumped imports from Thailand is quite significant in spite of the existing anti-dumping duties. In the event of revocation of anti-dumping duty, the volumes are bound to surge.

106. On the basis of the above analysis, the Authority holds that revocation of duty is likely to lead to continued dumping of the product from the subject countries and consequent injury to the domestic industry.

I. MAGNITUDE OF INJURY AND INJURY MARGIN

107. The non-injurious price of the subject goods, determined by the Authority, for the domestic industry, taking into account the cost data of the domestic industry, has been compared with the landed value of imports from the subject countries for determination of the injury margin, which works out as follows:

Injury Margin Table

Injury Margins	UOM	M/s Thai Acrylic Co Ltd, Thailand	Other exporters from Thailand	Korea RP
NIP	Rs./MT	***	***	***
Landed Value	Rs./MT	***	***	***
Injury Margin	Rs./MT	***	***	***
Injury Margin	US$/MT	***	***	***
Injury Margin	%	***	***	***
Injury Margin Range	%	0-10	15-25	5-15

108. The injury margins from the subject countries are significantly above de-minimis.

J. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES:

109. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country/territory in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

110. It is recognized that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of this product. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

K. POST DISCLOSURE STATEMENT SUBMISSIONS BY THE INTERESTED PARTIES

K.1 Post Disclosure Statement submissions by the opposing Interested Parties

111. The Authority notes that most of the post disclosure statement submissions made by the opposing interested parties are repetitive in nature and have already been dealt with in the Disclosure Statement. The opposite interested parties have, in brief, filed the following post Disclosure Statement submissions:

a. Merely 3 days' time has been provided to comment on the Disclosure statement in the present proceedings which has too many issues that have simply not been appropriately addressed. We thus reiterate and rely on all our earlier submissions made during the course of this investigation proceeding and the same are not repeated herein for the sake of brevity. Further, the same may be treated as part of our submissions to the Disclosure statement.

b. The proposition that because the imports of the subject goods from Thailand have been significant despite the imposition of anti-dumping and hence the duty ought to be continued is grossly fallacious. This is because the Authority has squarely failed to consider the fact that bulk of these imports have been effected under the Duty free schemes of the Foreign Trade Policy wherein the anti-dumping duty remains inconsequential.

c. Further, it is a fact that the imports of acrylic fibre into India from Thailand have increased insignificantly over the period of 2009 to 2013.

d. The Authority has erroneously noted that the scope of the product has already been decided by the Authority in the past investigations wherein the Authority has held that no specialty fibre is required to be excluded from the

scope of the product. It is submitted that in each investigation it needs to be appreciated by the Authority whether the PUC is a homogenous product or not. And if there are different variety of the PUC and some of which are not been produced by the domestic industry then such varieties have been excluded from the ambit and scope of the investigation by the Authority. It has been proved beyond doubt in the present proceedings that the domestic industry neither has been producing these specialty fibres nor has the capability to do so. The domestic producers are not manufacturing certain specialty types of Acrylic Fibres that are required by the Indian user industry. For instance, 2.0 d and 1.5 d bright and semi dull Anti-pilling tow / fibre; 3.0 d Bi-component Conjugate tow; 3.0 d Super high shrinkable fibre, Gel Dyed fiber and tow are not being manufactured by Indian Acrylic Fibres producers; whereas there is significant demand of the same from the user industry in India.

e. It further needs to be noted that there is shortage of Exlan technology fibre in India. It is further reiterated that anti-pilling fibre/tow is a special fibre which imparts anti-pilling characteristics to the final garment by virtue of which pill formation is prevented over repeated uses and washing of garment. The above-mentioned Specialty Acrylic Fibres are not manufactured by any of the domestic Acrylic fibre manufacturers. Attention of the Authority is drawn to similar decisions taken by the Hon'ble Authority in the recent past. For instance, Cold Rolled Steel Flat of Stainless Steel products originating in or exported from China PR, Japan, Korea, European Union, South Africa, Taiwan, Thailand and USA: anti-dumping Investigation concerning import of Glass Fibre and articles thereof originating in or exported from China PR. Given the above facts and precedents, the inclusion of the Specialty Acrylic fibres mentioned above by us in the scope of the Anti-dumping duty is unreasonable and untenable.

f. The Disclosure statement has paid a lip service to our claim that period of investigation (hereinafter the "POI") in the present SSR investigation is April 2012 to March 2013. It is important to note that the legal provisions enjoin that the POI in SSR proceedings must end with the period that is as close as possible to the date of expiry of the anti-dumping duty. This is primarily because in an SSR matter, the Authority is obligated by law to ascertain the likelihood of any continuation or recurrence of dumping and injury in the event of expiration of the antidumping duty.

g. It is submitted that the Applicant in its NCV of the application has kept substantial information as confidential for which no reasonable justification exists. Only proforma justification has been provided, which clearly is not a proper or adequate justification to claim confidentiality.

h. While undertaking determination of Dumping in respect of Thai Acrylic Fibre Co, , the Authority in its analysis has held back from us the Normal value arrived by it and the detailed working thereof. Instead of disclosing the complete working of its determination of dumping in respect of Thai Acrylic Fibre Co., the Authority has merely disclosed only the percentage of profitable sales. It needs to be appreciated that in the absence of the exact details of Normal value along with its detailed working, we are hampered to offer comments on the same as to whether it has been correctly determined or not.

i. It is submitted that the Authority should have ascertained the reasons pertaining to significant profits made by one constituent of the domestic industry and the losses by the other. Such an analysis would have led the Hon'ble Authority to true reasons relating to injury, if any, to the domestic industry.

j. The statements as reflected in the Director's reports and Annual reports squarely pertain to Acrylic Fibre business alone. Therefore, the Authority's conclusion that operations of the product under consideration in the domestic market have only been impacted by the alleged dumped imports is grossly incorrect.

k. The claim of the domestic industry that the producers of the subject goods in the subject countries have huge production capacity is strongly contested as TAF is already operating at full capacity.

l. There are innumerable references in the Annual reports pointing out that the cost of production of the domestic producers is significantly higher due to imports of major raw materials such as ACN.

m. The Applicants have acknowledged that change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market.

n. The profitability of Vardhman, which produces Exlan type of Fibre, is the highest in the world amongst Acrylic Fibre manufacturers.

o. It has been acknowledged that the domestic industry's poor performance, if any, was due to the slowing global economy weighed down by Euro Zone crises, uncertainty about fiscal policy in USA and lower consumer spending that adversely affected the growth of Industry.

p. The Authority must note the fact that the period of 2009-10 was an exceptionally bright year for the Acrylic Fibre industry and therefore most Acrylic Fibres producers did well. Besides, kindly note that the antidumping duty was levied on 20.11.2008 and therefore the correct year of reference should have been 2008-09. Hence, if the Authority uses the 2009-10 data for undertaking the 'injury analysis' in the present proceedings, then naturally the performance of all Acrylic Fibres producers, including the Indian domestic producers over the following years will look low.

q. The real reasons for the poor performance of the domestic industry has been grim global economic environment, particularly in the Euro zone and the USA; losses on account of significant volatility in the prices of Acrylonitrile (ACN- the principal raw material) and the rise of USD vis a vis the INR etc. Significantly these losses have not been attributed to any continued dumping of the subject goods.

K.2 Post Disclosure Statement submissions by the Domestic Industry

112. The Authority notes that most of the post disclosure statement submissions made by the domestic industry are repetitive in nature and have already been dealt with in the Disclosure Statement. Following are, in brief, the post Disclosure Statement submissions made by the domestic industry:

a. In spite of the anti-dumping duty in force, the volume of imports from Thailand has increased in the present injury period. However, the volume of imports from Korea RP has declined.

b. The imports of the subject goods from the subject countries continued to enter at dumped prices in spite of existing anti dumping duties.

c. The landed value of imports from the subject countries caused significant price undercutting as well as price underselling.

d. The imports were suppressing the prices of the domestic industry in the market.

e. Price suppression led to a situation wherein the domestic industry suffered significant deterioration in its performance in respect of profits, return on investment and cash flow.

f. Price suppression indicates the likely adverse price effect of dumped imports on domestic industry in the event of cessation of anti dumping duties in force.

g. Since the product under consideration is reported under different customs classifications, the Designated Authority may kindly specify in duty table that the product under consideration should attract duty regardless of these customs classifications under which goods are being cleared by the importers.

h. The Designated Authority may consider following pertinent submissions of the domestic industry with regard to determination of NIP, which have direct bearing on dumping margin and injury margin.

i. Interest bearing creditors-The established practice of the Authority is to exclude interest bearing loans included in current liabilities for determining working capital. The interest bearing credits for raw material purchases are akin to short-term loans and in fact attracts interest cost. In the present case, both Indian Acrylics and Pasupati Acrylon have bought major raw materials by utilizing interest bearing credits. Such amount of current liabilities should therefore not part form of current liabilities and should not be reduced from net fixed assets.

j. Fixed deposit under bank lien- Petitioners submit that fixed deposits in bank which are in the nature of deposits not linked to manufacturing operations are different from fixed deposits in the bank which are required to be made to meet statutory obligations for production and sale of the product under consideration. Therefore, fixed deposits for production activities may kindly be permitted.

k. Though the volume of imports as reported by Indian Customs data shows a decline; the volume of exports reported by Korean Customs data shows significant volume of exports of Acrylic Fibre to India. The petitioners request the Authority to consider the volumes as reported by Korean Customs to assess the volume of dumped imports from Korea to India for the purpose of injury analysis.

l. The cost of production of the product has undergone significant changes with changes in the cost of inputs. Therefore, the only appropriate forms of measures is fixed quantum.

m. The anti dumping duty is required to be continued in fixed form and the duty expressed in US$ terms.

K.3 Examination by the Authority

113. The Authority notes that most of the post disclosure statement submissions made by the domestic industry and the opposing interested parties are repetitive in nature and have already been dealt with in the Disclosure Statement and again have been addressed in this Final Findings Notification under the appropriate headings. Nonetheless, the Authority has addressed these issues to the extent considered relevant as under:

a. As regards the contention that the time available for offering comments to disclosure statement, the Authority notes that Thai Acrylic Fibre Co has in fact filed elaborate comments to Disclosure Statement issued by the Authority, nor there is no prescribed minimum time under the Rules for offering comments to Disclosure Statement.

b. As regards the contention that the imports of the product are under duty free scheme category and, therefore, the volume of imports is irrelevant to determine likelihood, the Authority considers that the price at which duty free imports have been made during the POI and the volume of imports during the POI clearly show the price at which the goods are likely to be imported in the event of cessation of anti dumping duty. The questionnaire response filed by Thai Acrylic Fibre shows significant dumping margin which in fact is much higher than the dumping margin determined by the Authority in the past in respect of exports made by the company. Volume of exports from Thailand to India clearly shows a significant increase over the period. It is also noted that the Authority has been consistently considering the fact that the imports have been made under duty free category does not imply that the same do not cause injury to the domestic industry. The Authority has not compared CIF import price with the selling price of domestic industry. The Authority has added customs duty notionally to determine whether the imports are likely to undercut the prices of the domestic industry and whether the effect of cessation of anti dumping duty shall be to suppress or depress the prices in the market.

c. As regards the contention that the imports of acrylic fibre into India from Thailand have increased insignificantly over the period of 2009 to 2013, the Authority notes that the imports from Thailand remained in the region of 5000-6000 MT during 2009-10 and 2011-12. The same, however, increased to 10427 MT during the POI. It is thus seen that the imports have in fact increased significantly during the POI.

d. As regards the submissions concerning the period that should be considered for determination, the Authority notes that the POI considered in the present case is appropriate. There is no statutory requirement that the POI in SSR proceedings must end with the period that is as close as possible to the date of expiry of the anti-dumping duty. The investigation in the instant case was initiated vide notification dated 24th Sept., 2013 and the present duty was to expire on 20th Nov., 2013 and, therefore, the investigation period has been rightly considered as 2012-13. Further, post POI period of 6 months has been adopted by the Authority in the past also in numerous sunset review investigations.

e. As regards the contention that some speciality varieties of the product are not being produced by the domestic industry and therefore, these should be excluded from the scope of the product, the Authority notes that the domestic industry has produced and sold like article to the imported product. Further, as per the evidence on record, all the three petitioners put together produce speciality grade Acrylic fibre. Further, to the contention that there is shortage of Exlan technology in India and Acrylic Top is a value added product which is not produced by the domestic industry and, thus, should be treated outside the scope of the product under consideration, it is noted that the CESTAT in the matter of Thai Acrylic Fibre Co Ltd vs. Designated Authority Final Order No AD/5/2010(PB), dated 30.04.2010 in appeal no. AD/4/2009 has held, inter-alia, that in fact Chapter 55 covers (man made staple) fibres and Acrylic Fibre being one of them. Acrylic Tow, Acrylic staple Fibre and Acrylic Top are all acrylic fibres falling under Chapter 55, and hence, coverage of all these products under the anti-dumping notification which Acrylic Fibres of Chapter 55 cannot be denied. The Authority thus rightly considers that it would not be appropriate to exclude speciality fibre from the ambit of anti dumping duty.

f. As regards the argument on confidentiality of information in the petition, it is noted that the Authority has granted confidentiality wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties.

g. As regards disclosure of dumping margin calculations to Thai Acrylic Fibre, it is clarified that all relevant information has been disclosed to the exporter. Regarding the claim that the Authority in its analysis has held back from the exporter from Thailand the Normal value arrived by it and the detailed working thereof, the Authority notes that for computation of Normal Value, the domestic sales of the subject goods were considered

based on the verified data in Appendix -1. It was disclosed to the exporter as to what percentage of verified profitable domestic sales were considered for the purpose of determining the Normal Value. Adjustments as claimed were allowed by the Authority.

h. As regards difference in inter-se profitability of the domestic industry, the Authority notes that the Rules require the Authority to determine injury to the domestic industry by considering domestic industry as a whole. Injury to the domestic industry cannot be determined by selectively considering one or more constituents of the domestic industry. As regards inter-se difference between the domestic industry, the Authority notes that all the three constituents of the domestic industry were present in the market throughout the injury period. There was no significant increase in capacities with any of domestic producers. Therefore, there was no material change in the conditions of competition amongst domestic producers. It is, however, noted that there was significant decline in profitability of the domestic industry over the injury period. Thus, with no material change in conditions of competition amongst domestic producers and increase in demand over the period, decline in profits over the injury period could not been due to inters-se competition amongst domestic producers.

i. As regards the argument that the calculations of landed price of imports is erroneous, as it includes transactions under advance licence, the Authority notes that it has been consistent practice of the Authority to add customs duty to the imports whether or not the imports were made after payment of customs duty in order to determine likely effect of dumped imports on the domestic industry and injury margin in the event of cessation of anti dumping duty.

j. As regards the existence of huge production capacity in Thailand and the fact that the company in Thailand is operating at full capacity does not imply no likelihood, as the imports from Thailand in fact increased from 5000-6000 MT during 2009-11 to above 10,000 MT during the POI.

k. As regards the argument that the cost of production is high due to increase in raw material prices, the Authority notes that the Rules in fact require the authority to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred, to a significant degree. Evidently, the rules recognise that the domestic industry might need to increase the prices of the product in the market. Domestic industry would increase the price if cost of production increases due to increase in raw material costs. Thus, if the annual report states that the profits declined due to increase in cost of production or increase in raw material costs, it implies that the domestic industry was not able to increase its prices of the product. The investigation has clearly established significant price undercutting by the dumped imports from Thailand even after adding prevailing customs duty.

l. It has been contended that the Applicants have acknowledged that change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market. On the contrary, the domestic industry has contended that consideration of these factors would show that the landed value of imported material from the subject countries is significantly below the selling price of the domestic industry, causing significant price undercutting in the Indian market and that the benchmark for the Indian producers' prices is the import prices from the subject countries and other countries dumping the product. It is thus noted that the exporter has selectively referred to submissions made by the petitioners.

m. As regards difference in profitability of the domestic industry, the authority notes that the difference in profitability of the domestic industry is not relevant for the purpose. The authority has considered weighted average profitability of the domestic industry as a whole for the present determination. The authority has not based its conclusion on a company having lowest profitability. Further, it is noted that profitability of all the three companies shows the same trend, i.e., significant decline in profitability.

n. As regards the argument that the domestic industry has acknowledged that the domestic industry's poor performance was due to the slowing global economy weighed down by Euro Zone crises, uncertainty about fiscal policy in USA and lower consumer spending that adversely affected the growth of Industry, the authority notes that the demand for the product under consideration in the Indian market shows rising trend. Further, these observations of the domestic industry are with regard to global market. Rules require the authority to consider performance of the domestic industry with regard to its domestic operations. In fact, rules require the authority to examine whether injury to the domestic industry is due to its adverse export performance. Thus, adverse situations in global market economies were not the factors that have adversely impacted the domestic industry in the Indian market.

o. With regard to the contention that the year 2009-10 is not an appropriate base year for the present purpose, the authority notes that it is the POI and injury period is consistent with the practice of the authority. Moreover, it is seen that the profits of the domestic industry in POI were lower not only as compared to 2009-10, but also as compared to 2010-11. In fact profits in POI were 42% of the profits in 2010-11, thus clearly showing that the deterioration in profits is not because of consideration of 2009-10 as the base year.

p. As regards the argument that real reasons for the poor performance of the domestic industry is grim global economic environment, particularly in the Euro zone and the USA; losses on account of significant volatility in the prices of Acrylonitrile and appreciation of US$, the authority notes that the global economic situations are not relevant for the injury to the domestic industry assessed for the domestic market. Appreciation of US$ should have in fact provided better market situation for the domestic industry, as the appreciation of US$ should have made imported product costlier. As regards raw material prices, as examined above, the domestic industry has legitimate expectation to increase its prices in line with the increase in costs. If the domestic industry has been prevented from increasing its prices in line with the cost increases, it must be concluded that the imports are suppressing the prices of the domestic industry in the market.

L. CONCLUSION

114. After examining the submissions made by the opposing interested parties and the domestic industry and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority concludes that the product under consideration has been exported to India from the subject country below its associated normal value, thus, resulting in dumping of the product. The domestic industry has suffered material injury in respect of the subject goods. The material injury has been caused by the dumped imports from the subject countries.

M. RECOMMENDATION

115. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspects of dumping, injury and the causal link. Having initiated and conducted investigation into dumping, injury and the causal link thereof in terms of the AD Rules and having established positive dumping margins as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of definitive anti dumping duty is required to offset dumping and consequent injury. Therefore, the Authority considers it necessary to recommend imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject countries in the form and manner described hereunder.

116. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, definitive antidumping duties as per the amount specified in the table below are recommended to be imposed from the date of the Notification to be issued by the Central Government, on all imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

Duty Table

Sl. No.	Sub-heading	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount	Unit of Measurement	Currency
1.	550130, 550330 and 550630	Acrylic Fibre	Thailand	Thailand	Thai Acrylic Fibre Company Ltd., Thailand	Thai Acrylic Fibre Company Ltd., Thailand	162	MT	US$

2.	550130, 550330 and 550630	Acrylic Fibre	Thailand	Thailand	Any other than the combination at Sl No 1		493	MT	US$
3.	550130, 550330 and 550630	Acrylic Fibre	Thailand	Any country other than subject countries	Any	Any	493	MT	
4.	550130, 550330 and 550630	Acrylic Fibre	Any country other than subject countries	Thailand	Any	Any	493	MT	US$
5.	550130, 550330 and 550630	Acrylic Fibre	Korea RP	Korea RP	Any	Any	270	MT	US$
6.	550130, 550330 and 550630	Acrylic Fibre	Korea RP	Any country other than subject countries	Any	Any	270	MT	US$
7.	550130, 550330 and 550630	Acrylic Fibre	Any country other than subject countries	Korea RP	Any	Any	270	MT	US$

117. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act.

118. An appeal against the order of the Central Government arising out of these findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

J. K. DADOO, Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.